खण्ड-193, अंक-7
शुक्रवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(21 मार्च, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 193 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में दिन के १० बजकर ३० मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३०९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छबीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जनुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री

भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूहलनवी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधवी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाधारसिंह, श्री
रमनाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रघुवरराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेरसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री

विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
बीरसेन, श्री
बीरेन्द्र वर्मा, श्री
बीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोरखामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूरबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह दिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की हड़ताल

१—श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थी २५ फरवरी, १९५८ से हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---जी हां, विद्यार्थियों ने अपनी निम्नलिखित मांगों की पूर्ति के लिये हड़ताल की है :

(१) आधुनिक औषधि और चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था की जाय और एक सर्वसाधन सम्पन्न मेडिकल कालेज की स्थापना के लिये एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया जाये और यदि ऐसी व्यवस्था न हो सके तो आयुर्वेद महाविद्यालय को कानपुर मेडिकल कालेज से सम्बद्ध कर दिया जाये ।

(२) उन्हें वैद्य के स्थान पर डाक्टर कहा जाये ।

(३) आयुर्वेदिक कालेज का नाम परिवर्तित कर क आधुनिक एवं प्राचीन चिकित्सा का कालज रक्खा जाय ।

**२---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कालेज की समस्याओं के समाधान में क्या करने जा रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---उपरोक्त कालेज की दिन-प्रति-दिन की समस्याओं के समाधान के लिये सरकार पूर्णतया प्रयत्नशील है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे कि जो सूचना उनको विद्यार्थियों की मांग के विषय में मिली है वह गलत है, बल्कि उनकी मांग है कि फारमाकोलाजी, पैथोलाजी, मेडिकल साइंस, सर्जरी विभाग बनाये जायं और उनका प्रिंसिपल नियुक्त किया जाय और उनको पढ़ाने के लिये अध्यापक नियुक्त किये जायं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---जो मांगें हमने बतलायी हैं, वही मांगें हैं । आपने जो मांगे बतलायी हैं वे गलत हैं, इसलिये इस पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह---जो मांगें सरकार ने बतलायी हैं, उन पर सरकार ने अब तक क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे मांगे बिलकुल अनुचित हैं, इसलिये सरकार उनको मंजूर नहीं कर सकती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी इस आयुर्वेदिक कालेज की महत्ता को देखते हुये और इस बात की आवश्यकता को देखते हुये कि इस एक मात्र राजकीय आयुर्वेदिक कालेज की पढ़ाई जारी रहे, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल को समझाने बुझाने के लिये बातचीत करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने ४, ६ मर्तबा बातचीत की और बच्चों की तरह उनको समझाया लेकिन वे मेरी बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या एक बार पुनः माननीय मंत्री जी उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके इस समस्या को सुलझाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मामला बिलकुल साफ है । वे प्रिंसिपल के पास जायं और उनसे कहें कि हम पढ़ेंगे, कालेज खोल दीजिये, बस कालेज खुल जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि आयुर्वेदिक की पढ़ाई के लिये कुछ संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, जिस ज्ञान के अभाव में विद्यार्थियों को कठिनाई हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तो तर्जुमा पढ़ाया जाता है, जहां जरूरत होती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यार्थियों की यह भी शिकायत थी कि फारमाकोलाजी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिये पर्याप्त लेक्चरर नहीं हैं और उनको उतने लेक्चर्स नहीं दिये जा सके हैं, जितने देने चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शिकायत यही थी, जो मैंने उत्तर में बतलाया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या इस समस्या का असली हल यह नहीं है कि मेडिकल कालेज को लखनऊ के झगड़े से हटाकर किसी और शहर में बदल दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रकार का विचार तो नहीं किया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विद्यार्थियों की मांगें अनुचित हैं जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह उनके बच्चे हैं तो उन बच्चों को समझा-बुझाकर एक बार फिर बुजुर्ग की तरह उनको राजी करेंगे कि वह अपनी मांगों का सवाल बाद में करें और इस वक्त परीक्षा दे दें ताकि उनका साल न खराब हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने भरसक प्रयत्न किया लेकिन वह राजी नहीं हो सके और अगर वह हमारे बच्चे हैं तो पालीवाल जी के भी भतीजे हैं वही उनको समझा दें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस स्कीम के खुलने से पहले जिस प्रकार के वादे किये गये थे और जो अन्डरस्टैंडिंग दी गई थीं उनसे मंत्री जी अब पीछे हट रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा तो नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इन विद्यार्थियों की यह भी मांग है कि हमारा भविष्य अभी सुरक्षित नहीं है कि हमें सरकारी सर्विस मिलेगी कि नहीं ? इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यदि सिलेबस के मुताबिक उत्तीर्ण होंगे तो भविष्य जरूर अच्छा होगा।

श्री प्रतापसिंह—वहां पर एक स्थायी प्रिंसिपल मुकर्रर करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि चुनकर भेज दें।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने वादा किया था कि मेडिकल कालेज के पास किये हुये विद्यार्थी और आयुर्वेदिक कालज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की हर तरह से योग्यता बराबर समझी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शार्ट नोटिस क्वेश्चन की सीमा के अन्दर यह सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह कालेज स्थापित हुआ है तब से आज तक उसने केवल एक ही ग्रेजुएट पैदा किया है और इसलिये यह परिस्थितियां पैदा हो गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेडिकल कालेज में कम विद्यार्थी भरती हुये यह गलत बात है। अब कोई पास ही नहीं होता तो हम क्या करें ?

आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर टाउन एरिया में मेहतरों की हड़ताल

****३—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ के टाउन एरिया क्षेत्र में सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन कई मास का बाकी है तथा कर्मचारियों द्वारा कई दिनों से हड़ताल है ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)--मुबारकपुर टाउन एरिया में पिछले चार महीने का वेतन बाकी रहने के कारण, गत ३ मार्च, १९५८ से १५ मार्च, १९५८ तक, विभिन्न अवधि के लिये, ३८ मेहतर व ४ भिश्तियों ने हड़ताल की थी। परन्तु १५ मार्च, १९५८ को सब मेहतरों तथा भिश्तियों को जनवरी, १९५८ तक का देय वेतन भुगतान कर दन से वे सब काम पर लौट आये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३ मार्च, सन् ५८ को हड़ताल के पहले इन कर्मचारियों ने टाउन एरिया कमेटी के अधिकारियों के पास वेतन के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---बकिया वेतन की मांग तो वह कर ही रहे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ मार्च तक वतन न देकर हड़ताल करने के बाद १५ मार्च को वेतन दिया गया तो ३ मार्च के पहले ही वेतन क्यों नहीं दिया गया जब कि वहां पैसा मौजूद था ?

श्री रामस्वरूप यादव---टाउन एरिया के पास पहले रुपया नहीं था उसकी व्यवस्था की गयी और कुछ बकिया टैक्स था उससे किया लेकिन वह भी जनवरी तक वेतन के लिये ही होगा, फरवरी का फिर भी बाकी रहेगा।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी ने जो वेतन का भुगतान किया है उस में पांच रुपये की बढ़ती भी शामिल है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो बहुत्रा बताया जा चुका है कि स्थायी कर्मचारियों की कवल पांच रुपये बढ़ती होती है।

कारपेट व कालीन मजदूर सभा, भदोही के मंत्रियों के आवेदन-पत्र

**४---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या श्रम मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या उन्हें भदोही के कारपेट वीवर्स की चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में मंत्री कारपेट मजदूर सभा, भदोही एवं कालीन मजदूर सभा, भदोही का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--- जी हां।

**५---श्री भगवतीसिंह विशारद--- यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लेबर इन्सपेक्टर ने श्रमिक नेताओं से आन्दोलन को वापस लेने तथा झगड़े को वैधानिक तरीकों से सुलझाने की सलाह दी।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो पत्र श्रम संगठनों से उनको प्राप्त हुआ उसमें श्रमिकों की ओर से क्या मांगें अंकित थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कालीन उद्योग में लगे हुए अलग-अलग किस्म के काम करने वालों को, उनके रोजगार की शर्तों के सम्बन्ध में कई बातें उसमें थीं। जिनमें से एक बात उस कालीन उद्योग पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करने की बात भी थी।

श्री भगवतीसिंह विशारद--- क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्रमिक नेताओं की ओर से स्ट्राइक नोटिस दे दी गयी थी तो उस पर ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, यह तो मैंने नहीं कहा कि उन्होंने कोई नोटिस हमको दी थी। उन्होंने हमको एक आवेदन-पत्र दिया था। जहां तक उस पर कार्यवाही का सवाल था विभागीय कार्यवाही उस पर हुई। वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत बनी हुई ऐडवाइजरी कमेटी को सुपुर्द भी कर दिया गया। इससे अधिक उस पर कुछ हो भी नहीं सकता था।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि लेबर इंस्पेक्टर ने किन वैधानिक तरीकों से झगड़ा सुलझाने की सलाह दी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---लेबर इंस्पेक्टर ने नेताओं को समझाया कि उनको कुछ देर तक सब्र के साथ इंतजार करना चाहिये क्योंकि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत बनी ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है। उस में यह प्रस्ताव सब विचारणीय हैं। कुछ लोगों ने उसके निर्णयों को फोरस्टाल करने के लिए, या कुछ क्रेडिट लेने के लिये सीधे-सादे मजदूरों को गलत रास्ते पर लगा दिया। उनको सलाह दी गयी कि गलत रास्ते पर चलना मुनासिब नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि हड़ताल वैधानिक रूप से चल रही है या अवैधानिक रूप से ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---कतई अवैधानिक, सोलहों आने अवैधानिक।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत बनी ऐडवाइजरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में क्या फैसला किया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी कोई फैसला नहीं किया है। फैसला करने की प्रोसेस शुरू हो गयी है। उसका कार्यक्रम चल रहा है। बातचीत उसमें हो रही है।

तारांकित प्रश्न

*१---**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)---[तेरहवें गुरुवार के लिये प्र० सं० ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२-३---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

विमको फैक्टरी, बरेली की ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष श्री हरसहायसिंह की भूख हड़ताल

*४---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को पता है कि बरेली में विमको फैक्टरी में ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष श्री हरसहाय सिंह ने गत २५ अक्तूबर को उक्त कारखाने के मजदूरों की शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार तथा मालिकों की ओर से न्याय न करने के कारण अनशन शुरू किया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं, श्री हरसहाय सिंह ने यह भूख हड़ताल मुख्यतः बरेली की विमको यूनियन के अवैधानिक चुनाव को सम्बन्धित लोगों पर दबाव डालकर मनवाने के लिये की थी।

*५---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार को उपर्युक्त शिकायतों की अनशन के पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री कृपया उक्त सूचना पर की गई कार्यवाही सदन के सम्मुख रखेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, हड़ताल की सूचना की प्राप्ति पर श्री हर सहाय सिंह को श्रम कमिश्नर द्वारा सलाह दी गई कि वह भूख हड़ताल न करें और श्रमिकों की शिकायतों को वैधानिक रूप से सुलझाने की चेष्टा करें।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त मिल के मैनेजमेंट ने इस चुनाव की वैधानिकता को स्वीकार कर लिया था फिर भी श्रम विभाग के मार्ग में क्या रुकावटें इसको स्वीकार किये जाने में थीं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह कहना गलत है कि मालिकों ने वैधानिकता को स्वीकार कर लिया था। २ अगस्त, १९५८ को मेरठ के आर० सी० ओ० के सामने एक मामला पेश था। उसके दौरान में श्री हरसहाय सिंह की उपस्थिति पर उज्र किया गया कि यह गैर कानूनी ढंग से आये हुये प्रतिनिधि हैं और उनको उस मामले में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। झगड़े की जड़ वहां से शुरू हुई।

दूसरी बात आपने कही कि शायद मालिकों ने मान लिया था, वह भी गलत है। यह सही है कि कुछ लोगों ने मैनेजर को घेरकर उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर ले लिया कि हमारा चुनाव तुम मान लो। तुरन्त बाद उनकी रिपोर्ट पुलिस में हुई। २२ आदमी पकड़े भी गए और उन पर उचित कार्यवाही भी की गई।

श्री मदन पांडेय---क्या यूनियन के पदाधिकारियों ने कोई प्रार्थना श्रम विभाग से की थी कि वह अपने अधिकारी को भेज कर फिर से उसकी उपस्थिति में चुनाव करा लें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारे अधिकारी को चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह भी कहना गलत है कि उन्होंने ऐसा कहा था। हमारी ओर से बार-बार उनसे कहा गया कि वह विधान के अनुसार पर्ची के जरिये चुनाव करायें, वह गलत चुनाव करा रहे हैं। एक बात और श्रीमन्, मैंने इसके पहले उत्तर में २२ आदमी पकड़े गए, यह कहा था। २२ गलत है। ११ आदमी पकड़े गए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन आदमियों को पकड़ा गया, संख्या जो भी हो, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो ११ आदमी पकड़े गए उनमें जो मिल के कर्मचारी थे उनको और कुछ और लोगों को भी जो कि इसमें शामिल थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं हुई थी, उन सब को मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया। कुछ लोगों को निकाला भी। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है उसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि हरसहाय सिंह जी की यह भूख हड़ताल कितने दिन बाद टूटी और किस आधार पर टूटी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह भूख हड़ताल २५ तारीख से श्री हरसहाय सिंह जी ने शुरू की थी। उनकी तबियत जब खराब होने लगी तो २९ तरीख को उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हे खाना खिला दिया गया। ठीक हो गए वह।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मैनेजर का यह बयान कि उनसे जबर्दस्ती दस्तखत कराया गया इसकी पुनः कोई जांच कराई गई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके तथ्य से हम संतुष्ट हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि हरसहाय सिंह जी की उपस्थिति के सम्बन्ध में जो आपत्ति की गयी थी वह किसकी ओर से की गई थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---विमको कम्पनी के सेवा-योजकों के प्रतिनिधियों की ओर से।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि हरसहाय सिंह जी को अस्पताल ले जाया गया और वहां उन्हें खाना खिला दिया गया तो क्या खाना उन्होंने अपनी राजी से खाया था या जबरदस्ती खिलाया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---भूख हड़ताल की अपनी जबरदस्ती को महसूस करते हुए खा लिया।

*६---**श्री मदन पांडेय**---[सातवें बुधवार के लिये प्र० सं० ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७---**श्री गंगाप्रसादसिंह**---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*८---**श्री गंगाप्रसादसिंह**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को राज्य में बसाने की योजना पर विचार

*९---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि लगभग ३,००० शरणार्थियों (refugees) को उत्तर प्रदेश में बसाने के लिये भारत सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी नहीं।

*१०---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले में भारत सरकार से कोई लिखा-पढ़ी चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक अपील की थी और उसके फलस्वरूप इस राज्य को भी कुछ परिवार यहां बसाने हैं ईस्ट पाकिस्तान के उद्वासित भाइयों में से। उसके लिये जमीन की खोज कर रहे हैं, जब जमीन मिल जायगी तो स्कीम बना कर के सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और उनकी स्वीकृति के बाद काम चालू होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस प्रश्न के उत्तर के बिलकुल विपरीत जो अभी फरवरी के महीने में पूरक बजट पास किया है उसमें करीब २ हजार शरणार्थियों को बसाने के लिये सरकार लगभग ११ लाख रुपया मांग चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सवाल में पूछा था कि भारत सरकार ने कोई स्कीम बनायी है ? भारत सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती। इस वजह से 'नहीं' जवाब दिया गया। स्कीम राज्य सरकार बनायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो राज्य सरकार ने स्कीम बनायी है उसका ब्योरा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी वह तैयार हो रही है, जब तैयार हो जायगी तब बतायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब स्कीम अभी तैयार नहीं हुई है तो उसके लिये पूरक बजट में रुपया क्यों मांग लिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो खर्च करना ही पड़ेगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार की स्कीम में क्या केन्द्रीय सरकार का भी कोई अनुदान सम्मिलित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सारा रुपया उन्हीं का होगा ।

*११—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण तेरहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२–१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल के नवीन भवन की निर्माण योजना

*१४—श्री मुक्तिनाथ राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सदर अस्पताल के नये भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां , योजना विचाराधीन है । दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

शुगर मिल कठकुइयां, जिला देवरिया के मजदूरों का जगदीश शुगर मिल लिमिटेड कठकुइयां पर रिटेनिंग और बोनस का बकाया

*१५—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल कठकुइयां, जिला देवरिया के मजदूरों का जगदीश शुगर मिल लिमिटेड, कठकुइयां के जिम्मे जी० ओ० नं० ७५०, दिनांक २९–१–४८ ई० और जी० ओ० नं० १४२५, दिनांक ५–७–५० के अनुसार रिटेनिंग एलाउन्स व जी० ओ० नं० ४७५, दिनांक २९–१–५७ के अनुसार कितना बोनस बकाया है और कितना दिया जा चुका ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—६७,३५३·४५ रुपया रिटेनिंग का और २४,९०० रुपया बोनस का बकाया है और कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है ।

*१६—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त रकम के प्राप्त करने के लिये मजदूरों का कोई आवेदन-पत्र सरकार को मिला है । यदि हां, तो सरकार ने उस ओर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां ।

कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि विधानतः सम्भव नहीं थी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि यह ६७,३५३ रुपया और कुछ आना तथा २४,९०० रुपया यह किस सन् का बकाया है और उस वक्त मिल के मालिक कौन थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है ६७,३५३.४५ रुपया रिटेनिंग का बकाया था । यह रिटेनिंग भत्ता १९५५ और ५६ का था । जो बोनस है २४,९०० रुपया यह १९५४–५५ और १९५५–५६, दो वर्षों का है । उस वक्त इन दोनों मिलों में अथोराइज्ड कन्ट्रोलर, इसके पहले वाले जो आजकल मालिक हैं, इनके पहले काम कर रहे थे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बकाया की रकम अभी तक क्यों बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस मिल के मालिकों के बीच में बड़े झगड़े थे, उनकी आर्थिक हालत खराब थी । बारबार मिल पर अथोराइजड कन्ट्रोलर आते रहे, जाते रहे जिसकी वजह से पैसे का भुगतान नहीं हो सका ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार इसको स्वीकार करने का कष्ट करेगी कि रिटेंनिंग एलाउन्स वेतन का एक अंग है और यदि हां, तो पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के अनुसार इसकी अदायगी क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मिल के ऊपर विभिन्न लोगों का जिनका कर्जा था उन्होंने मिल की सारी प्रापर्टी को अटैच करवा लिया और बाकी मिल सरकार के सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, इन सब चीजों के सिलसिले में नीलाम हो गई । तो कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती है जिसको अटैच करवाने की बात की जाती । इसलिये नहीं हो पायी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो कठकुइयां मिल का बोनस नहीं दिया गया है इसके भुगतान के लिये और भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये कि बोनस और रिटेंनिंग अलावेन्स समय से मिल जाय, मंत्री जी कोई ऐसा कानून लाने की सोचेंगे जिससे बोनस को एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जा सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात होगा यह बोनस किसी ऐवार्ड से नहीं बल्कि त्रिदलीय सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुये सरकार ने इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत एक आज्ञा दी और उसके अनुसार यह बोनस दिया था । इसी बीच में बलरामपुर चीनी मिल ने उस आज्ञा की वैधता का प्रश्न हाई कोर्ट में उपस्थित कर दिया था जिसके कारण तुरन्त उस आज्ञा को लागू करने के लिये कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता था ।

*१७-१८—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण अठारहवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बनस्पति घी में रंग मिलाने के लिये इनाम की घोषणा

*१९—**श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह वनस्पति घी पर रोक लगाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी नहीं ।

*२०—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलायेगी कि वनस्पति घी पर रोक लगाने के लिये सरकार की क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केन्द्रीय सरकार कर सकती है । कानूनी अड़चन हमारे रास्ते में है क्योंकि उन्हीं को अधिकार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रान्तीय सरकार ने वनस्पति घी पर रोक लगाने के लिये अपनी ओर से कोई राय बना कर केन्द्रीय सरकार को भेजी है और अगर ऐसा किया है तो वह राय क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो यह सोचा है कि इसके लिये कोई खास रंग दे दिया जाय ताकि साफ-साफ जाहिर हो जाय और इसके लिये २५ हजार रुपया इनाम भी अनाउन्स किया है, लेकिन कोई सूटेबिल रंग मिलता नहीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार ने २५ हजार रुपये का इनाम इसलिये दिया कि कोई सूटेबिल रंग, पक्का कलर और जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो उसके लिये सुझाव आयें और जिसके लिये लोगों के सुझाव आये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें कुछ फायदा हुआ नहीं। कोई ऐसा सुझाव आया नहीं जो काबिल मंजूरी हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—२५ हजार का इनाम कब घोषित किया गया और उसके बाद भी प्रस्ताव आये हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख तो नहीं बतला सकता कि कब घोषित हुआ लेकिन कोई प्रस्ताव आया नहीं।

श्री गनेशीलाल चौधरी—अगर २५ हजार में माननीय मंत्री को कोई रंग नहीं मिला है तो यह इनाम कम है इस कारण इस रकम को वे बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रकम कम नहीं है। बताने वाले कम हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जो २५ हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है तो वह किन-किन अखबारों में शाया हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसका ढिंढोरा पिटवाया गया और उसके विषय में बतलाया गया। किस अखबार में छपा और किस अखबार में नहीं छपा यह नहीं बताया जा सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कोई डाक्टरों की रिपोर्ट या कोई इस प्रकार का अन्वेषण कराया गया कि यह वनस्पति घी बहुत नुकसानदेह है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो नहीं कराया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि २५,००० रुपया इनाम घोषित करने पर भी कोई रंग प्रस्तुत करने को तैयार नहीं है, उन्होंने कोई दूसरी योजना बनायी है उसकी रोक के लिए या उसके सुधार के लिए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने तो कोई नहीं बनायी।

श्री बदरीनाथ मन्दिर की सम्पत्ति का कथित अपहरण

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसको कोई इस प्रकार की सूचना हाल ही में मिली है कि श्री बदरीनाथ मन्दिर की कुछ सम्पत्ति का अपहरण हुआ है ? यदि हां, तो उस पर पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास इस तरह की जानकारी है कि हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी पायी गयी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—टेम्पिल कमेटी के निकाले हुए कर्मचारी ने अप्रैल, १९५७ में इस तरह की कुछ शिकायत भेजी थी, उसकी जांच करवा ली गयी और ऐसा मालूम होता है कि उसमें कोई सत्यता नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या श्रममंत्री उस जांच की रिपोर्ट सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह जांच सी० आई० डी० के जरिये की गई थी और सी० आई० डी० की जांच की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की मिसाल अब तक कोई है नहीं और न जनहित में ही होगा कि हम यहां रखें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या श्रममंत्री को यह ज्ञात है कि इस मंदिर के सम्बन्ध में संपत्ति के अपहरण किये जाने के बारे में ६ महीने से अधिक हुए, मैंने सदन में सवाल किया था और ३ महीने बाद यह जबाव दिया गया था कि इसमें इसलिए देर हो रही है कि बदरीनाथ मंदिर के पट बन्द हैं, खुलने के बाद उसका जबाव दिया जायगा और अब तक उसका कोई जबाव नहीं दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मुझे अपनी याददाश्त को फिर से दुहराना पड़ेगा, इस वक्त तो मैं नहीं कह सकता कि क्या कहा गया था और क्या सवाल था।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि कतिपय समाचार-पत्रों में बदरीनाथ मंदिर के सम्बन्ध में भ्रामक और असत्य समाचार प्रकाशित हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो गोल सा सवाल आप पूछ रहे हैं ? आप प्रश्न ऐसा कीजिये जो निश्चित हो ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---बदरीनाथ मंदिर के सम्बन्ध में जिस तरह से भ्रामक और असत्य समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, सरकार उसके सम्बन्ध में कोई जांच करवाकर उसका विवरण सदन में उपस्थित करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जो कुछ मैंने निवेदन किया है उससे स्पष्ट है कि सी० आई० डी० से जितने भी लांछन मंदिर और मंदिर की कमेटी के सम्बन्ध में थे उन सबकी जांच करवा ली गयी और यह मालूम हुआ कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि यह कहा जाय कि सम्पत्ति का कोई अपहरण हुआ है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा जो मैं कह रहा हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार उस रिपोर्ट को जो सी० आई० डी० के द्वारा सरकार को मिली है इस प्रकार प्रकाशित करेगी ताकि यह भ्रम जनता का दूर हो जाय जो बदरीनाथ मंदिर के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सी० आई० डी० की की हुई जांच सदन के सामने नहीं रखी जा सकती और सदन इस सम्बन्ध में उस वक्त तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक उसकी जांच रिपोर्ट न मिले, सरकार ऐसे जरिये से जांच करायेगी जिससे उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आ सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मुझे पूरा भरोसा था कि पालीवाल जी हमारे कहने पर विश्वास करेंगे, क्योंकि इस सदन की परम्परा रही है कि जो इधर या उधर से कहा जाय वह माना जाय। सरकार तो जांच से बिलकुल संतुष्ट है। उससे अधिक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और वह जांच हमारे सामने है। मैंने उसी जांच के आधार पर निवेदन किया कि संपत्ति के अपहरण की कोई शिकायत साबित नहीं हो पायी और वह सत्य भी नहीं है।

*२२-२३---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२४-२६---**श्री रामसूरत प्रसाद** (जिला गोरखपुर)---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२८---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---[ग्यारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १३९-१४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में गोवध सम्बन्धी मुकदमे

*२९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस तारीख से गाय या गाय के वन्श को बध न करने का कानून लागू हुआ है, उस तारीख से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक गाय या गाय के वन्श को बध करने के मैनपुरी जिले में कितने मुकदमें चलाये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—दो मुकदमें चलाये गये।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो मुकदमे गो-वध के चले, उनमें क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक मुकदमे में ३ आदमियों को एक-एक साल की कैद सख्त और दूसरे में एक आदमी को तीन महीने की कैद सख्त की सजा हुई।

*३०-३२—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले में हैजा तथा गेस्ट्रोएन्ट्राइटिस से मृत्युएं

*३३—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५७ तक हैजा से शाहजहांपुर नगर और जिले में पृथक-पृथक कितनी मृत्युएं हुई ?

श्री हुकमसिंह विसेन—शाहजहांपुर नगर और जिले में १ मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५७ तक निम्नलिखित संख्या में हैजे तथा "गेस्ट्रोएनट्राइटिस" से मृत्युएं हुईः

शाहजहांपुर नगर	..	..	२८
शाहजहांपुर जिला	..	..	१३६
योग	..	..	१६४

*३४-३५—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—[चौदहवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गन्ना विकास परिषद्, देवरिया द्वारा गन्ना उत्पादकों को पुरस्कार तथा देवरिया पंजाबी गन्ना विकास समिति के कार्य

*३६—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या गन्ना विकास परिषद् देवरिया काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिवर्ष प्रतियोगिता द्वारा पुरस्कार देता है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन व्यक्तियों को किस आधार पर कितना पुरस्कार मिला ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जी हां, जिन व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है उनकी गत तीन वर्षों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। ये पुरस्कार गन्ने की उच्चतम उपज के आधार पर दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६२४-६२६ पर)

*३७—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में देवरिया पंजाबी गन्ना विकास समिति के किस क्षेत्र में कितना विकास का काम हुआ ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---विकास कार्य का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२७ पर)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुरस्कार पाने वालों की जो सूची है वह एक ही परिवार के भिन्न-भिन्न नामों की है, तो क्या सरकार कोई ऐसा निर्देश देने की सोच रही है कि गन्ने का पुरस्कार देने के लिये भिन्न-भिन्न परिवारों को पुरस्कार दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कायदा यह है कि जिसकी सबसे ज्यादा पैदावार होगी उसी को पुरस्कार मिलेगा, वह चाहे जिस परिवार का हो ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---एक ही परिवार के भिन्न-भिन्न आदमियों को लगातार तीन वर्षों से पुरस्कार दिया गया है तो क्या यह पुरस्कार देने की मन्शा के अनुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई ऐसा निर्देश देगी कि पुरस्कार भिन्न-भिन्न परिवार के लोगों को दिया जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जवाब दे दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रथम पुरस्कार दिया है वह कितनी रकम का है और कितना गन्ना पैदा हुआ था जिसके ऊपर पुरस्कार मिला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उसकी पैदावार सबसे ज्यादा थी । अब कितनी हुई, यह मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पंजाबी गन्ना विकास समिति में कुल कितना पुरस्कार बांटा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी इसको देखते हुये कि तीन वर्ष में कुल ६ मील सड़क बनी है उस समिति को यह निदेश करेंगे कि यह काम बहुत कम हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---और होना चाहिये था ।

पीलीभीत जिले में देवरिया कलां डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होने की शिकायत

*३८---श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या पीली भीत जिले में बीसलपुर तथा पूरनपुर सब डिवीजन्स को मिलाने वाली सड़क पर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में कोई डाक्टर नहीं है और वह कम्पाउन्डर द्वारा चलाई जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पीलीभीत जिले में बीसलपुर तथा पूरनपुर सब डिवीजन्स को मिलाने वाली सड़क पर देवरिया कलां नामक डिस्पेंसरी है। वहां अब डाक्टर काम कर रहा है ।

डिस्पेन्सरी उसमानपुर, जिला बाराबंकी के खिलाफ कथित शिकायती-पत्र

*३९--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५७ में डिस्पेंसरी उसमानपुर, बाराबंकी के खिलाय कोई शिकायत के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उनमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*४०--श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)--[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४३--श्री कैलाशकुमारसिंह (जिला बदायूं)--[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--श्री रामस्वरूप वर्मा--[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थागित किया गया।]

*४५-४६--श्री चित्तरसिंह निरंजन (जिला जालौन)--[बारहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७६-७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के अमिला टाउन एरिया में अस्पताल न खुल सकना

*४७--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ में अमिला टाउन एरिया में अस्पताल खोले जाने की जो दरख्वास्त ३ साल पहले तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री को उनके आजमगढ़ के दौरे के समय दी गई थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब तक उपयुक्त स्थान तथा भवन न मिल सकने के कारण अस्थायी रूप से भी अमिला में अस्पताल न खोला जा सका। नवीन नीति के अनुसार एलोपैथिक अस्पताल केवल एन०ई०एस० ब्लाक जहां हो वहीं खोला जा सकता है। यहां ऐसे ब्लाक न होने से अस्पताल खोलना सम्भव नहीं है।

हरदोई जिले के शिरोमन नगर गांव में अस्पताल खोलने की मांग

*४८--श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वह हरदोई जिले में १९५७-५८ में कितने नये अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सन् १९५७-५८ ई० में हरदोई जिले में निम्नलिखित अस्पताल खोले गये :

(१) बाबतमऊ में आयुर्वेदिक औषधालय।

(२) कछौना में प्राइमरी हेल्थ यूनिट। इसके अतिरिक्त अब इस वर्ष और कोई अस्पताल खोलने का निश्चय नहीं है।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी--क्या सरकार को मालूम है कि जिला हरदोई, तहसील शाहाबाद, ग्राम शिरोमन नगर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक औषधालय है जिसके विषय में कुछ आदमियों ने शिकायत लिख कर भेजी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाती हूं कि मैं स्वयं उनके पास गई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था कि वहां औषधालय की तसरु जरूरत है तो मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनके याद दिलाने पर मुझे याद आगया लेकिन धनाभाव के कारण मैं नहीं कर सकता हूं ।

अंधों को सहायता देने के लिये प्रार्थना

*४९---**श्रीमती विद्यावती वाजपेयी**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या सरकार ने प्रदेश में अंधों को आर्थिक सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या सरकार अंधों को सहायता देने के लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---राज्य के गैर सरकारी अन्ध विद्यालयों को प्रति वर्ष सामान्य व्यवस्था तथा अन्य कार्यों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अतर्गत स्थापित दो सरकारी अन्ध विद्यालयों में अन्ध विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबंध सरकारी कोष से किया गया है । १०,००० रुपये की धनराशि अंध तथा मूक बधिर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है ।

*५०---**श्रीमती विद्यावती वाजपेयी**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ऐसे बच्चों के लिये जो पढ़न लिखने में असमर्थ हैं ऐसे केन्द्र खोलने का विचार करती है जहां उनको ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वे अपनी जीविका चलाने भर के लिये योग्यता प्राप्त कर सकें ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग ने अंधे बालकों की शिक्षा के लिये लखनऊ तथा गोरखपुर में अंध विद्यालय तथा मूक-बधिर बालकों के लिये एक विद्यालय आगरा में खोला है । इसी प्रकार निराश्रित बालकों के लिये विभाग ने एक राजकीय बाल निकेतन, कानपुर में तथा दूसरा मथुरा में खोला था, किन्तु अब यह संस्थायें भारत सरकार द्वारा चालित सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत आ गई हैं। कानपुर का बाल निकेतन अब स्टेट होम फार मेन और मथुरा का स्टेट होम फार वीमेन में परिवर्तित हो गये हैं। मथुरा का स्टेट होम अब मेरठ चला गया ह ।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी---क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश में कुछ बीच की उम्र की अंधी महिलायें हैं जो अपना निवास स्थान नहीं छोड़ सकती हैं, जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी परिवरिश के विषय में सरकार ने कुछ सोचा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि १०,००० रुपये की धनराशि है जिससे वार्षिक और माहवारी अनुदान दिया जाता है । जहां तक इन दो विद्यालयों का सम्बन्ध है इनमें भी निर्णय किया गया है कि ३० रुपये महीने का अनुदान दिया जायगा उन छात्र और छात्राओं को जो निराश्रित किस्म के होंगे ।

बन्दरों और कछुओं का निर्यात

*५१---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश से बन्दर और कछुये प्रदेश के बाहर भेजे जाते हैं और उनका व्यवसाय बहुत जोरों में हो रहा है ? यदि हां, तो यह कहां-कहां भेजे जाते हैं और बाहर यह किस कार्य में लाये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- इसकी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है लेकिन यह ज्ञात हुआ है कि बन्दर और कछुये प्रदेश के बाहर भेजे जाते हैं ।

गोरखपुर जिले की गन्ना सोसाइटी, घुघुली पर कर्ज

*५२---**श्री अमर नाथ** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की गन्ना सोसाइटी, घुघुली की आमदनी क्या है और उस पर कितना कर्जा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ जो ३० जून, सन् १९५७ को समाप्त हुआ उसमें गन्ना सोसाइटी घुघुली की आमदनी १,२६,२८३ रुपये हुयी और उस पर २,६९,७१८ रुपये कर्ज शेष रहा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मुरादाबाद जिले में व्यय

*५३--श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला मुरादाबाद में अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ? उस में से कितना वेतन भत्ते में हुआ है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--वहां अब तक कुल १०,३१० रु० ५४ नये पैसे व्यय हुये जिसमें वेतन तथा भत्ते पर क्रमशः ३,४२० रु० ९९ नये पैसे तथा ८७३ रु० ८६ नये पैसे व्यय हुये।

*५४-५६--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)-- [११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगंज, जिला एटा में हैजे की रोकथाम के लिये उचित समय पर कार्यवाही न करने की शिकायत

*५९--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या यह सही है कि सन् १९५७ ई० में कस्बा अलीगंज, जिला एटा में हैजा फैला था ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस में कितने लोगों की मौत हुई, तथा इनमें कितने मर्द, कितने बच्चे और कितनी स्त्रियां मरी थीं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां। अलीगंज कस्बा, जिला एटा में हैजा तथा गैस्ट्रोइन्ट्राईटिस की बीमारी जुलाई तथा अगस्त सन् १९५७ के महीनों में हुई, जिसमें कुल ५७ मृत्युएं हुई जिनमें १६ मर्द, २१ औरतें और २० बच्चे थे।

*६०--श्री भूपकिशोर--क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि हैजा, कस्बा अलीगंज, जिला एटा में किस मुहल्ले से शुरू हुआ था और इसकी रोक-थाम की कार्यवाही सरकारी अस्पताल के डाक्टर द्वारा कब शुरू की गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--बीमारी का संक्रामण अलीगंज कस्बे में गंगा दरवाजा मुहल्ले से ९ जुलाई को शुरू हुआ और उसी दिन से बीमारी की रोकथाम के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निरोधक कार्य शुरू कर दिये गये। बीमारों की चिकित्सा स्थानीय अस्पताल के डाक्टर द्वारा की गई। उक्त अस्पताल के डाक्टर ने हैजा निरोधक टीका लगाने में भी ३ अगस्त से जब तक कस्बे में बीमारी रही पूर्ण सहयोग दिया।

श्री भूपकिशोर--९ जुलाई से अलीगंज में हैजे की शुरूआत हो गई थी लेकिन ३ अगस्त से डाक्टर ने काम शुरू किया है तो उसके पहले काम शुरू न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दवा वगैरह का काम पहले से शुरू कर दिया गया है और टीके लगाने ३ अगस्त से शुरू किये गये।

श्री भूपकिशोर--श्रीमन्, इसमें यह कहा गया है कि स्थानीय डाक्टर ने ३ अगस्त से काम शुरू किया है तो तीन अगस्त से स्थानीय डाक्टर ने काम क्यों शुरू किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके ऊपर की दो पंक्तियां पढ़ी जायं कि दवा वगैरह का काम शुरू किया गया और टीके का काम ३ अगस्त से किया गया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि टीका लगाने का काम ३ तारीख से पहले वहां के डाक्टर ने क्यों नहीं आरम्भ किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---और लोग कर रहे थे । उन्होंने ३ तारीख से शुरू किया । वह दवा दारू करने में लगे थे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका और लोगों से क्या मतलब है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---टीका लगाने हेल्थ डिपार्टमेंट के और बहुत से लोग जाते हैं और वह टीके लगाते हैं । हर जगह स्पेशल स्टाफ भेजा गया है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जब से स्थानीय डाक्टर ने टीके लगाने का काम आरम्भ किया उस समय तक कितनी मौतें हो चुकी थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

***६१---६२---श्री रणबहादुर सिंह** (जिला बस्ती)---[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १४०-१४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्राकृतिक चिकित्सा को मान्यता देने की प्रार्थना

***६३---श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा की उन्नति तथा विकास के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी किसी भी योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है क्योंकि अभी यह चिकित्सा प्रणाली सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है ।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि २ वर्ष हुए जब केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से विधिवत् योजना तैयार करने के लिये कहा था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी और यदि यह सही है...

श्री अध्यक्ष---आप टुकड़ों में प्रश्न पूछें तो अच्छा है । एक-एक सवाल अलग-अलग करें ।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि दो वर्ष हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को विधिवत् योजनायें तैयार करने को कहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त याद नहीं । संभव है कहा हो ।

श्री प्रतापसिंह---क्या प्राकृतिक चिकित्सा को स्वीकार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसको प्राकृतिक चिकित्सा की स्वीकृति देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है। विचार करने के बाद निश्चय होगा कि स्वीकृति दी जाय या नहीं।

*६४---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत के उपनिवेशों में जमीन के लिये आवेदन-पत्र

*६५---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर-खीरी उपनिवेश और पीलीभीत उपनिवेश में आबाद होने और भूमि प्राप्त करने के लिये आजमगढ़ जिले के कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं? उनमें से कितने लोगों को जमीन मिल चुकी है? कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक विचाराधीन हैं?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---खीरी योजना के लिये अब तक ८०६ आवेदन-पत्र आये हैं जिसमें से २२६ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए हैं,। ८५ प्रार्थियों ने भूमि पर अधिकार कर लिये हैं, ५६ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। पीलीभीत के लिये अब तक ४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

*६६---**श्री विश्राम राय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आम जनता को इस योजना की जानकारी के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इसके लिये सरकार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इसके अतिरिक्त गोरखपुर कमिश्नरी के समस्त जिलाधीशों को विशेष रूप से सूचना भेज दी गयी थी तथा उनके द्वारा तहसील स्तर पर व जिला नियोजन समितियों द्वारा योजना का पूरा-पूरा प्रचार हुआ।

*६७---**श्री विश्राम राय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत उपनिवेश का क्षेत्रफल पृथक-पृथक कितना है? और इनमें बसने एवं खेती करने वाले परिवारों को जमीन के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जाती हैं? क्या हरिजनों के लिये कोई विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---लखीमपुर-खीरी योजना का क्षेत्रफल लगभग १२,५०० एकड़ है। पूर्णरूप से सर्वेक्षण न होने के कारण पीलीभीत योजना का क्षेत्रफल अभी तक निश्चित नहीं हो सका है, यद्यपि हमारा लक्ष्य इस योजना के अन्तर्गत १०,००० एकड़ भूमि विकसित करने का है। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत जमीन के अतिरिक्त प्रति पुनर्वासित को १,३०० रुपये मूल्य का एक कमरे वाला पक्का मकान दिया जाता है। शिक्षित उद्योगहीन को २० एकड़ भूमि और १,००० रुपया ऋण तथा भूमिहीन मजदूरों को १० एकड़ भूमि तथा ५०० रुपया ऋण दिया जाता है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त सामूहिक रूप से पुनर्वासितों के लिये अस्पताल, स्कूल पीने के स्वच्छ पानी के कुएं व सिंचाई के लिये नलकूप और मलेरिया बचाव प्रबन्ध और खेती के लिये बीज भंडार भी स्थापित किये गये हैं। हरिजनों को भी उपरोक्त सुविधायें समान रूप से प्राप्त हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत के उपनिवेशों में क्या कोई प्रतिशत हरिजनों के लिये भी एलाट करने के लिये रखा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या पीलीभीत और लखीमपुर-खीरी की योजनाओं में २० एकड़ से अधिक जमीन किसी परिवार को दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां तक मेरी इत्तला है, नहीं दी गयी है ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय मंत्री जी यह बतलावें कि लखीमपुर-खीरी जिले में कितने किसानों की जमीन ली गयी है और कितनों की और लेने का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ठीक तादाद इस समय नहीं बता सकता ।

श्री बंशीधर शुक्ल---कुछ मुआवजा भी लखीमपुर में दिया गया है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---किसी को नकद और किसी को जमीन दी गयी है । देना सब को है ।

श्री विश्रामराय---शेष प्रार्थना-पत्र जो विचाराधीन हैं उनको कब तक जमीन मिल जावेगी ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसे दरख्वास्तें मंजूर हो जावेंगी, वैसे ही मिलेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो ऋण दूकान या मकान बनाने के लिये दिया जाता है वह पुनर्वासन व्यक्तियों को दिया जाता है या सरकार स्वयं मकान बनवाकर देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं इस समय ठीक नहीं कह सकता, शायद मकान बनवाकर दिया जाता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिनको जमीनें नहीं मिली हैं उन्हें, जंगल में ३-३ सौ और ४-४ सौ एकड़ के जो चक पड़े हैं, उनमें बसाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जितनी जमीन ले रहें हैं उसमें बसाने की बात है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी---जिन किसानों की जमीन ली जा चुकी है, क्या मंत्री जी उन्हें दूसरी जगह बसाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिनसे ली गयी हैं उनके पास अभी बहुत जमीनें बाकी हैं और किसी को जमीन दी गयी है और किसी को नकद दिया गया है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---पौंडिया गांव में १०५ किसानों की जमीनें ली गयी हैं और वे उजड़ गये हैं और जहां से आये थे सीधे वहां चले गये हैं, पाकिस्तान ।

श्री अध्यक्ष---यह तो सूचना आप दे रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि लखीमपुर और पीलीभीत जिले के किसानों की जमीनें ली गयी हैं वे उजड़ कर बाहर चले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी मेरी इत्तला नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि छोटे किसानों से जमीन न लेकर बड़े फार्मों वालों से, जो १,००० ,१,००० एकड़ के मालिक हैं उनसे जमीन लेकर बसाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वे भी किसान हैं और उनसे भी ली गयी है ।

*६८---**श्री बंशीधर शुक्ल**---[हटा दिया गया] ।

झांसी जिले के मुख्य अस्पताल के विस्तार करने पर विचार तथा मऊरानीपुर नगर में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*६९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी के मुख्य अस्पताल का विस्तार करने का विचार सरकार का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां ।

*७०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विस्तार करने पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--विस्तार की योजना की रूपरेखा अभी नहीं बनी है । प्रस्तुत होने पर ही धन के व्यय के विषय में बताया जा सकता है ।

*७१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)--क्या सरकार झांसी जिला के मऊरानीपुर नगर में महिलाओं के लिये पृथक अस्पताल कायम करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

बलिया जिले के सिकन्दरपुर अस्पताल में रोगशय्याओं को बढ़ाने की प्रार्थना

*७२--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया के सिकन्दरपुर अस्पताल में भर्तीशुदा कितने रोगियों के लिये चारपाइयां हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--भर्तीशुदा रोगियों के लिये चार चारपाइयां हैं ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--सिकन्दरपुर अस्पताल के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तथा स्थान की कमी महसूस करते हुए, क्या सरकार वहां कोई चारपाइयां बढ़ाने का विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फिलहाल नहीं, नियोजन कमेटी और जिलाधीश अगर प्रस्ताव करेंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

*७३--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--नवें, गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।

कठौड़ा ग्राम, जिला बलिया में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार

*७४--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार बलिया जिले के अन्तर्गत ग्राम कठौड़ा में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अनावश्यक विलम्ब न किया जायगा ।

*७५--श्री बुलाकी राम--[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

जानसठ अस्पताल, जिला मुजफ्फरनगर में अनट्रेण्ड कम्पाउण्डर

*७६—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जानसठ (जिला मुजफ्फरनगर) के अस्पताल में कितने कम्पाउन्डरों की आवश्यकता है और कितने हैं ? उनमें से कितने प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पाये हुए हैं और कितने नहीं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जानसठ अस्पताल, जिला मुजफ्फरनगर में दो कम्पाउन्डरों की आवश्यकता है और वहां दो कम्पाउन्डर पहले से हैं । इनमें से एक प्रशिक्षित और दूसरा अप्रशिक्षित है ।

श्री अहमद बख्श—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका कोई ऐसा आदेश है कि जहां २ कम्पाउन्डर हों वहां एक अनट्रेन्ड रखा जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम चाहते हैं कि हर जगह ट्रेन्ड हों लेकिन अभाव के कारण ऐसा करते हैं ।

श्री अहमद बख्श—तो यह अन्ट्रेन्ड कम्पाउन्डर कब रखे गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अहमद बख्श—क्या सरकार को ट्रेन्ड कम्पाउन्डर नहीं मिलते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कम मिलते हैं । उनको ट्रेन कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम राज्य में जरूरत है ।

भीखमपुर, जिला खीरी में हरिजन सभा पर व्यय

*७७—श्री छेदीलाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में २८-१-५८ को जो सभा स्थान भीखमपुर धनुषयज्ञ में हरिजन सहायक विभाग की ओर से की गयी थी उसमें कितना रुपया खर्च किया गया और किन-किन मदों में ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—कथित सभा २८ जनवरी को नहीं वरन् २९ जनवरी, १९५८ को की गयी थी ।

उसमें १५० रुपये खर्च हुए । इस खर्च का विवरण यों है:—

(१) नोटिस तथा निमंत्रण-पत्र की छपाई के लिये	..	२८ रु० १४ नये पैसे ।
(२) शामियाने का किराया, पन्डाल की सजावट तथा खेल का मैदान ठीक कराने आदि के लिये	.. ..	५१ रु० २५ नये पैसे
(३) खेल कूद में भाग लेने वाले विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिये	.. ..	७० रु० ६१ नये पैसे
योग	..	१५० रुपये

एटा चिकित्सालय को बढ़ाने का विचार

*७८—श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार एटा नगर के चिकित्सालय के पुरुष तथा स्त्रियों के जनरल वार्ड्स का विस्तार करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*७९—श्री रघुवीर सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एटा चिकित्सालय में पंखे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

नवाबगंज, जिला बरेली के सरकारी अस्पताल में भर्ती

*८०—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कस्बा नबाबगंज, जिला बरेली के सरकारी अस्पताल में जून, सन् १९५७ से सितम्बर, १९५७ तक कितने मरीज भर्ती हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बीस ।

*८१—श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५७ से दिसम्बर, १९५७ तक कितने ऐसे मरीज, जिनके (fractures) थे, उपर्युक्त अस्पताल में भर्ती किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई नहीं ।

खलीलाबाद शुगर मिल्स, जिला बस्ती तथा आनन्दनगर शुगर मिल्स, जिला गोरखपुर के मजदूरों का आरबीट्रेशन बोर्ड के विचाराधीन मामला

*८२—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या खलीलाबाद शुगर मिल्स, जिला बस्ती तथा आनन्दनगर शुगर मिल्स, जिला गोरखपुर के मजदूरों द्वारा जो हड़ताल संबंधी नोटिसें दी गई थी, क्या उनसे संबंधित मामले आरबीट्रेशन के सुपुर्द हो गये हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—जी हां ।

*८३—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आरबीट्रेशन बोर्ड के कौन-कौन से सदस्य हैं और इन मामलों में अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की जा चुकी है ?

आचार्य जुगल किशोर—इन दोनों मिलों से संबंधित आरबीट्रेशन बोर्डों के सदस्य श्री जे० एन० सिंह प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर, श्री बी आर० भावेनका, और श्री एस० आर० भवसींका, दोनों मिलों के जनरल मैनेजर तथा श्री काशीनाथ पांडेय एम० पी० हैं । आरबिट्रेशन बोर्ड द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है । बोर्ड ने अभी अपना निर्णय नहीं दिया ।

आगरा जिले में बुढ़ापे की पेन्शन पाने वाले व्यक्ति

*८४—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले से बुढ़ापे की पेन्शन प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा उक्त जिले के जिन लोगों को बुढ़ापे की पेन्शन स्वीकृत की गयी है, क्या सरकार उनकी सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर—आगरा जिले में अब तक कुल ४७२ प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था की पेंशन के लिये प्राप्त हुए हैं । जिन ९५ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, उनके पूर्ण विवरण की एक सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६२८-६३० पर)

पीलीभीत जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा चलचित्र प्रदर्शन

*८५—**श्री बिहारीलाल** (जिला पीलीभीत)—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश हरिजन संचालक विभाग द्वारा चलचित्र प्रदर्शन करने वाली गाड़ी जनवरी, सन् १९५८ में पीलीभीत जिले में भेजी गयी ? यदि हां, तो उसने जिले के कुल कितने गांवों में प्रदर्शन किया ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां। ८ गांवों में तथा १ नगर में।

श्री बिहारीलाल—क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिले के कौन से आठ गावों में तथा नगर में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—किला भवन चौक पीलीभीत नगर, वाहनपुर, मंडरिया, नवादा महेश, पोटा कलां, सिमरिया, धुंधचिआयां, कनकौर, पिपरियादुलई।

श्री प्रतापसिंह—यह गाड़ी पीलीभीत जिले में कितने दिन रही ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—१८ तारीख से २४ तारीख तक।

वाराणसी जिले में हेल्थ यूनिट तथा जच्चा बच्चा केन्द्र खोलने की योजना

*८६—**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ५०० जच्चा-बच्चा तथा शिशु केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है उसमें से कितने जच्चा-बच्चा शिशु केन्द्र वे वाराणसी में स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष वाराणसी जिले में चंदौली नामक स्थान पर एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट खुलना स्वीकृत हुआ है जिसके अन्तर्गत चार जच्चा-बच्चा तथा शिशु केन्द्र खुलेंगे। भविष्य के लिए अभी कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

बाराबंकी के जमुरिया नाले में मिल का गन्दा पानी बहने की शिकायत

*८७—**श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी नगर में बह रहे जमुरिया नाले में वहां की शकर मिल द्वारा जो गन्दा पानी छोड़ा जाता है उसको रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री मुकुटबिहारी लाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नाला शहर के भीतर बह रहा है और जब मंत्री जी गये थे तो उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अगर श्रम मंत्री जी से मतलब है तो मैं उनसे पूछ लूंगा वैसे, हेल्थ अथारिटीज ने कहा है कि इससे सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि मिल से गंदा पानी जिन नालों से बहता है और उनमें जानवर पानी पीते हैं तो वे जानवर बीमार होकर मर जाते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नोटिस की जरूरत है।

नोट:—तारांकित प्रश्न ८७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम मौरना, जिला मुजफ्फरनगर में प्राइमरी हेल्थ यूनिट खोलने का आदेश

*८८—**श्री राजेन्द्रदत्त** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जिला मुजफ्फरनगर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां सरकारी अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब एलोपैथिक अस्पताल प्राइमरी हेल्थ यूनिट की योजना के अन्तर्गत खोले जायेंगे। स्थान का चुनाव जिलाधीश तथा जिला नियोजन समिति की राय से होगा। चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम मौरना में एक ऐसे यूनिट के स्थापित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

ग्राम भटपुरवा, जिला लखीमपुर-खीरी में क्रिमिनल जातियों को बसाने के लिये उपनिवेश की स्थापना

*८९—**श्री राजेन्द्रदत्त**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सन् १९५५ में एक कालोनी ग्राम भटपुरवा, जिला लखीमपुर-खीरी में भूतपूर्व क्रिमिनल जातियों को बसाने के लिये बनवायी गयी थी ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां।

*९०—**श्री राजेन्द्रदत्त**—यदि हां, तो क्या वह पूरी हो गयी ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां।

*९१-९२—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*९३—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९४-९६—**श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में राजकीय औषधालयों पर व्यय

*९७—**श्री शीतलाप्रसाद सिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार गोंडा जिले के कुल राजकीय औषधालयों के वार्षिक खर्च का ब्योरा बताने की कृपा करेगी कि कितना वेतन आदि पर व कितना धन औषधि पर खर्च किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोंडा जिले के समस्त राजकीय औषधालयों के वार्षिक खर्च का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

		रु०
(१)	औषधि	४७,३०६
(२)	वेतन	१,१४,९५३
(३)	अन्य खर्च	५२,४५८

*९८-१००—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किय गय।]

महिला अस्पताल, झांसी में शैयाएं

*१०१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के सरकारी जनाने अस्पताल में कितने मरीजों के रखने की व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—महिला अस्पताल झांसी में २० शैयाओं की व्यवस्था है ।

प्रेम मिल, उझानी, जिला बदायूं के मजदूरों का बक़ाया वेतन

*१०२—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि प्रेम मिल, उझानी, जिला बदायूं के मजदूरों का वह वेतन जो तारीख २९-६-५५ से बकाया है और जिसके सम्बन्ध में लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल, लखनऊ का फैसला हो चुका है तथा हाई कोर्ट में रिट के दाखिल होने पर भी देय प्रमाणित हो चुका है, अभी तक अदा नहीं किया गया है ? यदि उक्त बकाया अदा नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां। अवार्ड के अधीन श्रमिकों को मिलने वाले रुपये में से २१,००० रु० हाई कोर्ट इलाहाबाद में और ३४,००० रु० बदायूं पोस्ट आफिस में जमा है । दोनों पक्षों ने रुपया निकालने के लिये हाई कोर्ट को एक सम्मिलित आवदन-पत्र दिया ह । दोनों पक्षों के मध्य २ फरवरी, १९५८ को एक समझौता हो गया है । इस समझौते के अनुसार १३ जनवरी, १९५८ से प्रत्येक श्रमिक को रेवाइज्ड ब्लाक वेज मिलेगा और बकाया हाई कोट से रुपया वापस मिलने पर शीघ्र बांट दिया जायगा । अभी हाई कोर्ट से यह रुपया मिला नहीं है ।

*१०३—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर—समझौते के कारण किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

कृषि विभाग के सुपरवाइजर्स

*१०४—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में Agriculture Department में कुल कितने supervisors इस समय कार्य कर रहे हैं ? इन सुपरवाइजर्स में कितने (permanent) और कितने temporary हैं तथा temporary supervisors की अधिक से अधिक कितनी सर्विस हो चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय कृषि विभाग में कुल १,३३४ सुपरवाइजर्स हैं इनम से १८९ स्थाई हैं और शेष अस्थाई हैं । अस्थाई सुपरवाइजरों की अधिक से अधिक सर्विस १६ वर्ष की हो चुकी है ।

*१०५—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०६—**श्री जगन्नाथ चौधरी**—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१०७—**श्री श्रीनिवास** (जिला अलीगढ़)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

सिविल सर्जन वाराणसी को सारनाथ में महिला चिकित्सालय खोलने के लिये दिया गया कथित धन

*१०८—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वैसाखी पूर्णिमा २३ मई, १९५६ को २,५०० वीं बुद्ध जयन्ती समारोह पर सरकार ने वाराणसी के सिविल सर्जन को ३१ हजार रुपया सारनाथ, जिला वाराणसी महिला अस्पताल खोलने के लिये दिया था ? अगर दिया था, तो अभी तक अस्पताल क्यों नहीं खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, न तो कोई रुपया दिया गया और न कोई ऐसा प्रस्ताव ही था ।

*१०९—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कपड़ा मिल्स बन्द होने से श्रमिकों में बेकारी

*११०—श्री कल्याण चन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में तीन महीने के अन्दर कौन-कौन सी कपड़े की मिल तथा कौन-कौन सी चीनी मिल बन्द हो गयीं तथा कितने आदमी इन मिलों के बन्द होने से बेकार हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—गत तीन मास के अन्दर प्रदेश में कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं हुई । जहां तक कपड़े की मिलों का सम्बन्ध है उनका विवरण इस प्रकार है :—

(१) मेसर्स जान मिल नं० २, आगरा—यह मिल १४ फरवरी, १९५८ ई० से बन्द है और ३७० श्रमिक प्रभावित हुए हैं ।

(२) मेसर्स जान मिल नं० ३, आगरा—इस मिल ने 'सी' शिफ्ट (नाइट शिफ्ट) मिल नं० ४ के खुलने पर २०-२-५८ को बन्द कर दिया । जिससे १११ श्रमिक प्रभावित हुए ।

(३) मेसर्स बनारस काटन सिल्क मिल्स, वाराणसी—दो मोटरों के टूट जाने के फलस्वरूप इस मिल का वीविंग सेक्शन १ मार्च, १९५८ को बन्द हुआ और १५० श्रमिक प्रभावित हुए ।

(४) मेसर्स जनरल फाइबर डीलर्स, लखनऊ—इस मिल के वाइन्डिंग तथा साईजिंग महकमे २१ दिसम्बर, १९५७ को बन्द किय गय जिसस ४३९ श्रमिक प्रभावित हुए । १ फरवरी, १९५८ को मिल के ब्लो-रूम, कार्डिग, ड्राइन फ्रेम तथा रिंग फ्रेम महकमे बन्द किये गये जिससे १४६ श्रमिक प्रभावित हुए । इस समय मिल के स्पिनिंग विभाग का एक पूरा शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट आंशिक रूप से काम कर रहा है ।

(५) मेसर्स बी० आई० सी० लिमिटेड, (कानपुर काटन मिल्स ब्रांच) कानपुर—इस मिल में २ दिसम्बर, १९५७ से श्रमिकों को अधिकांश संख्या में बैठकी पर बराबर रखा जा रहा है । जिससे २,८०० से ऊपर श्रमिक प्रभावित हैं । श्रमिकों को बैठकी का मुआवजा बराबर दिया जा रहा है ।

चार सौ रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सम्बन्धी वर्तमान सुविधायें न देने का सुझाव

*१११—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जन-स्वास्थ्य रक्षार्थ गरीबों की मुफ्त दवा पर सन् १९५६-५७ ई० में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग ४२,१४,००० रुपये ।

*११२—**श्री रामसूरत प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में चार सौ रुपये तथा उससे अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों की मुफ्त दवा तथा Re-imbursement पर सन् १९५६-५७ ई० में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११३—**श्री रामसूरत प्रसाद**—क्या सरकार विचार करेगी कि चार सौ रुपये व अधिक वेतन भोगी समस्त सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की मुफ्त दवा तथा Re-imbursement की सुविधा समाप्त कर दी जाय और साधारण नागरिकों की भांति उनको भी दवा हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—४०० रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों में उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं । उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवार की वर्तमान चिकित्सा की सुविधायें समाप्त करने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं रखती । जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसा न करे यह समुचित न होगा कि प्रदेशीय कर्मचारियों के परिवार की यह सुविधायें घटा दी जायं ।

खातौली शुगर मिल्स , मुज़फ्फरनगर की मजदूर यूनियन द्वारा हड़ताल का नोटिस वापस लेना

*११४—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि खातौली शुगर मिल्स, मुजफ्फरनगर की मजदूर यूनियन ने अपनी कठिनाइयों के निवारणार्थ मजबूर होकर १५ फरवरी, १९५८ से हड़ताल करने का नोटिस दिया हुआ है ?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां ।

*११५—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—यदि यह सूचना सत्य है, तो उद्योग मन्त्री जी ने मजदूर यूनियन की न्यायोचित मांगों को मिल मालिकान द्वारा मनवाने का क्या प्रयत्न किया है ?

आचार्य जुगल किशोर—दोनों पक्षों में १२-२-५८ को प्रादेशिक संराधन अधिकारी मेरठ द्वारा समझौता करा दिया गया ।

*११६—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—क्या वित्त मंत्री यह भी कोशिश कर रहे हैं कि उक्त हड़ताल १५ फरवरी से न हो ? यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगल किशोर—१२-२-५८ को हड़ताल नोटिस वापस ले ली गयी, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

*११७—**श्री शोभनाथ** (जिला मिर्जापुर)—[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

राजकीय औषधालय भीमापार, जिला गाजीपुर में रोगी शैय्याएं

*११८—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भीमापार, गाजीपुर राजकीय औषधालय में कितने बेड दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—भीमापार, गाजीपुर के राजकीय औषधालय को ४ बेड दिये गये हैं ।

पीलीभीत जिले में हरिजन सम्मेलनों पर व्यय

*११९—**श्री बिहारीलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा जनवरी, सन् १९५७ से दिसम्बर, सन् १९५७ तक कितने हरिजन सम्मेलन किये गये ?

श्री मंगलाप्रसाद---दो सम्मेलन ।

*१२०---श्री बिहारीलाल---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त सम्मेलनों में कुल प्रत्येक पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद---एक पर १५० रुपये और दूसरे पर ५७ रुपये ८७ नये पैसे ।

*१२१-१२२---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री वल्देव सिंह (जिला गोंडा)---[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १६१-१६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बरेली जिले में एच० आर० शुगर फैक्टरी से निकलने वाले गन्दे नाले के विरुद्ध नेकपुर ग्राम वासियों की शिकायत

*१२३---श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में एच० आर० शुगर फैक्टरी से कोई नाला गन्दे पानी का निकलता है और श्री मोहन लाल के ट्यूब-वेल के बाद वह कच्चा है ?

आचार्य जुगल किशोर---एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली से उत्प्रवाहों को बहाने के लिये एक नाला निकलता है जो श्री ब्रजमोहन लाल के ट्यूबवेल के एक फरलांग आगे तक पक्की है ।

*१२४---श्री रूमसिंह---क्या यह सही है कि गन्ना के सीजन में पानी कच्चे नाले से इधर-उधर पास के खेतों में चला जाता है और परिणामस्वरूप हजारों रुपयों की फसल का नुकसान ग्राम नेकपुर के किसानों का हर साल होता है ?

आचार्य जुगल किशोर---जी नहीं ।

*१२५---श्री रूमसिंह---क्या यह सही है कि नेकपुर निवासियों द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच किये जाने पर उक्त शिकायत सही साबित हुई थी ? यदि हां, तो फैक्टरी द्वारा उस नाले का प्रबन्ध अब तक क्यों नहीं किया गया ?

आचार्य जुगल किशोर---नेकपुर ग्राम के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच की थी । जांच के फलस्वरूप उक्त कारखाने ने सन् १९५७ में ४०० फुट पक्का नाला बनवाया तथा ८०० फुट नाले को ऊंचा किया एवं उसका पुश्ता बांधा ।

*१२६---श्री नारायणदत्त तिवारी---[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२७-१२८---श्री अब्दुललतीफ नोमानी (जिला आजमगढ़)---[११ अप्रैल, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

दुदही, जिला देवरिया में सरकारी अस्पताल की आवश्यकता

*१२९---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह दुदही, जिला देवरिया में इस वर्ष सरकारी अस्पताल स्थापित करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं ।

ग़रीब गर्भवती स्त्रियों के लिये दुग्ध वितरण

*१३०---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दूध बांटने की योजना के अन्तर्गत कितने जिलों में और शहरों में दूध बांटा जा रहा है और वह जिले व शहर कौन-कौन से हैं ?

श्री हुक्मसिंह विसेन---इस समय प्रदेश में निम्नलिखित ७ नगरों तथा ४ जिलों के विशेष ग्रामों में दूध बाँटा जा रहा है :---

नगर		जिले
१---लखनऊ	..	१---गोरखपुर
२---कानपुर	..	२---गाजीपुर
३---इलाहाबाद	..	३---बुलन्दशहर
४---वाराणसी	..	४---सहारनपुर
५---आगरा		
६---मुजफ्फरनगर		
७---बस्ती		

इनके अतिरिक्त इस योजना को निम्नलिलित शहरों तथा नगरों में आरम्भ करने के लिये आदेश भेजे जा चुके हैं :---

नगर		जिला
१---अल्मोड़ा	..	१---खीरी
२---टेहरी	..	२---बिजनौर
३---देहरादून	..	३---मिर्जापुर
४---झांसी	..	४---हमीरपुर
५---बांदा	..	५---बहराइच
६---बलिया	..	६---बस्ती
७---अलीगढ़	..	७---आजमगढ़

*१३१---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिलाओं में मुफ्त दूध बांटने की योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी ? यदि हां, तो कब तक और उस पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होगा ?

श्री हुक्मसिंह विसेन---अभी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

सरसंधान यूनियन आफिस, जिला सहारनपुर के समक्ष गन्ना उत्पादकों द्वारा सत्याग्रह करने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है । इसको मैं सिर्फ पढ़कर सुनाये देता हूं । चूंकि वह निश्चत नहीं है और बहुत पुराना भी मामला उसमें मौजूद है, इसलिये इसको अवैध करार देता हूं लेकिन पढ़कर इसलिये सुनाये देता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना हो तो करें---

"डिप्टी केन कमिश्नर द्वारा ९ जनवरी, १९५६ को विश्वास दिलाये जाने के बावजूद कोआपरेटिव रजिस्ट्रार सहारनपुर द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों की दो साल से निकाली हुई (डिडक्टेड) रकम न देने के कारण उन गन्ना उत्पादकों ने सरसंघा यूनियन आफिस जिला सहारनपुर के समक्ष शान्तिपूर्ण सत्याग्रह तारीख १८ मार्च से आरम्भ कर दिया है जिसके कारण वहां विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है और जनता में सरकार द्वारा डिप्टी केन कमिश्नर के द्वारा दिये गये वायदों को पूरा न कराने के कारण भीषण असंतोष व्याप्त हो गया है ।

अतः सदन इस आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है ।"

१९५७–५८ की सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों का पदकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया निमावली के नियम १६३ के उप-नियम (२) के अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों का पदकाल वित्तीय वर्ष होता है और चूंकि इस द्वितीय विधान सभा का अप्रैल, १९५७ में निर्माण के उपरान्त १९५७–५८ के लिये सार्वजनिक लेखा समिति का निर्माण सितम्बर, १९५७ में हुआ था अतः यह सदन निश्चय करता है कि १९५८–५९ के लिये सार्वजनिक लेखा समिति का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, को स्थगित किया जाय तथा उक्त नियम को निलम्बित करते हुए, वर्तमान सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों के पदकाल को ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जो यह समिति बनी थी वह सितम्बर, १९५७ में बनी थी । इसको हम चाहते हैं कि सितम्बर, १९५८ तक चले क्योंकि नियमों में भी इस बीच कुछ परिवर्तन होने जा रहा है । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय त्रिलोकी सिंह, पालीवाल जी, दुबे जी, ऊदल जी आदि माननीय सदस्यों से अलग-अलग बातचीत कर ली । इसके लिये सब लोग सहमत हैं । मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १६३ के उप नियम (२) के अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों का पदकाल वित्तीय वर्ष होता है और चूंकि इस द्वितीय विधान सभा का अप्रैल, १९५७ में निर्माण के उपरान्त १९५७–५८ के लिये सार्वजनिक लेखा समिति का निर्माण सितम्बर, १९५७ में हुआ था, अतः यह सदन निश्चय करता है कि १९५८–५९ के लिये सार्वजनिक लेखा समिति का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, को स्थगित किया जाय तथा उक्त नियम को निलम्बित करते हुए, वर्तमान सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्यों के पदकाल को ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के सदस्यों का पदकाल बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियम १ के उप-नियम (ङ) के अनुसार उक्त समितियों के सदस्यों का कार्यकाल वित्तीय वर्ष होता है परन्तु चूंकि द्वितीय विधान सभा का निर्माण अप्रैल, १९५७ में होने के फलस्वरूप १९५७-५८ के लिये इन समितियों का संघटन सितम्बर, १९५७ में हुआ था अतः यह सदन निश्चय करता है कि इन समितियों का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है, वह स्थगित किया जाय तथा उक्त नियम को निलम्बित करते हुए १९५७–५८ के लिये निर्मित स्थायी समितियों के सदस्यों का पदकाल ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय ।

जैसा मैंने पहले कहा है कि ये समितियां बनायी तो गयीं लेकिन इनमें से बहुत सी समितियों की मीटिंग हुई भी नहीं । हम ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि इनकी मीटिंग हो जाय और इसके लिये मैंने विरोधी दल के सब नेताओं से बातचीत कर ली है और सब लोग इससे सहमत हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने बतलाया कि वे नियमों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं यह चाहता हूं कि वे इसकी कुछ रूप रेखा बतला देते कि किस दिशा में वे नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री अध्यक्ष—यह इस समय नहीं बतला सकते हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—आप तो उस मीटिंग में हैं ही ।

श्री अध्यक्ष—स्टैंडिंग कमेटी के सिलसिले में नियम का सवाल नहीं है, जो प्रक्रिया नियमावली है, उसके लिये जो समिति बनी है उसमें यह प्रश्न थोड़े दिनों के बाद ही आयेगा ।

प्रश्न यह है कि मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियम १ के उप-नियम (ङ) के अनुसार उक्त समितियों के सदस्यों का कार्यकाल वित्तीय वर्ष होता है, परन्तु चूंकि द्वितीय विधान सभा का निर्माण अप्रैल, १९५७ में होने के फल-स्वरूप १९५७-५८ के लिये इन समितियों का संघटन सितम्बर, १९५७ में हुआ था, अतः यह सदन निश्चय करता है कि इन समितियों का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है, वह स्थगित किया जाय तथा उक्त नियम को निलम्बित करते हुए १९५७-५८ के लिये निर्मित स्थायी समितियों के सदस्यों का पदकाल ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—तो यह दूसरा प्रस्ताव जो है, विधान परिषद् के सामने भी जायगा सहमति के वास्ते, क्योंकि यह दोनों सदनों की सम्मिलित समिति थी । चूंकि इसके लिये चुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया था यानी २६ मार्च नामजदगी के लिये और ४ अप्रैल चुनाव के लिये नियत थी, इसलिये अब उस कार्यक्रम को मैं स्थगित करता हूं जो कि सार्वजनिक लेखा समिति के बारे में तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के बारे में निश्चित था । चुनाव के लिये आगे का कार्यक्रम गर्मी के बाद जो इस सदन का अगला सत्र होगा या बैठक होगी उस समय निश्चित होगा, लेकिन चुनाव ३० सितम्बर के पहले ही होगा ।

प्रकीर्ण ज्ञातव्यतायें

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे यह बतलाने की कृपा करें कि असेम्बली के भविष्य का कार्यक्रम क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—अगले हफ्ते का ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी हां ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, वह तो नियमानुसार मैं सोमवार को ही बतला सकूंगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि ऐडवाइजरी कमेटीज यहां बना तो दी जाती हैं, मगर उनकी मीटिंग नहीं होती । कम से कम ३ महीने में एक मीटिंग तो हो ।

श्री अध्यक्ष—आपने वादा सुन लिया श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी का, जो उन्होंने कहा कि कमेटियों की बैठकें गर्मी में काफी होंगी ।

कुंवर श्रीपाल सिंह—तीन-तीन महीने में एक भी मीटिंग नहीं होती है तो इसका बनाना ही बेकार है ।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला दिया है कि मीटिंग्स काफी होंगी ।

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना अनुदान पेश करेंगे ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं । श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ में यह लिखा हुआ है कि हाउस की बैठक ११ बजे से होगी, तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज साढ़े १० बजे हाउस कैसे बैठ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—ऐसा निर्णय सदन ने कल ले लिया था और सदन को अधिकार है कि नियम को निलम्बित करके वह अपनी बैठक का समय बदल ले,इसलिये सदन अपने निश्चय से ही बैठा है । अब आप का जबाव मिल गया, अधिक बहस इस पर नहीं हो सकती ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैं जानना चाहता हूं कि २४ तारीख को इर्रिगेशन होगा या उसमें भी कोई तरमीम होगी यानी सोमवार को सिंचाई का अनुदान होगा या और कोई ग्रान्ट होगी ?

श्री अध्यक्ष—सिंचाई मंत्री जी के ९, १० और ४४ नम्बर के अनुदान हैं जो क्रमशः राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, सिंचाई स्थापना पर व्यय और राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन, के लिये हैं, ये अनुदान २४ को होंगे, बाद के संबंध में २७ तक की मैं सूचना दे चुका हूं ।

१९५८–५९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष सन् १९५८–५९ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान के लिये विवाद होगा । कल उठते समय अनुदान संख्या १८ पर विचार हो रहा था और माननीय शिक्षा उपमंत्री जी का भाषण हो रहा था । वे अपना भाषण जारी रखेंगे ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—श्रीमन्,कल मैं माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा था । माध्यमिक शिक्षा में हमारा ३ दिशाओं की ओर ध्यान है । पहली तो यह कि इसमें अभी प्रसार की आवश्यकता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५०० जूनियर स्कूल खुलने हैं और उसमें से प्रति वर्ष एक निर्धारित संख्या खुलने जा रही है । दूसरी यह है कि जो स्कूल हैं उनका स्तर ऊंचा हो सके और उनमें पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके । इसके लिये उनको अनुदान दिया जा रहा है जिससे वह सज्जा ले सकें, पुस्तकालय स्थापित कर सकें और तीसरी दिशा यह है कि हमने अपनी प्राइमरी पाठशालाओं में बेसिक शिक्षा भी कर दी है और उससे सम्बन्ध स्थापित रखने के लिये जूनियर स्कूलों में भी बेसिक शिक्षा, जो कि शिल्प को केन्द्र मानकर चलती है, उसको करना चाहते हैं । विशेष शिल्प जो हमने माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत रखा है वह कृषि है जो हमारे प्रदेश का विशेष व्यवसाय है । लगभग २,११८ स्कूलों में मार्च, ५७ में कृषि की शिक्षा दी जा रही है । किन्हीं खास स्थानों में कृषि की शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां भूमि नहीं है, शहरों में ऐसा है वहां पर हमने शिल्प को इन्ट्रोड्यूस किया है और शिल्प की शिक्षा का हम प्रबन्ध करते चलते हैं । केन्द्रीय सरकार की ओर से एक सुझाव यह भी आया था कि माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य विज्ञान की

[श्री कैलाश प्रकाश]

पढ़ाई का होना भी आवश्यक है, उसका भी हम प्रबन्ध करते रहते हैं और चालू साल में भी जो यह बजट का वर्ष है इसमें भी सामान्य विज्ञान का प्रबन्ध कुछ विद्यालयों में किया जायगा।

जहां तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है उसमें बहुत प्रसार हुआ है। सन् १९४६ में हमारे यहां करीब ५०६ ऐसे विद्यालय थे और १९५६-५७ में वह बढ़कर १,५३३ हो गये। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिकांश सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं और विशेषकर जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है इन संस्थाओं के संचालन में कठिनाई हो रही है। हमारा विशेष प्रयत्न है कि ऐसे विद्यालयों को अनुदान देकर उनकी स्थिति को सुधारा जाय, उनके भवन बनाने के लिये, पुस्तकालय के लिये विशेषकर धन दिया जाता है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकगण को एक विशेष कठिनाई प्रतीत होती है और उसकी ओर श्रीमन्, ध्यान भी गया। एक तो बहुधा इस किस्म की शिकायतें आयी हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा उस पर प्रश्न भी किये गये हैं कि जो शिक्षक इन विद्यालयों में काम करते हैं उनको समय से वेतन नहीं मिल पाता या उनको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिल पाती या महंगाई भत्ता शिक्षा के रूप में जो वसूल किया जाता है वह भी ठीक समय से नहीं मिलता और अगर मिलता है तो समय से नहीं मिलता। इस तरीके की बहुत सी बातें सामने आयीं और यह भी महसूस किया गया आज से नहीं काफी दिन से, कि इन विद्यालयों के प्रबन्ध में कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए श्रीमन्, सदन के सामने एक विधेयक उपस्थित किया गया है, जो माननीय सदन ने प्रवर समिति को विचारार्थ भेज रखा है। उस विधेयक के पारित होने के पश्चात हम आशा करते हैं कि जो यह बहुत सी दिक्कतें शिक्षकों के वेतन, उनकी सेवाओं, सुरक्षा, उनके अवकाश के नियमों, उनके स्थायित्व, उनके झगड़ों का निपटारा करने की हैं, उस विधेयक के पारित होने के पश्चात्, वह दिक्कतें कुछ कम हों।

इस दिशा में कभी-कभी यह सुझाव आता है कि इन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को नैशनाइलाज कर लिया जाय। श्रीमन्, मैं तो इस शब्द के मानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास समझ नहीं पाया क्योंकि मैं समझता हूं कि जो शिक्षा आज राजकीय विद्यालयों में दी जा रही है। या सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दी जा रही है वह सब राष्ट्रीय है, नेशनल है उसको नैशनलाइज करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन अगर इस शब्द से मतलब यह हो कि उनका राज्यकरण कर दिया जाय तो भी हमने प्रजातन्त्र को स्थापित किया है। मैं तो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में तमाम शिक्षा का राज्यकरण कर दिया जाय, बहुत उचित नहीं समझता हूं। लेकिन यह मांग आने के कारण दो चीज सामने आते हैं, एक तो शिक्षकों की दिक्कतें हैं जो उनको महसूस होती हैं प्राइवेटली मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस में। दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह बात महसूस करती हैं कि उनको चला नहीं पाती हैं। हमने इन दोनों प्रश्नों की ओर काफी गम्भीरता से विचार किया है और इस कमी के दूर करने के प्रयत्न में भी लगे हैं। एक तो यह प्रयत्न किया कि जो ग्रेड मैंडेटरी इन प्राइवेट संस्थाओं को देना है और प्रति वर्ष जो वेतन वृद्धि शिक्षकों की होती रहती है और चूंकि इन संस्थाओं की आय बढ़ नहीं पाती है इसलिए उनका बहुत कुछ भार वेतन वृद्धि का सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है। और जो अनुपालन अनुदान दिया जाता है उस अनुपालन अनुदान में वेतन वृद्धि का काफी हिस्सा जो बढ़ता चला आया है वह सरकार देती है जिसके द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि संस्थाओं को वेतन वृद्धि देने में सहूलियत होगी। जो कुछ भी संस्थायें हैं और पिछड़े क्षेत्रों में भी या जिन क्षेत्रों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और जहां उनको कोई विशेष धन उपलब्ध नहीं हो सकता है, उन विद्यालयों को विशेषकर सहायता देने के लिए इस बार हमने बजट में ५० हजार रुपये की धनराशि रखी है। इस पचास हजार रुपये की धनराशि से ऐसे विद्यालयों को जो ऐसे क्षेत्रों में है विशेष रूप से सहायता की जायगी जिससे कि वह अपना कार्य कर सकें।

इसी सम्बन्ध में श्रीमन्, प्रश्न उठता है और आया भी है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ राजकीय विद्यालय हैं और कुछ अराजकीय विद्यालय हैं। उन दोनों में शिक्षक काम करते हैं, वह समान काम करते हैं, लेकिन उनके वेतन में एक फर्क है। वह सही बात है और अपनी जगह यह भी सही बात है कि इस सिद्धान्त से इन्कार नहीं किया जा सकता कि समान कार्य और समान वेतन का सिद्धान्त ठीक है। इस बात पर हमने विचार भी किया है। समान वेतनक्रम करने में जो खर्चा आता है विभाग द्वारा उसके कुछ आंकड़े लेने के प्रयत्न किये तो वह आंकड़े बहुत आते हैं। इस दिशा में शिक्षकों से भी बात हुई। उनके प्रतिनिधियों से भी बात हुई। उनके ख्याल से अगर समान वेतन किया जाय तो वह आंकड़े बहुत कम आते हैं। दोनों तरफ से दिये हुए आंकड़ों में बहुत काफी अन्तर है। इसके लिए श्रीमन्, हमने शिक्षकों के प्रतिनिधियों से कहा कि वह सहायता करें और जो आंकड़े विभाग के द्वारा निकाले गये हैं या उनके द्वारा निकाले गये हैं उन दोनों को देखें कि कहां अन्तर है जिससे कि इस स्थिति पर हम पहुंच सकें कि यदि समान वेतन करना है तो क्या खर्चा करना पड़ेगा और जब इस निश्चित स्थिति पर पहुंच जायेंगे तभी उस प्रश्न के ऊपर कुछ निर्णयात्मक विचार किया जा सकता है। लेकिन इस चीज से सहानुभूति है। यह माननीय मन्त्री जी कई दफा कह भी चुके हैं और वह बात अब भी है। श्रीमन्, जहां तक शिक्षकों की और सुविधाओं का सम्बन्ध है उनमें इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जो नियमानुसार उनको सुविधायें मिलनी चाहिये और वह उनको प्राप्त नहीं हो रही हैं उनमें शीघ्रता की जाय। जैसे उनके ऐग्रीमेंट भरने का प्रश्न था, जैसे उनके प्राविडेंट फंड मिलने का प्रश्न था, इन सब चीजों में शीघ्रता की जाय और कुछ अनुभव से मैं यह भी कह सकता हूं कि इस दिशा में प्रगति हुई है। श्रीमन्, यह भी प्रयत्न किया गया कि जो शिक्षक ट्रेंड नहीं है और यह विशेषकर भाषा के शिक्षक, कला के शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो थे इनके लिए सेवारत प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है जिससे कि वह अपनी सर्विस में रहते हुए प्रशिक्षण ले सकें और प्रशिक्षण लेने के पश्चात् उनको अपना वह वेतन क्रम मिल सके और वह ठीक तरीके से काम कर सकें।

श्रीमन्, जब विश्वविद्यालय या डिग्री क्लासेज की बात की जाती है तो यहां एक प्रश्न अक्सर आया है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की ओर से तीन साल का जो कोर्स चाहते हैं वे, उसके विषय में हमने क्या किया? इस विषय में हमारी नीति यह है कि जहां तक हमारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है उसको तो हम छेड़ना नहीं चाहते, वह तो इसी तरह से रखना चाहते हैं। लेकिन यदि केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि विश्वविद्यालयों में और डिग्री में तीन साल का कोर्स स्थापित किया जाय तो हम करने को तैयार हैं बशर्ते कि जो खर्चा तीन साल का डिग्री कोर्स करने में हो वह केन्द्रीय सरकार से या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से मिल सके। क्योंकि हमारा अनुमान यह है कि उसमें काफी खर्चा होने वाला है।

(व्यवधान)

माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने मेरा ध्यान घड़ी की तरफ दिलाया है। श्रीमन्, अब मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। एक या दो बातों की तरफ विशेषकर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बजट में माननीय सदस्य देखेंगे कि कुछ जिलों में हम पुस्तकालय खोलने का भी प्रबन्ध करने जा रहे हैं। करीब-करीब ९ जिलों में भवन बन चुके हैं और यह आशा करते हैं कि शीघ्र ही उनमें पुस्तकालय स्थापित हो जायंगे। इन पुस्तकालयों से जहां आम लोगों को फायदा होगा वहां शिक्षकों को विशेषकर फायदा होगा। क्योंकि आज जो शिक्षक एक दफा सर्विस में चले जाते हैं उनको अपने ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता होती है ठीक तरह से काम करने के लिये, यह सुविधा उन्हें अभी तक नहीं है। हमारा प्रयत्न यह है कि उसको इस तरह की सुविधा प्राप्त हो जाय। और कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम के अनुसार हमारे प्रदेश में दो जगहें इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि जो शिक्षक हैं उनको स्वतः ज्ञान प्राप्ति के लिये, ज्ञान वृद्धि के लिये कुछ सुविधायें दी जायं। वह सुविधायें दी जा रही हैं।

[श्री कैलाश प्रकाश]

जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और सभी का इस से सम्बन्ध रहता है । और फिर हमारा तो यह बजट ऐसा है और यह क्षेत्र भी ऐसा है कि जिसका करीब-करीब ६९ फीसदी रुपया तो अनुदान के रूप में खर्च होता है । यानी वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्राथमिक शिक्षा के लिये, जूनियर शिक्षा के लिये, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये जो अनुदान के रूप में दिया जाता है जितना यह बजट है उसका करीब ६९ फीसदी रुपया अनुदान के रूप में दिया जाता है । और उससे सभी का सम्बन्ध हो जाता है । इसके प्रशासन का बहुत सम्पर्क रहता है माननीय सदस्यों से । उस सम्पर्क के नाते, उनके अनुभव के नाते हम चाहेंगे कि ऐसे रचनात्मक सुझाव आवें जिनके द्वारा और भी शिक्षा में हम उन्नति कर सकें ।

केवल एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । कभी-कभी हमारे प्रदेश के शिक्षा के बजट की दूसरे प्रदेशों के शिक्षा के बजट से तुलना की जाती है । (दूसरे प्रदेशों में और हमारे प्रदेश में जो हमारे बजट की व्यवस्था है उनमें एक भिन्नता है ।) हमारे यहां टेक्निकल शिक्षा कुछ दूसरे विभागों के द्वारा चलती है और श्रीमन्, सभी विभाग अपनी-अपनी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं । कुछ प्रदेशों में टेक्निकल शिक्षा और जनरल शिक्षा एक साथ है और उनका जितना खर्चा टेक्निकल और जनरल एजूकेशन पर होता है वह सब एक ही हेड में दिखाया जाता है तो स्वभावतः उनका प्रतिशत कुछ बढ़ जाता है । हमारे यहां टेक्निकल शिक्षा दूसरे विभागों के द्वारा होती है जिन-जिन विभागों की वह है । जो शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाता है वह सामान्य शिक्षा का है । मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है वह सदन स्वीकार करेगा ही और यह भी आशा करता हूं कि अच्छा स्तर बढ़ाने के लिये और जो मांग माननीय सदस्यों की ओर से रही शिक्षा में सुधार करने के लिये, उसके लिये तो कहीं और अधिक धन की आवश्यकता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार की ओर से जो अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक ३६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १६,१०,४५,८०० रुपये की मांग रखी गयी है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं । मैं बड़ा भारी आभारी हूं कैलाश प्रकाश जी का कि उन्होंने अभी कहा कि मैंने उनका ध्यान घड़ी की ओर आकृष्ट किया, तो वह इसलिये किया कि इलेविन्थ आवर जिसको कहते हैं वह घड़ी में बज रहा था और शिक्षा का भी इलेविन्थ आवर है ।

श्री अध्यक्ष---ठीक १२ बजे हैं ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---१२ का खतरा तो नहीं है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मुझे नहीं, उधर ही खतरा होगा । देश और प्रांत के अन्दर शिक्षा के भीतर जो क्राइसिस खड़ा हुआ है उसका भी मानो इलेविन्थ आवर हो गया है । थोड़ा यह विचार करने की आवश्यकता जरूर है । श्रीमन्, आज जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है इसका निर्माण कहां से और कब हुआ था, क्योंकि किसी पद्धति का दोष उसका निर्माण काल और निर्माण के पीछे जो भावना होती है उसके पीछे निहित रहता है और उसका जानना आवश्यक हो जाता है । जिस समय अंग्रेजों का शासन यहां हुआ मेकाले ने कुछ मिनिट्स उस समय के वाइसराय को लिखे हैं और उनमें उसने स्पष्ट कहा है कि हमको ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करना है जिसके द्वारा ऐसे लोग उत्पन्न हों जो केवल रंग में हमसे भिन्न हों, परन्तु विचार में, वृत्ति में, रहन-सहन में हम जैसे हों और हमको उनके द्वारा अपना शासन सूत्र चलाने में सहूलियत मिल सके ।

श्रीमन्, सन् ५२-५३ में भारत सरकार ने भी एक सेकेंडरी एजूकेशन कमीशन बैठाया था । उसने भी रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट में एक बार जो मैंने पहले कहा बहुत ही स्पष्ट

आता है कि अब तक जो हमको शिक्षा दी गयी वह ऐसी शिक्षा दी गयी जिसके द्वारा हमारे बालक जीवन से बिलकुल अलग हो जाते हैं। आवश्यकता यह है कि हमारे बालकों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि उनके समाज के जीवन और उनके शिक्षा के जीवन में समरसता हो। आज मैं श्रीमन्, देखता हूं कि बालक कुछ घंटों के लिये स्कूल में आता है। वहां भले ही उसके ऊपर अच्छे संस्कार पड़ते हों, लेकिन बाकी समाज के अन्दर जो दासता के कारण बुरे संस्कार पड़ चुके हैं उन संस्कारों में वह १६-१७ घंटे रोज व्यतीत करता है और बालक के अन्दर यह विश्लेषण करने की बुद्धि नहीं कि इसको ग्राह्य करे या उसको ग्राह्य करे। नतीजा यह होता है कि दोनों संस्कृति का आपस में विरोधाभास होने के कारण हमको उसके जीवन में भी स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। श्रीमन्, चाहिये तो यह था कि शिक्षा का ऐसा निर्माण किया जाता और उसकी पद्धति ऐसी होती जिससे हमारे जीवन का यह विरोधाभास खत्म हो जाता। आज उसी विरोधाभास का परिणाम है कि बार-बार लोग कहते हैं कि विद्यार्थी उद्दंड होता जा रहा है। मैं कहता हूं कि वह उद्दंड नहीं है। आज वह दिशा विहीन है क्योंकि उसके जीवन में शून्यता है, लक्ष्य नहीं है। उसके जीवन में आकांक्षा जाग्रत नहीं की गयी और उसके जीवन में जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिये जिस कर्त्तव्य शक्ति को जगाना चाहिये था, उसको नहीं जगाया गया।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक पुस्तिका को देख कर "सुनो गांव की एक कहानी"। शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के लिये इसको रखा है। इसमें श्रीमन्, जो पहला चित्र है उसमें बकरी नीचे है, बकरी के ऊपर बैल है, बैल के ऊपर घोड़ा है और घोड़े के ऊपर हाथी और श्रीमन्, उसी के साथ मनुष्य का चितरंजन किया गया है। सबसे अच्छा बकरी का स्वरूप दिया है। किसान को समाज में बैल का स्वरूप दिया है और घोड़े को व्यापारी अथवा महाजन का स्वरूप दिया है और हाथी का स्वरूप अब भी हमारी दासता का प्रतीक साहबियत के वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है जैसा कि अंग्रेजी काल में उसका जीवन दिया गया है। अब यह ५-६ वर्ष का छोटा बालक जब इसको पढ़ेगा तो उसके मन पर क्या प्रतिक्रिया होगी? उसके मन में जो आज हमारे समाज का विशृंखल स्वरूप है, व्यक्तिवाद का स्वरूप प्रखर रूप से खड़ा हुआ है, जबकि वहां राष्ट्रवाद का स्वरूप होना चाहिये था। क्या समाजवाद की हमारी पुस्तकों में कमी है? हितोपदेश के अन्दर छोटी-छोटी कहानियां हैं जो बड़ी रोचक हैं और उनके पीछे बालकों का जो चरित्र है, जो कर्त्तव्य शक्ति है उसको जगाने की शक्ति उनके अन्दर है। इसके अतिरिक्त पंच-तंत्र है, क्यों नहीं उसके अन्दर से लिया जाता है? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमारी टेक्स्ट बुक्स बनती हैं, जो उनको पसन्द करते हैं और रखते हैं वह भी उसी वैकुअम से शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं और उनके अन्दर भी विरोधाभास है। हमारे देश में आज मारल इंटिग्रेशन और इमोशनल इंटिग्रेशन का अभाव है। उसी के कारण देश के अन्दर अनर्गल भाषा का विवाद लेकर, जाति का विवाद लेकर फिसिपैरस टेंडेंसीज उभर रही हैं। इस सब का एक ही कारण है कि आज समष्टि के साथ, राष्ट्र के साथ जो मारेल और इमोशनल इंटिग्रेशन होना चाहिये, जो विचारजन्य कर्म होते हैं उसके अभाव के कारण वह इमोशनल इंटिग्रेशन देश के साथ नहीं है।

बालक की कर्तव्य शक्ति जगाने के लिये, क्रिएटिव एनर्जीज को उभारने के लिये, अनुकरण का एक बड़ा स्वरूप हुआ करता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे एक मित्र थे। उनकी छोटी लड़की ७-८ वर्ष की थी और पांचवें या छठे दर्जे में पढ़ती थी। मैं उनके यहां चाय पीने गया। जब वह लड़की स्कूल से आयी तो मैंने पूछा कि बेटी, तू ने क्या पढ़ा? वह एक किताब 'हमारे पूर्वज' उठा करके लाये। उस पुस्तक में प्रथम लेसन डार्विन की थियरी थी कि हमारे पूर्वज बन्दर थे। तो ८ वर्ष की बालिका के मन पर यह प्रतिक्रिया पड़ने लगी कि हमारे पूर्वज बन्दर थे, तो उसका क्या अर्थ होगा? उसका दृष्टिकोण, उसकी विवेक बुद्धि

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

स्थिर तो हुई नहीं। मैं नहीं कहता कि थियरीज पढ़ाई न जायं, लेकिन बुद्धि की पात्रता का ध्यान रख कर कि वह उसे समझ सके और उनका दृष्टिकोण स्थिर हो। लेकिन ८ वर्ष के बालक के लिये इस थियरी के अनुसार उसका बाप दादा बन्दर हो सकता है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने इससे अर्थ निकाला, तो वह चुपचाप खड़ी रही। फिर पूछा कि क्या मेरे दादा बंदर थे। डार्विन की थियरी पढ़ेगी तो बाप-दादा को बन्दर कहा जायगा और पशुत्व भाव जाग्रत होगा, तो वह आगे जीवन में क्या करेगी? चाहिये तो यह था कि जो हमारे महान् युग पुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ाते। उनके जीवन से उनके चरित्र का निर्माण होता, कर्त्तव्व शक्ति जग पाती।

आज इधर से और उधर से कहा जाता है कि करप्शन बढ़ा, मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि करप्शन बहुत भीषण है। करप्शन होने का कारण यह है कि करेक्टर बिल्डिंग की जो शिक्षा होनी चाहिये थी, चरित्र निर्माण की जो शिक्षा होनी चाहिये थी, उसकी ओर कोई दृष्टि नहीं है। इसी पुस्तिका के अन्दर अगर देखा जाय तो बकरी के स्थान पर झोपड़ी और बैल के स्थान पर खपरैलदार मकान और घोड़े के स्थान पर उससे अच्छा मकान और हाथी के स्थान पर बहुत ही सुन्दर पैलेश्यल बिल्डिंग। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बालक के मन में यह इच्छा जगाना चाहते हैं कि वह बकरी से बढ़कर हाथी बने। हाथी बनने के लिये, चाहे सदुपयोग या गलत उपयोग करना हो, वह करे। इस प्रकार मारेल करप्शन शिक्षा में डाल देते हैं। उसके अन्दर यह भाव कहां आया कि यह हमारा समाज है? हमारा राष्ट्र है और अपना समाज और अपना राष्ट्र का जब भाव आयेगा तो अपने से मनुष्य बेईमानी नहीं करता है और शिक्षा की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि यह है कि समाज और राष्ट्र के साथ अपनत्व का भाव जागृत हो। जब समाज और राष्ट्र के साथ परकीय का भाव रहेगा तो उसके साथ बुराई करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जब स्वकीय का भाव होगा तो उसके साथ बुराई नहीं करेगा। इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के कारण बच्चों का दृष्टिकोण जो गलत होता है उसको सही करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया।

अभी मंत्री महोदय ने बताया कि शिक्षा का हमने विस्तार किया, स्कूल बढ़ाये। बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का विस्तार हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु किस शिक्षा का विस्तार किया? क्या उस शिक्षा का विस्तार किया जिसने हमारी संतानों को केवल बाबू बनाने का काम किया है या उस शिक्षा का विस्तार किया है जिसके द्वारा हमारे बच्चों के अन्दर आत्मनिर्भरता, स्वदेश प्रेम और अपनत्व की भावना पैदा हो? वह शिक्षा, जिसके लिए संस्कृत में कहा गया है —

"परमत्वैभवं नेतु मेतत्स्वराष्ट्रं"

इस प्रकार की शिक्षा का विस्तार आपने नहीं किया।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से आज की शिक्षा के बारे में जो सबसे अधिक क्रिटिसिज्म इस कमेटी ने किया है और उससे सुन्दर वाक्य में कह नहीं सकता, इसलिये मैं आपकी आज्ञा से वही वाक्य दोहराना चाहता हूं। उसने कहा है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है :

"That stresses competetive success rather than the joy of co-operation and achievement." और आज इस प्रकार के गलत स्ट्रेस के कारण हमारा कार्य करने का दृष्टिकोण भी कम्पिटीटिव हो रहा है कि कौन किससे ज्यादा पैसा कमा लेता है और कौन कितना ज्यादा सही और गलत रास्ते इस्तेमाल करता है। आज यह जीवन में प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है। आज राष्ट्र के अन्दर कोआपरेशन और एचीवमेंट की भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहयोगी हो कर अपनत्व के भाव से कार्य करने का विचार नहीं है केवल यह विचार है कि कैसे एक दूसर को चित करते हुए हम आगे बढ़ें।

मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि शिक्षा मंत्री महोदय ने बड़े उच्च स्वर से घोषणा की कि हम कभी भी नहीं चाहते कि राजसत्ता का प्रयोग किसी दल को बढ़ाने के लिये करें, अगर हमने सही सुना, नहीं तो वे दुरुस्त कर दें। लेकिन शिक्षा के अन्दर कैसे सत्ता का प्रयोग किया जाता है कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिये, मैं उसका एक ज्वलन्त उदाहरण आपके सामने अभी रखता हूं। यह सूची जो शिक्षा विभाग की ओर से प्रकाशित हुई। इसमें यह है कि कौन-कौन सी पुस्तकें रखी जायंगी, स्कूलों को कौन-कौन सी मैगज़ीन्स दी जायंगी। यह सूची १५ नवम्बर को प्रकाशित हुई और इसके अन्दर अगर आप देखेंगे तो एक ही सज्जन जिनका कि लेखक की कोटि में आज बहुतों ने नाम नहीं सुना होगा, १४७ से लेकर १५७ किताबें रखी गयी हैं जिनमें से केवल २ बाजार में उपलब्ध हैं, बाकी ८ भगवान जाने कहां हैं और सबसे मजेदार चीज यह है कि मैगजीन "जीवन शिक्षा" का पहला अंक १५ अगस्त, १९५७ को पब्लिश होता है और यह कमेटी स्वीकार करती है १५ नवम्बर, १९५७ को, तीन महीने की इस मैगजीन की स्टैंडिग है, कैसे यह मान लिया जाय कि यह मगजीन एक स्टैंडर्ड मैगजीन होगी? इस मैगज़ीन को अगर देखा जाय तो अभी यह विचारकों के सम्मुख आयी नहीं, उन्होंने इसके स्टैंडर्ड का कोई विश्लेषण नहीं किया। तीन महीने के अन्दर मैगजीन छपती है, प्रथम अंक निकलता है और शिक्षा विभाग उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार जो शिक्षा विभाग का है यह बड़ा दुर्भाग्य है। घोषणा कुछ होती है, करतूत कुछ होती है।

हमारे मंत्री महोदय ने शिक्षकों के संबंध में बड़े सुन्दर शब्दों में सहानुभूति प्रकट की है। अभी माननीय कैलाश प्रकाश जी ने शिक्षकों की आज की स्थिति पर वेतन के वैषम्य के लिय सहानुभूति प्रकट की। परन्तु श्रीमन्, कोरी सहानुभूति से क्या होगा, क्या उससे किसी का पेट भर सकेगा, क्या उससे किसी का जीवन स्तर ऊंचा होगा? श्रीमन्, यदि कोई मर रहा हो और उससे कहा जाय कि तुम्हारी मृत्यु से हमें सहानुभूति है तो क्या वह उससे जीवित हो जायगा? श्रीमन्, इसी तरह की कोरी सहानुभूति का मैं दूसरा उदाहरण दूं।

श्रीमन्, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने विधान परिषद् में ८ जनवरी को कहा था कि:—

"The Education Minister of U. P., Mr. Kamlapati Tripathi, announced in the U. P. Legislative Council to-day that Government agreed with the demand for the enforcement of the two-grade system in all associated and affiliated colleges, as well as all faculties of Lucknow University."

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी की यूनिवर्सिटी में घोषणा हो गई और यूनिवर्सिटी में आपने दो ग्रेड का सिस्टम लागू कर दिया लेकिन उसको एफीलियेटेड कालेजों और एसोशियेटेड कालेजों में लागू करना क्यों भूल गये? श्रीमन्, यह पायोनियर से पढ़ा है इसलिये इसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है, इसलिये मैं आपकी आज्ञा से नेशनल हेराल्ड जो ९ जनवरी का है उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि:—

"The Minister said that he did not find any justification for the big gap that existed between the salaries of the University teachers and those of the teachers of affiliated colleges. He felt that it was also necessary to improve the condition of teachers of affiliated colleges and said that the Government were seriously considering all the aspects of the question and that necessary figures have been collected in that regard."

श्रीमन्, मंत्री जी भी मानते हैं और कमेटी भी कहती है कि टीचर्स की स्थिति में कुछ सुधार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बालक का शिक्षक ही निर्माण करता है। इसलिये यदि शिक्षक की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वह बालक का निर्माण कैसे करेगा। यदि माली

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

अच्छा नहीं होगा तो वृक्ष सीधा नहीं उग सकता है। इस कमेटी ने बहुत सी रिकमेंडेशन कीं और उनमें से दो प्रमुख हैं। वह इस प्रकार हैं कि:—

"The teachers possessing the same qualifications and performing the same type of work should be treated on a par in the matter of grades of salary irrespective of the type of institution in which they are working."

"In order to relieve teachers from anxieties about their own and their dependents' future which will affect the efficiency of their work, the system of triple benefit scheme pension-cum provident fund-cum-insurance, should be introduced in all states."

श्रीमन्, मंत्री जी भी मानते हैं लेकिन श्रीमन्, इस विरोधाभास का मुझे बड़ा दुख है। यदि मैं उन्हीं के शब्दों में कहूं जो कल उन्होंने कहे थे कि विरोधी दल के लोग दो जबानों से बोलते हैं और उनके काटे हुये आदमी को लहर नहीं आती है। श्रीमन्, यह उदाहरण शिक्षकों के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। माननीय मंत्री जी दो जबानों से बोलते हैं और उनका काटा हुआ शिक्षक लहर नहीं लेता है, मैं क्या कहूं? चाहिये तो यह था कि जो उन्होंने घोषणा की है उसको वह कृति में लाते, लेकिन वह नहीं ला रहे हैं।

श्रीमन्, यह सर्वमान्य है और कमेटी भी कहती है कि यदि हमें शिक्षा संस्थाओं की स्थिति को ठीक करना है तो पहले शिक्षकों की स्थिति को ठीक करना चाहिये। आज श्रीमन्, गवर्नमेंट के स्कूल में एक मास्टर पढ़ाता है वह बहुत ज्यादा तनख्वाह पाता है, उससे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है चाहे दोनों की क्वालीफिकेशन्स एक ही हों। मान लीजिये दो मास्टर साथ-साथ पढ़े हैं। उनम से एक गवर्नमेंट स्कूल में आता है और दूसरा अभाग्यवश प्राइवेट स्कूल में जाता है तो पहला मास्टर तो २०० रुपये से शुरू करता है और दूसरा बेचारा १२० से ही शुरू करता है। यह अन्तर क्यों है? कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कोई भी टाइप आफ इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन मास्टरों का वेतन सम होना चाहिये। इंस्टीट्यूशनों का अन्तर भी माननीय मंत्री जी की दृष्टि में विचित्र है। सरकारी इंसटीट्यूशन को माननीय मंत्री जी दोनों आंखों से प्रेम से देखते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ सौतेले बेटे की तरह से व्यवहार करते हैं। श्रीमन्, सौतेले बेटे ध्रुव को जंगल में फेंक दिया गया था और दूसरे को राज्य देने का प्रयास हुआ था, ऐसा इतिहास में है।

श्रीमन्, आप देखें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में ९१ प्रतिशत लड़के पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में केवल ९ प्रतिशत लड़के पढ़ते हैं। मंत्री जी ७ परसेंट विद्यार्थियों को तो ७५ फीसदी रुपया देते हैं और प्राइवेट स्कूलों के ९१ परसेंट विद्यार्थियों को देते हैं २० और २५ प्रतिशत। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे १० मिनट और दे दिये जायं। विषय बड़ा वृहद् ह।

श्री अध्यक्ष—आप ५ मिनट और ले लीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—१० मिनट की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, अभी हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स पब्लिक सेक्टर हैं और प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह हमारे विद्यार्थियों को कपड़ा और मशीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आदमी नहीं। आदमी बनाने का कोई प्रयास नहीं है। मैं अकेले में जरूर उन्हें बधाई दूंगा। तो मैं कह रहा था कि यह जो दो आंख से देखकर व्यवहार हो रहा है, यह गलत है।

तो मैं कह रहा था कि जहां पाठ्य पुस्तकों को बदलने की आवश्यकता है, शिक्षकों के स्तर को उठाने की आवश्यकता है उसी के साथ वतन के साथ-साथ उनका सामाजिक स्तर

उठाने की भी बड़ी आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि गांव के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का भी प्रतिनिधित्व विधान परिषद् में होना चाहिये। जब आपने दूसरे वर्ग के टीचर्स को वहां प्रतिनिधित्व दिया तो क्या कारण है कि उनको प्रतिनिधित्व न मिले। आप केंद्रीय सरकार से इसके लिये प्रार्थना करें कि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि वह अपनी मांगों को वहां रख सकें।

दूसरे, मास्टरों के साथ जितना अन्याय होता है उतना शायद किसी और के साथ नहीं होता। अभी जो आपने एक कमेटी एप्वाइंट की थी, उसका एक वाक्य ही मैं पढ़ देना चाहता हूः--

"73. The Committtee is of opinion that vernacular education has suffered a great deal as a result of the present dual control. At the inception of far-reaching reforms in education it is further necessary that the administrative control of primary and secondary education should vest in a central authority."

यह रिपोर्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी एजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी की, पेज १४० पर। आज का इंटरमीडियेट बोर्ड किस प्रकार पार्टी पालिटिक्स में फंसा हुआ है उसे सब लोग जानते हैं। जिस बोर्ड की कल्पना आचार्य नरेंद्रदेव ने की थी और उसके सदस्यों का भिन्न स्वरूप रखा था ताकि उसमें पार्टी पालिटिक्स की बात न आ सके, जिसमें शिक्षा मंत्री जी उसके सदस्य होते, उसकी बात सामने आनी चाहिये।

दूसरी बात यह कि अपने प्रांत में अशिक्षा जिसे इल्लिट्रेसी कहें, बहुत ज्यादा है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। यह हो सकता है कि मंत्री महोदय कहें कि पैसे की कमी है। उसके लिये मैं अपने यहां की पुरानी पद्धति की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। लार्ड मैकाले के समय में बंगाल में ४०,००० पाठशालायें थीं। आखिर वह किस पर आधारित थीं। वे खाली बालकों को साक्षर बनाने के लिये थीं और उनकी जिम्मेदारी गांव पंचायत की थी। तो क्या आज हम अपने प्रांत में साक्षरता का निर्माण करने की दृष्टि से पंचायतों को शिक्षा का आधार नहीं बना सकते? मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करें और मैं समझता हूं कि यदि वह विचार करेंगे तो इस दिशा में प्रयास भी करेंगे। इसके साथ ही मैं उनका ध्यान अपने देश के प्रधान मंत्री के एक वाक्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली में बोलते हुये उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग्स जो हैं वह स्कूल नहीं बनाते हैं। मैंने माना कि बिल्डिंग्स के लिये हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इसलिये हम स्कूल नहीं खोल सकते, यह कहना गलत है। स्कूल तो बनता है टीचर्स से, किताबों और इक्विपमेंट से। श्रीमन्, मंत्री जी इस दृष्टि से विचार करें और अपने प्रांत को साक्षर बनायें।

दूसरी बात अन्त में, मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा संस्थाओं में जो विभाग का दृष्टि-भेद रहता है, वह गलत है। श्रीमन्, इसका शिकार मैं भी हो चुका हूं, इसलिये दुख से कहना पड़ता है कि मेरे कालेज के ऊपर यह अनर्गल आरोप लगाया गया कि वह राजनीति में भाग लेता है, जब कि जौनपुर के दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल, विद्यार्थी, पिछले चुनावों में कांग्रेस कैंडीडेट का कनवेसिंग करते रहे, उसको राजनीति में भाग लेना न समझा गया। उसको तो ब्राह्मण के भोजन की दक्षिणा माना गया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हमारे जौनपुर के ही थे और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी भी वहां हमारे पड़ोस के हैं। उनसे मैं आशा करता था कि जो इस विभाग के अन्दर राजनीतिक पक्षपात-पूर्ण व्यवहार पुराने शिक्षा मंत्री के समय से हो रहा था, वह दूर हो जायगा। परन्तु मुझे दुख है कि उनके भीषण प्रयास के पश्चात् भी वह चीज दूर नहीं हुई है। जौनपुर के एक स्कूल के सिलसिले में कोर्ट यह फैसला दे चुका है कि स्कूल के मैनेजर ने गबन किया है। जज ने अपने जजमेंट में यह दिया है कि इस फैसले की नकल डिपार्टमेंट को भेजी जाय। लेकिन

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

३-४ मास हो गये उसको हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो यह दो आंखों वाला व्यवहार शिक्षा के विषय में सरकार का नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो लोगों को दुख होगा और शिक्षा का उत्थान रुक जायगा। शिक्षा तो राजनीति से ऊपर की चीज है। शिक्षा के मसले में पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं होना चाहिये। कौन नहीं चाहता है कि शिक्षा का उत्थान हो, कौन नहीं चाहता है कि शिक्षा का विस्तार हो, लेकिन दुख यह है कि प्राइमरी शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी शिक्षा तक राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट को ही ले लीजिये। गवर्नमेंट की ओर से एक मोटर कंपनी के मालिक का नामीनशन किया गया है। में नहीं जानता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोटर मिकेनिक या सेल्समैनशिप का भी कोई कोर्स है। यह सब इसी दलगत भावना को बढ़ावा देने वाली चीज है। इस प्रकार से जो नामीनेशन के अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है, वह गलत है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा को इससे अलग रखा जाय। लखनऊ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, लेकिन अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसे कुछ सदस्य हैं जिनको उसके कारण हटना पड़ जायगा। आशा है, माननीय मंत्री जी इस बात को दूर करेंगे।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिये, हमारे दृष्टिकोण को बदलने के लिये, शिक्षा के मूलभूत आधार को हमें बदलना होगा। हमें ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहन देना होगा जिसमें विद्यार्थियों की विवेक शक्ति जागृत हो, साक्षरता और समझ के अतिरिक्त उनमें चरित्र बल, अपनत्व की भावना और राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। इस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देना होना। गणतंत्र को जीवित रखने के लिये हमें प्रयत्न करना होगा कि प्रत्यक नागरिक विवेकशील बने। अगर उसमें अपनी बुराई और भलाई का विवेक न होगा तो आज के युग की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको वह कैसे वहन कर सकेगा उसके अभाव में जनतंत्र को खतरा उत्पन्न होगा तथा एक-तंत्रवाद को खड़े होने का अवसर मिलेगा। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के विषय में इन बातों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन में भोजन के बाद शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसको मैं प्राथमिकता देता हूं और मेरा विश्वास है कि सभी सभ्य संसार में इसका दूसरा स्थान है और साथ ही साथ शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसके ऊपर मुझे डाक्टर ओपीमियन की एक अंग्रेजी कहावत याद आती है--उसको मैं कोट करता हूं ....

श्री अध्यक्ष--आप हिन्दी में भी उसका अर्थ बतला दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं उन्हीं के शब्दों को यहां दोहराना चाहता हूं वरना हमारे खिलाफ प्रिविलेज का सवाल उठ सकता है। शिक्षा का मतलब यह है कि हम मनुष्य के मस्तिष्क को सही बना सकें। अगर हम आदमी के मस्तिष्क को सही नहीं बना सके तो कठिनाई यह होगी कि मानवता का सारा कार्यक्रम गिर जायगा। डाक्टर ओपीमियन ने कहा है :-

"More nonsense", says Dr. Opimian in Peacock's Gryll Grange, "is talked about education than all other subjects put together."

अगर उनकी कही बातों पर ध्यान देते हैं तो शिक्षा का जो मौलिक सिद्धान्त है, वह स्पष्ट हो जाता है। इस सम्बन्ध में कई बातें कई तरह की कही जायेंगी, उसमें तरह-तरह की बातें कही जायंगी, क्योंकि शिक्षा के सम्बन्ध में सभी को बोलने का एक अजीब सा व्यसन होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा का ही अनुकरण हो रहा है। यहां पहले अंग्रेजी शासन था

और उनके यहां जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसी शिक्षा का अनुकरण हमारे यहां हो रहा है। १८७० में जो इंगलैंड के अन्दर शिक्षा व्यवस्था थी उसका हम अध्ययन करने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि १८७० के बाद जब इंगलैंड इंडस्ट्रियलाइज हुआ तो फिर वहां की शिक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और करीब-करीब उसी का अनुकरण हमारा उत्तर प्रदेश या यों कहें कि हमारा भारतवर्ष करता आ रहा है। सन् १९०२ में जो इंगलैंड में एजूकेशनल रिफार्म हुआ था आज सन् १९५७ में भी उत्तर प्रदेश और भारत उसी के ऊपर चल रहा है। इस बीचमें हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और १९४४ में जब कि मिस्टर आर० ए० बटलर इंगलैंड के शिक्षा मन्त्री थे, वहां एक एजूकेशन ऐक्ट पास हुआ और उसमें पहले से कुछ परिवर्तन हुआ। चूंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम शिक्षा में बहुत हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसलिये मैं उनका उद्धरण देना आवश्यक समझता हूं। डेमोक्रेटिक सेट अप में शिक्षा के ऊपर शासन का कुछ नियन्त्रण जारी रहे तो वह ठीक है। क्योंकि शिक्षा का काम मनुष्य को बनाने का है और शिक्षा का जो ढांचा है उस ढांचे को ही हम नहीं रखेंगे तो उससे जो मनुष्य बन कर निकलेगा, जो नागरिक बन कर निकलेगा वह गड़बड़ बन कर निकेलगा और हमारी सारी व्यवस्था बेकार हो जायगी। श्रीमन्, मैं दो-चार शब्द बटलर के कोट करना चाहता हूं जिससे बहुत स्पष्ट हो। जायगा। उस ववत बृटिश पार्लियामेंट के लोगों ने कहा था कि---

"We want an education minister to proceed boldly and not to follow timidly."

मैं उस उक्ति की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि आज जो शिक्षा आउट-आफ-डेट हो गई है और सन् १९०२ की जो व्यवस्था थी आज भी वही लागू है और सन् ५७ में जो रूप रेखा आज शिक्षा की है उससे मैं क्या कहूं, मेरे मन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। बृटिश पार्लियामेंट ने अपने पुराने स्कूलों को बदला और स्टेट कंट्रोल के साथ पब्लिक स्कूल वहां कायम किये गये और उनमें टीचर्स का कोआपरेशन मांगा गया और जो धार्मिक प्रकार के चर्च स्कूल थे वह बदले गये और जो भी धार्मिकता के आधार पर स्कूल थे उनको दूसरा रूप दिया गया और उनका बहुत विरोध हुआ, उसी प्रकार का विरोध यहां भी हो सकता है। यद्यपि शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिये यहां पर डायरेक्टर पावल प्राइस की अध्यक्षता में सन् १९३९ में एक कमेटी बनी, उसके बाद एक रघुकुल तिलक कमेटी बनी और फिर ४७-४८ में आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी आई, उसके बाद फिर मुदालियर कमीशन बैठा और यूनिवर्सिटी शिक्षा को लेकर भिन्न-भिन्न कमटियां और कमीशन बैठे और सब की भिन्न-भिन्न रिपोर्टें आती रहीं और सन् ५० में माननीय मुख्य मंत्री जी जब शिक्षा मंत्री थे और इसी सदन में उस समय उन्होंने एक बिल पेश किया था। हमारे माननीय कमलापति जी उस समय सदस्य थे और इस प्रवर समिति की रिपोर्टमें उनके दस्तखत हैं, उन्होंने माना है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर वही बिल वह पास करा सकें तो बड़ा कल्याण हो सकता है और वह सारे देश को और प्रदेशों को एक नेतृत्व देगा। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी स्कूलों को नेशनलाइज किया जाय बल्कि हम चाहते हैं कि उनका एक ऐसा ढांचा हो जो एक डैमोक्रेटिक सेट अप में काम कर सके। आज हमारे यहां २ प्रकार की संस्थायें चलती हैं, एक योरोपियन स्कूल चलते हैं और दूसरे मकतब चलते हैं और राजा साहब जौनपुर का लड़का जायगा योरोपियन स्कूल में और दीपनारायण का लड़का जायगा मकतब में और आप चाहते हैं कि शिक्षा में . . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

अध्यक्ष महोदय मुझे ५-७ मिनट और दे दें. . . (

श्री अध्यक्ष---आप को दस मिनट से ज्यादा नहीं मिल सकते।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---एक दो मिनट में मैं अपनी बात कह लेता. . . .

श्री अध्यक्ष---वह समय तो सब के लिये एक सा निश्चित है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें हमारा करीब ७ करोड़ रुपया व्यय होता है, पूरे बजट का आधा। लेकिन यह जो बेसिक स्कूल खोले जाते हैं उनमें बेसिक के नाम पर बहुत व्यय होता है और कोई ठोस फल उसका नहीं होता, तकली के नाम पर कहीं-कहीं पर बहुत व्यय होता है। हमारा सुझाव है कि जहां के छोटे-मोटे उद्योग हैं वहां पर उनकी शिक्षा दी जानी चाहिये। बेसिक शिक्षा बहुत ही खर्चीली है इस के विषय में मैं २ लाइन पढ़ दूं—

"Several responsible educationists estimate that basic education will be 3 or 4 times as costly as the present education."

इस तरह से अगर हमने इस तरह की प्राइमरी एजूकेशन चलाई तो उसका खर्च तिगुना-चौगुना हो जायगा यानी ७ करोड़ की जगह वह २८ करोड़ हो जायगा।

सेकेन्डरी एजूकेशन की बात रह जाती है, उनके स्कूलों के बारे में आपने बिल पेश किया है लेकिन जो उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था है वह बहुत खराब है और जो प्रबन्ध समितियां हैं वे विभिन्न तरीके से काम करती हैं और बहुत सी तो ऐसी हैं कि कोई काम नहीं करतीं और एक ही घर के ७-७ मेम्बर हैं, अध्यापकों को वेतन समय से नहीं मिलता। अगर इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा तो इन संस्थाओं का चलना नामुमकिन है और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो वह और भी बिगड़ जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दुबे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब हम शिक्षा के पिछले १० वर्षों के इतिहास को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह वस्तुतः शिक्षा में असन्तोष और असफलता का इतिहास है। असंतोष अध्यापकों का बढ़ा है और असफलताएं विद्यार्थियों को प्राप्त हुई हैं, जिसके लिये हमने यह शिक्षा और शिक्षा नीति चलायी थी। शिक्षा नीति के सम्बन्ध में समय कम होने के कारण मैं केवल एक वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा कि शिक्षा की नीति और शिक्षा संस्थाओं के ऊपर सरकार का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये, न शिक्षा संस्थाओं के ऊपर मैनेजर्स का नियन्त्रण होना चाहिये। शिक्षा के ऊपर शिक्षा शास्त्रियों का नियन्त्रण होना चाहिये। इस लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, इस दिशा की ओर जब तक नहीं बढ़ेंगे, शिक्षा के सम्बन्ध में बराबर असफलता होगी। कुछ आंकड़ों के आधार पर मैं ने जो अपना विचार व्यक्त किया है उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। यह समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिशा में प्रगति हुई है। लेकिन आज जिस दिशा की ओर हम विचार व्यक्त कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चे जो शिक्षा पाने वाले हैं उनका उत्तर प्रदेश में प्रतिशत ३२·६ है, जब कि आंध्र में ६८, आसाम में ७०, बिहार जो पिछड़ा हुआ समझा जाता है, ३४, उड़ीसा में ३३ है। लेकिन आप के यहां ३२ है। ट्रावनकोर- कोचीन में शत प्रतिशत है।

११ से १४ वर्ष तक के बच्चों के प्रतिशत की ओर जब ध्यान देते हैं तो उसमें भी उत्तर प्रदेश को सारे देश के नक्शे में बहुत छोटा स्थान प्राप्त होता है। उसका प्रतिशत १३.७ है और आल इंडिया का जो औसत है वह ५१·२ है। छोटे बच्चों का, छः वर्ष के बच्चों का और उनके ऊपर का ११ से १४ वर्ष तक का १९·२ है। जहां तक विद्यार्थियों की सफलता का सम्बन्ध है श्रीमन्, जो फेल्योर्स होते हैं, उनके आंकड़े, जो शिक्षा विभाग के द्वारा मिले हैं, उनको भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

१९४६ में लगभग ६० फीसदी विद्यार्थी हाई स्कूल में पास हुए। लेकिन १९५७ में आते-आते ४२.२३ प्रतिशत पास होते हैं। जहां तक इंटरमीडियेट एजूकेशन का सम्बन्ध है ६५ फीसदी पास हुए १९४६ में। अब वह १९५७ ई० में ४७ फीसदी रह गये हैं। यह स्थिति

है। हमारे शिक्षा विशारदों को और शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को अपनी नीति को इस कसौटी पर कसना चाहिए। यह नीयत का प्रश्न नहीं है। नतीजा स्पष्ट है कि हमको इस दिशा में निरन्तर ह्रास की तरफ जाना पड़ा है। कहा गया था कि पांच वर्ष में ४२ हजार स्कूल खोले जायंगे। लेकिन ग्यारह वर्ष में १२ हजार १ सौ स्कूल खोले गये हैं। कृषि शिक्षा को देखा जाय तो आज स्कूलों में गुलाब पैदा किया जाता है क्यारियों में। पूर्व प्रारम्भिक स्टेज में जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, बहुत थोड़े लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। एक मनोवैज्ञानिक की हैसियत से मैं जानता हूं और प्रत्येक शिक्षा विशारद इस बात को जानता है कि बच्चे के ६ वर्ष से पहले का जो काल है वह उसके जीवन को बनाने में बहुत महत्व रखता है। प्री-प्राइमरी स्टेज का असवर कितनों को आप ने दिया है? इस बात पर भी कभी आपको गौर करना चाहिये। प्रदेश में १३३ छोटी और बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं। इनमें से ९५ में आपने बालकों को अनिवार्य शिक्षा की सुविधा दी, वह भी पूरी नहीं। और लड़कियों की क्या बात की जाय। मैं तो उस इलाके से आता हूं जहां पर अशिक्षा ज्यादा है। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं। इस राज्य में लड़कियों को बहुत शिक्षा की तरफ़ बढ़ने का अवसर बिया गया है। महज ७ स्कूल ऐसे हैं जिनमें उनको मौका दिया जाता है।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की करुण कहानी मैं सदन के सामने क्या प्रस्तुत करूं। इस सदन में आज से पहले स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सदस्यों ने एक स्वर से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिनके नियंत्रण में प्राइमरी स्कूल चलते हैं, जिनके द्वारा बच्चों के पढ़ाने के लिये, अध्यापकों का जीवन निर्वाह होता है उनकी व्यवस्था कितनी बुरी रही है सदन विचार कर रहा है। उस व्यवस्था को बदल कर नई व्यवस्था लाई जाय।

३६ बच्चों पर आज एक मास्टर पड़ता है। यह तस्वीर छापकर हमारे सामने पेश की गई है उस को जरा देखा जाय। १९४६ में जब लगभग १९ लाख विद्यार्थी थे उस समय १ लाख अध्यापक थे। लेकिन जब संख्या ४२ लाख हो गई तो अध्यापक केवल १ लाख ३४ हजार ही रह गये। ठीक वही हालत इमारतों की आज है। आज अनुशासन की चर्चा की जाती है। मैं कहना चाहता हूं अगर आप अध्यापकों और विद्यार्थियों में जाग्रत सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो जो शिक्षा विशारदों का १ और १० का रेशियो है उस की तरफ आप जायं, न कि आप पीछे हटें। १ और २० का जो संबंध था वह कहां पहुंच गया १ और ४० पर और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो अभी हाल ही में राज्यपाल महोदय ने लखनऊ के एक स्कूल की बड़ी तारीफ की थी कि वहां पर रेशियो टीचर और अध्यापक का १ और १० का है।

एसोशियेटेड कालेजों के अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था उस समय जब लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पेश हुआ था कि हम इनकी जो मांग है उस मांग के अनुकूल उनको आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही इनकी मांग स्वीकृत हो जायगी। लेकिन मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह बतायें इस बजट में कौन सा प्रावीजन किया है आपने, जिसके आधार पर हम समझ सकें कि जो एसोशियेटेड कालेजेज के अध्यापकों की मांग है उस को आप स्वीकार करेंग।

जिस बिल का हवाला दिया गया, इंटरमीडियेट बोर्ड बिल, उसको हर सेक्शन के टीचर ने कंडम किया है। जो माध्यमिक शिक्षक सम्मेलन हुआ था उसमें तीन सुझाव रखे गये थे, मजबूरी जाहिर की गई कि हम इस बिल को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसमें जो तीन बातें हैं १––अध्यापकों को न्यायालय जाने का जो अधिकार नहीं दिया गया है, २––आर्बिट्रेशन की व्यवस्था नहीं की गई और ३––राजकीय और अराजकीय स्कूलों का विभेद जो आज बना हुआ है, इसकी निन्दा की गई थी। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा इस विभेद को मिटाने के लिये बड़े धन की आवश्यकता होगी। मैं अगर भूलता नहीं हूं तो दीक्षित जी ने कहा था कि केवल ५ लाख रुपया चाहिये। मंत्री जी के आंकड़े १३० लाख के हैं। ४० लाख महंगाई भत्ते के रूप में और ९० लाख बढ़ोत्तरी के रूप में।

[श्री रामायणराय]

मैं समझता हूं शिक्षा के ऊपर बिना जोर दिये हुए किसी राष्ट्र के कल्याण की बात सोचना स्वप्न की बात है। मैं चाहता हूं सदन गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—केवल १० मिनट का समय है मान्यवर, अगर ५ मिनट और मिल जायं तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—आप भाषण शुरू कर दें। वैसे आप के लिये थोड़ा अधिक समय देने में इन्कार तो कर नहीं सकता।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी—मान्यवर, मैं अनुदान संख्या १८ के समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं। इसमें सन्देह नहीं कि सन् १९४६ से ले कर १९५७ तक हमारी सरकार ने असाधारण तरक्की की है। अनेक प्रकार की पाठशालायें खुलीं और दूसरे प्रकार के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स भी खुले हैं। इस गरीब प्रदेश के लिये इतना बड़ा काम १० वर्ष के अन्दर कर लेना कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन मुझे तो एक खास अपनी विचारधारा प्रकट करनी है कि जहां पर इस तरह की शिक्षा हो जब कि हम लोग अपने ध्येय पर, अनिवार्य शिक्षा सब को देना है, पहुंच सकें। कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि हम अपनी अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। जरा हम अपने आंकड़े तो देखें कि १६ करोड़ रुपये की जो धनराशि रखी गयी है इसमें ८ करोड़ की धनराशि प्राइमरी शिक्षा पर खर्च होती है। अगर प्राइमरी शिक्षा को आप देखें तो जितने प्राइमरी शिक्षा पाने लायक बच्चे प्रदेश में हैं उनमें से केवल २८ प्रतिशत को शिक्षा प्राप्त हो सकती है। ३२ करोड़ रुपये इस तरह चाहिये ताकि सब को हम प्राइमरी शिक्षा दे सकें।

हुमायूं कबीर साहब ने जो कहा है उनके कथन पर अगर मनन किया जाय तो हमारे सामने नयी पिक्चर आयेगी। उनका कहना है कि १,४०० रुपये तो एक साधरण प्राइमरी स्कूल पर लगते हैं और ३,५०० रु० बेसिक स्कूल पर वार्षिक खर्च होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ ढाई गुना ३२ करोड़ का करें तो ८० करोड़ रुपया केवल हमें अनिवार्य बेसिक शिक्षा के लिये चाहिये। उस बेसिक के ढांचे पर शिक्षा देने के लिये जिस बेसिक को हम लेना चाहते हैं हम को ऐट प्रेजेंट ८० करोड़ रुपये चाहिये। बाकी जो स्कूल हैं उनको अगर हम मिला दें जूनियर हाई स्कूल के ऊपर तो १६० करोड़ रुपये केवल इस प्रदेश की शिक्षा के लिये हम को चाहिये जब कि सारा बजट हमारा ११२ करोड़ रुपये का है। उसमें भी १६ करोड़ जो उन्होंने रखा है वह निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा उतना ही रखा है जितना कि उनसे हो सकता था। क्योंकि प्रदेश हमारा गरीब है, इस चीज को सामने रखते हुये मुझे आप के सामने यह निवेदन करना है कि अब हम किस तरह से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। ऐसा न हो कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब का वह स्वप्न ही रह जाय, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में हम अनिवार्य शिक्षा यहां ला सकें और जल्दी से जल्दी वह तभी हो सकता है जब कोई ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय जिससे हम कम से कम खर्चे की ओर चल सकें, लेकिन साथ ही साथ अपने अध्यापकों की हालत पर खयाल करते हुए। मैं एक बार फिर पूज्य बापू के कथन की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं जिसमें उन्होंने कहा है:—

"If I had the power, I would suspend every other activity in schools, colleges and everywhere else, popularise spinning, prepare out of these lads and lasses spinning teachers, inspire every carpenter to prepare spinning wheels; and ask the teachers to take these life giving machines to every home to teach them spinning."

"अगर मेरा राज हो तो मैं स्कूल का सब काम रोक दूं और जगह भी कताई प्रचलित कर दूं और उन लड़के और लड़कियों को कताई अध्यापक बना दूं, हर बढ़ई को चर्खा बनाने और अध्यापक को चर्खा सिखाने में लगा दूं।"

मुझे पूज्य बापू के इस कथन का सहारा इसलिये लेना पड़ा कि मेरी आत्मा के अन्दर उतना बल नहीं था जिससे मैं कुछ कह सकती। एक स्कूल व एक गांव का नक्शा आप के सामने रख कर उस चीज को आपके सामने रख देना चाहती हूं। मान लीजिये एक गांव में २ हजार की जन संख्या है और उस गांव के अन्दर से कम से कम १ रुपया प्रति आदमी पर कपड़े का बाहर जाता है। इसका अर्थ होता है कि २ हजार रुपये प्रतिमाह और २ हजार रुपये प्रति माह के अर्थ होते हैं २४ हजार रुपये वार्षिक एक गांव के अन्दर से निकल जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिये ऐसी चीज रख दें जिससे वे आदतन इस पर आ जायं कि चर्खा कातकर अपना कपड़ा बना सकें और इस को अगर हम कार्यान्वित कर सकें तो फिर खर्चे में थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। थोड़ा खर्चा भी इधर से उधर करना होगा और अगर एक आदमी के सामने जो पिक्चर है उस के सामने दूसरी पिक्चर कर दी जाय कि रामराज्य इस तरह से चल सकता है तो कम खर्चे में भी काम चलाया जा सकता है। गरीबी के आंचल में हमको देखना होगा कि किस तरह से हमको अपने प्रदेश को चलाना है। पूज्य बापू के दूसरे कथन को और आप के सामने रख दूं तो शायद बात बहुत क्लीयर हो जाय :—

"I know, many of you have laughed at the idea of making education self-supporting by introducing spinning in our schools and colleges. I assure you that it solves the problem of education as nothing else can."

खुद बापू कहते हैं कि बहुत से इस पर हंसते होंगे कि यह जो स्कूल हैं उस में हो नहीं सकता है। लेकिन यह चीज उस समय समझ में आती है अगर हम समझ लें कि जो १२ फरवरी को सर्वोदय का दिन हुआ था। उस पर केवल इलाहाबाद जिलेमें १७ मन सूत दान दिया गया और उसमें से १२ मन सूत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के बच्चों का दिया हुआ था। अगर इस ओर हम सारे माननीय सदस्य ध्यान दें और इसकी प्रतिष्ठा करने लगें तो हमारी सरकार की तरफ से कोई अड़चनें नहीं होंगी। साथ ही रास्ता साफ हो जायगा कि हमको इस चीज को ले कर चलना है। तो पहले हम बेसिक चीज चर्खे को लें, तब हम साधारण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिये दूसरी चीज हम को यह भी देखनी है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाय। चर्खे और दूसरे क्राफ्ट के जरिये से प्राइमरी एजूकेशन अधिकतर जबानी दी जाय जिससे उनका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा फरटाइल हो सके। अब रही जूनियर हाई स्कूल और हायर सेंकेडरी स्कूल की शिक्षा। उसका टाइम टेबिल इस तरह से होना चाहिये कि एक पीरियड हमारा पढ़ाई का हो और दूसरा पीरियड हमारे किसी क्राफ्ट का हो। इसमें आप निश्चय ही याद रखिये कि जो आजकल पढ़ाई होती है उसमें पहले पीरियड में जो पढ़ाई होती है उसके बाद अगले पीरियड की पढ़ाई के बाद वह पिछड़ी पढ़ाई भूल जाता है। इसलिये अगर एक पीरियड में पढ़ाई होगी तो दूसरे में बैठ कर मनन कर सकें दूसरों के साथ में जिससे कि पहले पीरियड की हुई पढ़ाई उस के सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाय और उसका दिमाग साफ हो जाय कि मैंने पिछले पीरियड में क्या पढ़ा था। यह हम ने बिलकुल करके देखा हुआ है कि इस तरीके से दो साल की पढ़ाई ६ महीने के अन्दर हो जाती है अगर मनन करने का साथ-साथ टाइम दे दिया जाय।

तीसरी चीज हमको हायर सेकेंडरी एजूकेशन के बारे में कहनी है जो कि यूनिवर्सिटी की एजूकेशन है। यूनिवर्सिटी की एजूकेशन में तीन चीजें आती हैं। एक तो टेक्निकल एजूकेशन, उसमें मैं यह कहना चाहती हूं कि वह ज्यादा से ज्यादा कारखानों के अन्दर ही दी जाय और जहां-जहां प्रैक्टिकल एजूकेशन संभव हो वहां दी जाय। टेक्निकल कालिज इतने खुल भी नहीं सकते हैं और जितने खुले भी हैं उनमें ट्रेनिंग पाने के बाद जब वह ट्रेंड होकर आ जाते हैं तो उन्हीं कारखानों में उनको प्रैक्टिकल रूप से सीखना पड़ता है। अगर ऐसा प्रबन्ध कर देते हैं कि उनको उन्हीं फ़ैक्टरियों में ट्रेनिंग दी जाय तो प्रैक्टिकल रूप में भी उनको ट्रेनिंग मिल जायगी और हम इस प्रकार से डिग्निटी आफ लेबर भी स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि शुरू से ही उन्होंने उन कारखानों में काम करना सीखा और वहीं उन्हें काम दे दिया गया। इससे यह भी फायदा होगा कि आप के ऊपर से बड़-बड़ कालिज खोलने का बखेड़ा हट जायगा।

[कुमारी कमल कुमारी गोइंदी]

इसके अलावा हमें आप के सामने यह रखना है कि जो कालिज पास हुए बच्चे होते हैं, हायर सेकेंडरी एजूकेशन पास बच्चे होते हैं उनके दाखिले से इन्कार तो न किया जाय। जो भी थर्ड क्लास पास बच्चे दाखिल होना चाहें उनको अपनी फीस के अलावा एक और बच्चे की फ़ीस पहले जमा करनी होगी। जैसे २ लाख रुपये आप ने बजट में रखे और ४ हजार बच्चे हैं, ५० रुपये फ़ी बच्चा खर्च पड़ता है, तो १०० रुपये वह जमा कर दें तो दाखिल हो जाय जिससे कि आप के ऊपर खर्चे का कुछ बोझ कम हो सके।

इसके अलावा प्राइवेट शिक्षा को इन्करेज किया जाय जिससे डिग्री कालेजेज खोलने का भार हमारे ऊपर ज्यादा न पड़े। अभी पंजाब ने यह एक्सपेरिमेंट किया था। जब रिफ्यूजीज आये तो गवर्नमेंट इतने कालेजेज नहीं खोल सकती थी, इसलिये उन्होंने सब को प्राइवेट परीक्षाओं की आज्ञा दे दी और उनमें आर्डिनरी लोग पढ़ कर इतना ऊंचे उठ गये कि विलायत तक की शिक्षा पा लिये और अब तरक्की पर आ रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि डिगनिटी आफ लेबर भी कायम हो जाय और जो आगे बढ़ना चाहते हैं वे भी बढ़ सकें, इसके लिये उनको सुविधायें प्रदान की जायं।

इसके अलावा जो मौजूदा शिक्षा है उसमें क्या-क्या तरक्की होनी चाहिये यह भी मैं बतला देना चाहती हूं। पहली बात यह है कि भारतीय स्तर पर नागरी लिपि और हिन्दी शब्दों तथा अंकों का रूप निर्धारित होना चहिये। इसका अर्थ यह है कि जो भी सुझाव आप नागरी लिपि के बदलाव में देना चाहते हों वह केन्द्रीय सरकार को दिये जायं और जब केन्द्रीय सरकार उनको मान ले तब आल इंडिया स्तर पर वह स्टैंडर्डाइज हो जाय, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चे भारतवर्ष के हर कोने में जायंगे। अगर लिपि में थोड़ा बहुत भेद रहा तो उनको समझने में कठिनाई होगी। इसलिये जो भी लिपि हो वह स्टैंडर्डाइज हो। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बता देती कि अभी जो चेन्जेज आपने माने हैं उसमें ए और ऐ में किनना फर्क पड़ रहा है।

दूसरी चीज हमें यह कहनी है कि मिलिटरी और शान्ति सेना, इन दोनों की ट्रेनिंग साथ-साथ हो। इस सम्बन्ध में प्लैटो का कहना मुझे याद आता है। उसने कहा है—

"The beginning is the most important part of any work, especially in the case of a young and tender thing for that is the time at which the character is being formed and the desired impression is more readily taken- Shall we just carelessly allow children to receive into their minds ideas the very opposite of those which we should wish them to have when they are grown up ?"

इस सारे का मतलब यह है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाता है उसका उनके ऊपर गहरा असर पड़ता है और जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उस से एकदम उल्टा अगर हम सीखने देंगे तो बड़े हो कर उनके वैसे ही भाव हो जायंगे। इसलिये अगर दुनिया को आप पीस की ओर ले जाना चाहते हैं तो बच्चों के अन्दर भी वही भावना आप को पैदा करनी होगी।

तीसरी चीज हमको यह कहनी है कि जब तक हमारे वेतनों में फ़र्क है तब तक फीस की माफ़ी में भी फ़र्क होना चाहिये, जैसे १५० रुपये से नीचे वालों की सब की फीस माफ हो जाय और ५०० रुपये तक वालों के बच्चों की फीस माफ न हो और ५०० रुपये से ऊपर वेतन वालों के बच्चों की फीस डबल होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री आनन्दब्रह्म शाह (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सम्बन्ध है उसका स्तर बराबर गिरता ही चला जा रहा है। छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जाती है और अध्यापकों में असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है। यदि राधाकृष्णन और आचार्य नरेन्द्र देव की रिपोर्ट को पूरी तौर से माना गया होता तो आज यह स्थिति उपस्थित न हुई होती।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। मिर्जापुर जिले में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर स्कूल दस-दस मील दूरी पर हैं। इसके माने यही हैं कि या तो लड़के न पढ़ें या फिर उन लड़कों को रोज दस मील आना और दस मील जाना होगा।

इसके अलावा श्रीमन्, दुद्धी स्टेट के अध्यापकों का वेतन क्रम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिर्जापुर के अध्यापकों के वेतनक्रम से बहुत ही कम है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिर्जापुर का अध्यापक ४५ रुपये से शुरू करके ६५ रुपये तक पाता है और ट्रेंड सहायक अध्यापक ३५-१-४५ रुपये वेतन-क्रम में वेतन पाता है और अनट्रेंड अध्यापक ३० रुपये माहवार वेतन पाता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक को ३ रुपये माहवार पहाड़ी भत्ता मिलता है और ६ रुपये की जो वृद्धि १९५७ में हुई थी वह भी उन्हें मिल रही है। दुद्धी स्टेट का अध्यापक केवल २५ रुपये माहवार पाता है और अनट्रेन्ड अध्यापक २० रुपये माहवार पाता है। श्रीमन्, १९४५ के पे कमीशन के सुझाव के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी को उसका लाभ मिल रहा है लेकिन दुद्धी के अध्यापकों को उससे वंचित रखा गया है और प्राइमरी स्कूलों पर ही हमारे देश के होने वाले भावी नागरिकों का भविष्य निर्भर होता है। यदि ऐसी दशा में उनको संतोष नहीं होगा तो हमारे देश का अनहित हो सकता है। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिर्जापुर के अध्यापकों का और दुद्धी स्टेट के अध्यापकों का वेतनक्रम समान होना चाहिये, क्योंकि दुद्धी स्टेट का सीधा ताल्लुक हमारी यू० पी० गवर्नमेंट से है। १९५० में भारतीय विधान में १४ वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को फ्री और कम्पलसरी ऐजूकेशन दी जाय। ऐसा वायदा किया गया था लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है।

श्रीमन्, आपके समक्ष, जिसे मैं भ्रष्टाचार ही कह सकता हूं, रखता हूं। वह यह है कि प्रत्येक स्कूल को २० रुपये वार्षिक का अनुदान दिया गया, लेकिन उसी के साथ-साथ ८ रुपये की एक मासिक पत्रिका "जीवन शिक्षा" का लिया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे सम्पादक महोदय को ३,२०,००० रुपये पहले ही प्राप्त हो गया है। यह पुस्तिका प्रथम वर्ष और इसका प्रथम अंक १५ अगस्त को प्रकाशित हुआ है और इस पुस्तिका का नाम १५ नवम्बर की सूची में आ गया। इसके माने स्पष्ट हैं कि इसके साथ पक्षपात किया गय और २० रुपये के अनुदान के साथ यह ८ रुपये की पत्रिका लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बहुत सी ऐसी पत्रिकायें सामने आ सकती थीं जिनमें से सेलेक्शन किया जा सकता था, लेकिन यह कम्पलसरी कर दी गई है। लेकिन इसका यह पता नहीं कि आगे छपेगी या नहीं? इसकी क्या गारन्टी है? श्रीमन्, जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस पुस्तिका के सम्पादक के साथ घोर पक्षपात किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस सम्पादक की और भी पुस्तकें हैं। उनमें से एक "सुनो गांव की एक कहानी" है। इसके लेखक तरुण भाई हैं। श्रीमन्, इनकी १२ पुस्तकें लिस्ट में भी हैं। मुझे श्रीमन्, इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य होता है कि इसकी भूमिका १४ नवम्बर को लिखी जाती है और वह बनारस में लिखी जाती है। यह पता नहीं कि यह पुस्तक कब छपी है, कब लखनऊ आयी और कब कमेटी के सामने रखी गई, कब चुनाव में आयी और १५ नवम्बर को लिस्ट में छपादी गयी। यह तो पक्षपात ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। जब १४ नवम्बर को पुस्तक की भूमिका बनारस में लिखी गई तो १५ नवम्बर की सूची में इसका नाम कैसे आ गया। श्रीमन्, अब तक मैंने इनकी अन्य पुस्तकें दुकानों में तलाश की हैं लेकिन मुझे यही पुस्तक मिली। मैंने कोशिश की कि और भी किताबें देखूं, लेकिन मुझे उनके देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसमें एक पृष्ठ में एक पंक्ति से ज्यादा नहीं लिखी गयी है और इसकी भाषा आदि विषयों के सम्बन्ध में माननीय राजा यादवेन्द्र दत्त जी दुबे ने काफी कह दिया है। इसलिये इसके ऊपर मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं इसकी ओर इस आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[श्री आनन्द ब्रह्मशाह]

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मुर्दा अजायबघर की ओर दिलाना चाहता हूं। यह शिक्षा का माध्यम बन सकता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये। जहां तक मेरा खयाल है ९,०५,००० रुपया शिक्षा विभाग से इसके लिये दिया जाता है। मगर इस समय जो संग्रह है उसे कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जीव-जन्तुओं का उचित रूप से संग्रह किया जाय और इस चीज को आगे बढ़ाया जाय। इस समय अवसर है और इसके संग्रह में कम खर्चा भी होगा। इस समय कुछ ऐसे सज्जन हैं जो इसके कलेक्शन के बहुत ज्यादा उत्सुक हैं लेकिन वह धनाभाव के कारण कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको सुविधा दे सके तो वह शीघ्र तैयार हो सकते हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्य-वाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण अनुदान है। किसी भी देश और राष्ट्र के लिये उसकी क्या प्रगति हुई है, वह किस दिशा में जा रहा है आदि आदि का माप-दंड वहां की शिक्षा होती है। और यदि हम व्यक्तियों की भी बात लें तो उनका विकास, उनका व्यक्तित्व और उनके चरित्रनिर्माण की आधारशिला भी उस देश की शिक्षा होती है। पिछले १० सालों में इस प्रदेश में शिक्षा के सम्बन्ध में क्या हुआ है यह देखने के लिये यदि हम इस बजट को देखें तो स्पष्ट पता चलेगा कि जहां तक उसकी प्रगति और प्रसार का सवाल है वह प्रदेश के हर क्षेत्र में हुआ है। नये स्कूलों की संख्या, प्राइमरी हायर सेकेन्डरी आदि की संख्या बहुत काफी बढ़ी है। इंटरमीडियेट और डिग्री कालेजों की संख्या और विश्वविद्यालयों की संख्या हमारे प्रदेश में पहले के मुकाबले में कहीं-कहीं दूनी हो गयी है और कहीं डेढ़ गुनी या पौने दो गुनी हो गयी है। इस के साथ ही यह भी सही है कि अध्यापकों की संख्या भी बढ़ी है, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन इस के साथ-साथ यह भी सही है कि हमारा जो एजूकेशन का पैटर्न है उसमें कोई विशेष तब्दीली नहीं हो सकी है। मेरे और भाइयों ने और दुबे जी ने कई कमेटियों का हवाला दिया, मुझे भी कुछ कमेटियों आदि में रहने तथा उनको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा यह मत है और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा वह कमीशन तथा कमेटियां बैठाई गयी हों अथवा प्रादेशिक सरकार द्वारा, एजूकेशन के सम्बन्ध में इस देश के जो बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री हैं उनके दिमाग में अभी कोई साफ चित्र नहीं है। उन के दिमागों में कोई क्लियरिटी नहीं है और यही वजह है कि हम शिक्षा के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति अभी तक निर्धारित नहीं कर सके। कालेज बढ़ते जाते हैं, यूनिवर्सिटियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन उनका पैटर्न एक है। राधाकृष्णन् कमीशन से ग्रामीण विश्वविद्यालय का एक नया विचार हम को मिला और केन्द्रीय सरकार से हम को काफी पैसा भी मिल रहा है और उसकी सहायता से रुद्रपुर में हम एक ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि चाहे उसका नाम कुछ भी हो उसका पैटर्न वही बनने वाला है जो कि हमारे लखनऊ, आगरा, बनारस के संस्कृत विश्वविद्यालय का या गोरखपुर विश्वविद्यालय का है। इस की वजह साफ है कि हम इस विषय पर कोई आमूल तब्दीली की बात सोच नहीं पाये हैं।

एक बात को मुझे जरूर खुशी है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बजट में लगभग १ करोड़ रुपये इस अनुदान के अंतर्गत बढ़ाये गये हैं और जैसा मेरे एक अन्य साथी ने कहा, मैं उन से सहमत हूं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के लिये उनकी संख्या और अनुपात के हिसाब से जितना अनुदान मिलना चाहिये था, जितनी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठा किये हैं और केवल उदाहरण के लिये उनको कहना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री जी मेरा अभिप्राय समझ लें। मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिये १ लाख

रुपये का अधिक अनुदान है जब कि नान-गवर्नमेंट स्कूल के लिये ६४ हजार रुपये ही अधिक हैं। इसी तरह से कुछ प्रोफेशनल्स कालेजेज हैं उन में जो नान-गवर्नमेंट कालेजेज हैं उन के लिये १५ हजार रुपये हैं और जो गवर्नमेंट के हैं उन के लिये ३३ हजार अधिक हैं। इसी तरह की इस में और भी चीजें हैं। मैं चाहता और समझता हूं कि जब १० प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी हमारी सरकार के स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं और ९० प्रतिशत विद्यार्थी नान-गवर्नमेंट संस्थाओं में हैं और हम यह भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है तो मैं समझता था कि इस एक करोड़ का अधिक भाग उन नान-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स को जाना चाहिये था। और उनके साथ अधिक न्याय की बात की जानी चाहिये थी। ग्रेड्स की बात कही गई। हमें अफसोस है कि हम अपने प्राइमरी स्कूलों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूलों के अध्यापकों को उतनी तनख्वाह नहीं दे सकते जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिये। लेकिन जैसी हमारे भाई ने दो जबान की बात कही, ऐसी बात भी नहीं है। मैं मानता हूं कि इंटरमीडियेट कालेजों में और उनके नीचे की गवर्नमेंट संस्थाओं में टीचर्स का वेतन ज्यादा है। मगर इस बात का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है कि प्राइवेट संस्थाओं और गवर्नमेंट की संस्थाओं के स्केल्स में कोई अन्तर हो। लेकिन हमारे देश में इस बात की दौड़ लगी हुई है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ग्रेड्स ज्यादा हैं जिन्हें हमारे प्रदेश के लोग भी चाहते हैं। मेरा निश्चित मत है कि आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि जिन हजारों और लाखों लोगों का वेतन कम है उन्हें हम ऊपर उठा सकें। इसका आल्टरनेटिव यह है कि सरकार अपने ऊंचे स्केल्स को कम करे ताकि असमानता कम हो। मैं देखता हूं कि यूनिवर्सिटीज में ग्रेड बढ़ाये गये हैं। ज्ञानपुर में भी आपने एम० एस० सी० खोलने की बात कही है। नैनीताल में भी यह क्लास है। अगर मेरी इत्तिला सही है तो वहां विद्यार्थियों की संख्या इतनी नहीं है कि और ज्यादा रुपया खर्च इस क्लास के लिये किया जाय। आगरा विश्वविद्यालय में हेड्स आफ डिपार्टमेंट का ग्रेड ६५० रुपये का है। सरकार के इन नये इन्सटीट्यूशन्स में हमने रख दिया है १,२०० तक का ग्रेड। उनमें वही टीचर्स आते हैं जो पहले बरेली या रामपुर में थे। इस असमानता को दूर करना चाहिये। इस बात में मेरी निश्चित राय है कि १,२०० रुपये तक का ग्रेड कतई अनुचित है।

इसके अलावा शिक्षा के हमारे यहां कई टुकड़े हो गये हैं। मैं समझता हूं कि आजके बजट का असली नाम है जनरल एजूकेशन। उसके बाद आता है टेक्निकल, एग्रीकल्चरल और मेडिकल एजूकेशन। इन सब शिक्षाओं को एक मंत्री महोदय के अन्तर्गत होना चाहिये चाहे वह कोई भी हों। शिक्षा का काम बहुत ज्यादा होता है। मैं खासतौर से मुख्य मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अच्छा यह हो कि जनरल और टैक्निकल एजूकेशन का समन्वय होकर एक जगह हो जाए। एक मंत्री के पास न होने से पालिसी में अन्तर पड़ता है और कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता है।

सेकेन्डरी और इन्टरमीडियेट एजूकेशन के विधेयक में आपने कुछ संशोधन किये। मैं इस बात को नहीं कहता कि उसके बाद अध्यापकों की सभी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। मगर यह बात माननी होगी कि उनको सुविधायें देने की तरफ कुछ स्पष्ट कदम सरकार ने उस संशोधन विधेयक में उठाये हैं। सरकार का यह भी कहना है कि एक बहुत ही कम्प्रीहैन्सिव बिल वह लाने वाली है। हम चाहते हैं कि वह जल्द आवे। मुदालियर कमेटी और आचार्य जी की कमेटी की रिपोर्टें हैं, उनका अध्ययन किया जाय, यद्यपि वे ४, ५ साल पुरानी हो गई हैं। उन्हें देखकर हमें तब्दीली करनी चाहिये। कम्प्रीहैन्सिव बिल इसलिये और भी ज्यादा जरूरी है कि आज का इन्टरमीडियेट बोर्ड बहुत अनवील्डी हो गया है और उसकी एफीशेन्सी घटती चली जाती है। उसमें बड़ी भारी इन्ट्रीग्स और पालीटिक्स की बातें होती हैं। उदाहरण के लिये मेरे पास सन् १९५८, इसी साल का फिजिक्स का पेपर है। इसमें प्रश्न नं० ३ अंग्रेजी में है कि—

[श्री नवलकिशोर]

A body of mass 200 grams is dropped from a height of 2.5 metres from the ground.

और हिन्दी में इसका अनुवाद है कि २०० ग्राम भारवाला एक पिन्ड भूमि से २.५ किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा दिया जाता है। यानी, एक में मीटर है और दूसरे में है किलोमीटर। पता नहीं जो हिन्दी में इसका उत्तर देंगे उनका क्या भाग्य होगा और जो अंग्रेजी में देंगे उनका क्या भाग्य होगा। यह इस विभाग की इनऐफीशेंसी दिखलाता है। इन्टरमीडियेट बोर्ड में बहुत ही ड्रास्टिक चेन्जेज की आवश्यकता है।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी सरकार का बड़ा जोर प्राइमरी शिक्षा पर और नर्सरी शिक्षा पर है। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात मुझे खटकती है। जो हमारा समाजवाद का लक्ष्य है, सभी बातें अगर हमारी कही हुई पूरी हो जावें तो बहुत ही अच्छी बात है परन्तु इंडिविजुअल ओनरशिप की बात के बजाय सोसायटी की ओनरशिप की बात हमको उस शिक्षा में दिखलाई नहीं पड़ती जो हम अपने बच्चों को आज दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा अभी तक उसके ट्यून में नहीं आ पाई है। केवल सोशलिज्म कहने से सोशलिज्म आने वाला नहीं है। हमारे टीचरों का फेथ सोशलिज्म में होना चाहिये। कितने टीचरों का फेथ सोशलिज्म में है, मैं नहीं कह सकता। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे अध्यापकों की है और उनकी है जो हमारी शिक्षा पद्धति के इंचार्ज हैं। वे यह देखें कि हमारे बच्चे आज से २० साल बाद इस स्थिति में पहुंच जावेंगे जब वे सोशलिज्म को टैन्जीबिल चीज समझें और उसके लिये उपयोगी इन्सान सिद्ध हो सकें।

यह बात सही है कि २,००० से ज्यादा स्कूलों में एग्रीकल्चर खोल दी गई है। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश का कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। मगर मैं समझता हूं कि वहां की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम यहां बैठे समझते हैं। यह बात भी एक बार आई थी कि कुछ अफसरान को भेजकर देखा जाय कि जिलों की स्थिति क्या है। मुझे अपने जिले की बात तो अच्छी तरह से मालूम है कि शायद उपमंत्री जी या कोई आदमी हमारे यहां नहीं गया। अच्छा तो यह हो कि हम किसी स्कीम को पूरी तरह से एग्जामिन करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कार्यान्वित करें, एक, एक तहसील में अगर ५, ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल मान लें तो वहां ५, ६ एक्सटेंशन टीचर्स हैं। हमको देखना चाहिये कि वह हमारे एग्रीकल्चर के ऐडमिनिस्ट्रेशन में या इम्प्रूवमेन्ट में क्या इमदाद देते हैं? मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस प्रकार के आदेश दें कि उन अध्यापकों का सम्पर्क एन० ई० एस० ब्लाक के अधिकारियों से हो ताकि दोनो मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि इस विभाग में सुपरवाइजिंग स्टाफ बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, एसोशियेटेड इंस्पेक्टर और न जाने क्या-क्या। ओ० एस० डीज० तो इस विभाग के अन्दर कई हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को जब समय मिले वे इस बात पर गौर करें, क्योंकि मेरी समझ में सुपरवाइजिंग स्टाफ को कम करने की काफी गुंजाइश है। हमारा अनुभव है कि जितना स्टाफ बढ़ाया जाता है उतनी ही इन-एफीशियेंसी बढ़ती जाती है, न जाने इन दोनों का क्या सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि हमें इस ओर भी ध्यान देना है। एक बहन ने कहा कि जितना अनुदान शिक्षा के लिये रखा गया है, वह बहुत कम है। मैं भी चाहता हूं कि अगर इसके बजाय ५० करोड़ हो जाय तो बहुत अच्छा है, एजूकेशन बढ़े यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन ज्यादा अहमियत की बात तो यह है कि पद्धति में बुनियादी तब्दीली होनी चाहिये जिससे हम समाजवाद के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं अपने शिक्षा मंत्री से एक बात की शिकायत कर रहा हूं कि शिक्षा की प्रगति के बारे में माननीय मंत्री जी ने हमें दो पुस्तिकायें दीं लेकिन उनसे हमें इस प्रदेश की शिक्षा की दशा का कोई पता नहीं चलता है। हम यह मानते हैं कि माननीय मंत्री जी का इन पुस्तिकाओं को छापने

का उद्देश्य यही रहा होगा कि शिक्षा का सुन्दर चित्र वे हमारे सामने रखें। लेकिन यह विधायकों का सदन है। इसके सामने सच्ची बात जब तक न हो, असलियत न हो, तब तक यह अपने सुझाव मंत्री जी को किस प्रकार से दे सकता है? वह आंकड़े जो बहुत ही आवश्यक थे, इन दोनों पुस्तिकाओं से गायब कर दिये गये हैं और जो आंकड़े बिलकुल अनावश्यक थे, जिनके बगैर भी हम आपकी प्रगति का अन्दाजा लगा सकते थे, वह उसमें दे दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आपने "गायब कर दिये गये हैं" शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने जान-बूझकर गायब कर दिये हैं?

श्री देवीप्रसाद मिश्र---मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जानबूझ कर उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उनसे हम जिस नतीजे पर पहुंचना चाहते थे, उस पर नहीं पहुंच रहे हैं। मैं उनके मोटिव पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर यह आंकड़े दिये जाने चाहिये थे कि प्रति व्यक्ति आप कितना रुपया शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी चीज थी। हम जानते हैं कि दूसरे प्रदेश हमसे दुगुना और तिगुना खर्च कर रहे हैं और कई प्रदेश तो हमसे ६ गुना भी खर्च कर रहे हैं। यह चीज हमारे सामने उन पत्रिकाओं द्वारा उपस्थित नहीं की गयी है। आप बजट में यह बताते हैं कि कितना रुपया शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, यह भी देते हैं कि इस वर्ष कितना अधिक खर्च किया जा रहा है लेकिन एक मौलिक बात छोड़ देते हैं कि पूरे बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च आप कर रहे हैं। हम यह बात मानते हैं कि कई वर्षों से शिक्षा का बजट बढ़ रहा है लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो मालूम होगा कि शिक्षा पर जितना प्रतिशत अंग्रेज खर्च कर रहा था, उतना भी आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इन आंकड़ों को हमें नहीं दे रहे हैं। मैं चीन और रूस की बात तो नहीं करता हूं क्योंकि उनके लिये आपका विचार है कि वहां पर यह सब आयरन हैंड की वजह से होता है लेकिन जिस हमारे देश का यह सिद्धान्त है कि 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', वहां की परिस्थिति यह है, वहां की अवस्था यह है कि अगर शिक्षा का बजट आपके पूरे बजट का कौन सा हिस्सा है यह लिया जाय तो १३ फीसदी से आगे नहीं बढ़ता। अगर हर व्यक्ति पर खर्च जोड़ा जाय तो दो ढाई रुपये से ज्यादा नहीं पड़ता, जबकि आप और हम जानते हैं कि जिन मुल्कों के बारे में आपके विचार इतने गलत हैं वहां ५० रुपये और कहीं-कहीं तो ६० रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है और आप उनसे अपना मुकाबला करते हैं। मैंने बताया कि इसी देश के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको हम बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश कहते हैं, व्यंग्य उन पर करते हैं, जैसे बिहार को ले लीजिये। वह हमसे चार, पांच फीसदी शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा है। दिल्ली का वर्णन इसलिये नहीं करता कि वह राजधानी है। केरल की तुलना भी इसलिये नहीं कर रहा हूं कि वह हमसे बहुत आगे बढ़ा हुआ है लेकिन जो हमारे बगल के प्रदेश हैं जैसे पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश, इनके साथ तो आपकी तुलना अवश्य होनी चाहिये और आंकड़ों के साथ अगर आप तुलना करते तो पता चल जाता कि हमारा प्रदेश अभी बहुत पीछे है।

अब एक खास चीज जो आपकी बजट की है उसकी ओर आपका ध्यान जरूर दिलाऊंगा। बार-बार हमारे भाइयों ने शिकायत की है कि रुपये की कमी है। अगर रुपये की कमी न होती तो बहुत कुछ किया जा सकता था। इसकी दवा क्या है, यह मैं अपने शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं? मैं इस बात को मानता हूं कि मंत्रिमंडल संयुक्त है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो कुछ भी रुपया शिक्षा के लिये मिलता होगा वह सबकी राय से मिलता होगा। लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि और मदों में रुपया घटाया जाता और शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाता? पुलिस या और मदों से रुपया घटा करके शिक्षा के मद पर खर्च किया जाता क्या यह आवश्यक नहीं है? अगर आप यह नहीं करते हैं और शिक्षा को दूसरा तीसरा स्थान देते चले जाते हैं और शिकायत भी करते हैं धनाभाव की, तो यह बात समझ में नहीं आती। हां, यह बात तो समझ में आ सकती है जैसी कि पुराणों की कथा है कि लक्ष्मी, वित्त, का वाहन उल्लू हुआ करता है। उसको विवेक नहीं हुआ करता। लेकिन सरस्वती का वाहन

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

तो हंस है। उसको तो विवेक होना चाहिये। उसको तो ले लेना चाहिये जो उसका अधिकार है। अगर आप यह नहीं कर पाते और उल्लू को ही बटवारा करने देते हैं तब तो हमारी समझ में शिक्षा का भविष्य बिलकुल अंधकारमय है।

शिक्षा में प्रगति होनी चाहिये और रुपये की कमी के होते हुए भी होनी चाहिये। इसके भी रास्ते आपको मालूम हैं। अगर आपने पुराने इतिहास को देखा होता तो हमारी समझ में जितना आप खर्च कर रहे हैं उतने में भी इससे अधिक शिक्षा दी जा सकती है। हम जानते हैं कि आपका जो लक्ष्य है कि सौ फीसदी प्रारम्भिक शिक्षा दे दी जाय और १०वर्ष के अन्दर दे दी जाय, यह अभी बहुत दूर है। ३७, ३८ फीसदी आपने अभी तक विद्यार्थियों के लिये सुविधायें दी हैं शिक्षा के लिये, इससे अधिक का आप प्रबन्ध अभी तक नहीं कर पाये। १० वर्ष के अन्दर ३८ से बढ़ कर सौ हो जायगा इसकी सम्भावना न आप कर सकते हैं और न हम कर सकते हैं। मानी हुई बात है कि शिक्षा का व्यय जिस तेजी से बढ़ना चाहिये नहीं बढ़ रहा है। यह भी मानी हुई बात है कि बगैर रुपया खर्च किये हुये जो शिक्षा देने का तरीका हो सकता है वह आप अपना नहीं रहे हैं। इस विषय में मैं पूज्य महात्मा गांधी का नाम नहीं भूल सकता। उनको यह कठिनाई बहुत पहले ज्ञात थी। वे जानते थे कि इतना व्यय शिक्षा पर नहीं किया जा सकता जितनी आवश्यकता मुल्क को है। इसी कठिनाई को ध्यान में रख कर उन्होंने बेसिक शिक्षा का आन्दोलन चलाया था। बेसिक शिक्षा का रूप चाहे जो रहा हो लेकिन उसके अन्दर यह बात निहित थी कि बगैर पैसे के, बगैर रुपये के, कैसे अधिक से अधिक शिक्षा दी जा सकती है। आपने क्या किया? बेसिक शिक्षा का नाम तो आप बड़े पवित्र तरीके से लेते हैं। लेकिन जो उसकी मूल बात थी, एकानामिक उसे होना चाहिये था ताकि लड़का पढ़ते समय भी रुपया पैदा कर सके और अपना खर्चा चला सके, उसको आपने गायब कर दिया है। इस सिद्धान्त को आप भूल गये हैं। यह कह कर आपने गर्व जरूर किया है कि जिस शिक्षा को प्रान्त ने स्वीकार किया था केन्द्र ने दो चार वर्ष सिर पीटने के बाद स्वीकार कर लिया। हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। जिस बेसिक शिक्षा की हत्या आपने की थी बेसिक शिक्षा के लिये जो रास्ता आपने अख्तियार किया, केन्द्रीय सरकार ने भी उसी को ठीक मान पर आपके रास्ते पर चलना आरम्भ कर दिया। इसको तो हम मान सकते हैं लेकिन हम यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि यह बेसिक शिक्षा वही है जिसको महात्मा गांधी चलाना चाहते थे। उसके मूल में यह बात निहित थी कि कम से कम खर्चा किया जाय और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लड़कों को दी जा सके। आपकी बेसिक शिक्षा को अगर रुपये के हिसाब से देखा जाय तो वह ज्यादा कास्टली है, ज्यादा कीमती है बनिस्बत उस शिक्षा के जो पहले दी जाया करती थी। अब अगर आगे बढ़ें तो मालूम होगा कि एक दो तरीके और भी हो सकते थे। (लाल बत्ती जलने पर) उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दिया जाय तो आपकी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि अपनी बातें मैं बहुत कम कह पाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनट आप और ले लें।

श्री देवीप्रसाद मिश्र—जैसा मैंने आपसे बतलाया कि दूसरा तरीका भी हो सकता है जिससे शिक्षा पर बगैर ज्यादा खर्च बिना किये हुए शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिनों पहले अपने दिमाग से एक तरीका सोचा था—नेशनल सर्विस का, कि हर एक विद्यार्थी जो हाई स्कूल या इंटरमीडियेट, या ग्रेजुएट हो जाय, उसको इस प्रवेश में तभी नौकरी मिलेगी जबकि वह एक साल तक कोई अवैतनिक काम करे, देश की सेवा करे। क्या वह स्कीम त्याग दी गयी? इसलिये त्याग दी गयी कि आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन वह स्कीम बहुत सुन्दर थी, क्यों नहीं उसको फिर से चालू करते और यह अनिवार्य कर देते कि हमारे प्रवेश में कोई भी विद्यार्थी चाहे जिस कक्षा को भी पास करता है,

वह कोई भी नौकरी पाने का अधिकारी नहीं होगा,जब तक कि एक साल तक दूसरा काम करे या न करे लेकिन वह शिक्षा का प्रचार न करे। हम समझते हैं कि एक विद्यार्थी १००, २०० आदमियों को एक साल में साक्षर बना सकता है और इस तरह से आप दो तीन लाख आदमियों को इसी प्रान्त के अन्दर एक साल के लिये मजबूर कर देते हैं कि वे शिक्षा के अन्दर काम करें। इस तरह हम समझते हैं कि बहुत जल्दी और कम खर्चे में ही प्रारम्भिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसा मैंने बतलाया कि आपकी ऐसी स्कीम थी लेकिन आपने उसको कठिनाई की वजह से हटाया होगा लेकिन मैं समझता हूं कि कठिनाई को जब तक पार न किया जायगा तब तक शिक्षा का कोई और महत्व नहीं हो सकता।

एक बात और है। नर्सरी स्कूलों का यहां बहुत वर्णन किया गया है। नर्सरी स्कूल बड़े सुन्दर होते हैं, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब तक शिक्षा पूरी न कर ली जाय तब तक नर्सरी स्कूलों की या ऐसे स्कूलों की आवश्यकता नहीं है जिनमें धन अधिक खर्च किया जाता है। मुझे कहने से माफ करेंगे कि हमारी प्राचीन संस्कृति में इन नर्सरी स्कूलों का कोई स्थान नहीं था। ५ वर्ष के बाद लड़के स्कूलों में चले जाते थे। लेकिन आज कल मैं जानता हूं कि स्त्री पुरुष लड़कों की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, इसी वजह से वे अंग्रेजों की तरह से दो तीन वर्ष के बच्चों को ही नर्सरी स्कूलों में भेज देते हैं। हमको इस बात पर भी विचार करना है कि पुराने जमाने में इस तरह की शिक्षा पर बहुत कम खर्च होता था। यह भी सोचने की बात है कि स्त्रियों की शिक्षा पर आप आज बहुत कम खर्च कर रहे हैं, अगर स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक खर्च किया जाय तो इन नर्सरी स्कूलों की कोई आवश्यकता न रहे। मां अगर शिक्षित हो जाय तो वह अपने लड़कों को पढ़ा सकती है। लेकिन आज इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। औरतों के बारे में जैसा कि आपने बतलाया कि लड़कों के स्कूलों के मुकाबले में आप लड़कियों के स्कूलों को ग्रांट इन एड देते हैं, अगर उसी तरह से देते रहे तो हजारों वर्ष के बाद भी हमारी स्त्रियां शिक्षित नहीं हो सकतीं। इसलिये इस तरफ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि ये स्कूल बहुत खर्चीले हैं। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये अनअथाराइज्ड अधिक फीस लेते हैं। आपको चाहिये कि इस कठिनाई को दूर करें और जो वे अनअथाराइज्ड अधिक फीस वसूल करते हैं, उसको कम किया जाय। समता लाने के लिये आवश्यक है, इसलिये नहीं कि वह दूसरी शिक्षा देते हैं, अब हमारे यहां दूसरी शिक्षा की जरूरत नहीं है, एक समान शिक्षा चाहिये इसलिये उनकी फीस कम की जाय।

यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैं यह कह दूं कि आज यूनिवर्सिटी शिक्षा पर जितना व्यय होता है वह ९० प्रतिशत बेकार हो रहा है, इसलिये कि एम० ए० और एम० एस-सी० पास करने के बाद हमारे लड़के करते क्या हैं,वे वही काम करते हैं जो हाई स्कूल या और इन्टर पास करने के बाद दूसरे लड़के करते हैं कि आकर नायब तहसीलदार हो गये, डिप्टी कलेक्टर हो गये,सब-इंस्पेक्टर पुलिस हो गये। आज एम० ए० पास करने के बाद यूनिवर्सिटी की शिक्षा के बाद, दो चार हजार खर्च करने के बाद, वह मजबूर हो जाते हैं वही काम करने के लिये जो हाई स्कूल पास करते हैं। इसलिए मुझे यह कहने की इजाजत दी जाय कि इस तरह से इस ९० प्रतिशत रुपए को बेकार न जाने दीजिये। हम चाहते हैं कि जो लड़के योग्य हों वही यूनिवर्सिटी में जायं, सब के यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी एजूकेशन को कम करने के पक्ष में नहीं हूं, हमारे यहां की आबादी इतनी बड़ी है और १०० में एक को यूनिवर्सिटी शिक्षा मिलती है, वह बहुत कम है लेकिन जो खर्च आप कर रहे हैं वह आप केवल उन्हीं पर कीजिये जो वास्तव में उच्च शिक्षा पाने के योग्य हैं, उन्हीं को आप स्कालरशिप दीजिये और हर तरह की सुविधायें दीजिये, लेकिन जो किसी योग्य नहीं हैं और किसी तरह से थर्ड क्लास में हाई स्कूल पास हो जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी में स्थान देना, वास्तव में, पैसे का दुरुपयोग करना है।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

भाषा का प्रश्न भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है । आज भाषा सम्बन्धी जो नीति है उसके कारण यहां पर और देश के स्तर पर भी एक खतरा पैदा हो गया है और समस्या जटिल बन गई है । हमारे यहां भाषाओं को जो उचित स्थान मिलना चाहिये वह उनको नहीं दिया गया है । इशारा काफी है, उर्दू के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उससे बंगाली, मराठी और तामिल आदि को भी डर पैदा हो गया है कि कहीं हिन्दी का साम्राज्य हमारे ऊपर भी न छा जाय जैसा कि यू ० पी० में है । यह बात बिलकुल बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी का स्थान जब भी हिन्दी लेगी तब उतने क्षेत्र तक अपने को सीमित नहीं रखेगी जिस क्षेत्र तक अंग्रेजी ने अपने को रखा था । हम अंग्रेजी भाषा को इतनी दूर तक नहीं फैला सके जितनी दूर तक हिन्दी फैल सकती है जिस दिन कि वह राष्ट्रभाषा का रूप ले लेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह के डर को दूर किया जाय ताकि भाषा का प्रश्न जटिल न हो ।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । गत दस वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और हमारी सरकार ने इस ओर एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया है परन्तु जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारी प्रगति अभी बहुत धीमी चाल से हुई है वह बात अवश्य है । हमारे प्रदेश की आबादी ६,३२,१५,७४२ है और १६,१०,४६,००० रुपया अनुदान में मांगा गया है । इसका हिसाब लगायें तो ढाई रुपया फी आदमी औसत आता है और यह रकम हमारी निगाह में शिक्षा के लिये बहुत ही कम है और इसके लिये अधिक अनुदान होना चाहिये । हमारे प्रदेश में इन दस वर्षों में काफी स्कूल, कालेजेज, डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज आदि खोले गये और उनमें शिक्षा की दिशा में बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है और इन दस साल में काफी उन्नति हुई है परन्तु जैसा कि अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा के लिये सरकार की गति बहुत धीमी है । मैंने इन किताबों को पढ़कर जब हिसाब लगाया तो मुझे पता लगा कि इतनी धीमी चाल से यदि उन्नति होनी है तो उसमें दसियों वर्ष लग जायंगे तब महिलायें शिक्षित हो सकेंगी । इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह थोड़े दिनों के लिये लड़कों के स्कूलों को खोलना बन्द करके केवल लड़कियों के ही स्कूल खोलें तो ज्यादा अच्छा है, तब ही हमारी महिलायें उन्नति कर सकती है, क्योंकि अगर आपने उन को बराबरी का हक दिया है और देना चाहते हैं तो यह तभी हो सकेगा जब आप लड़कों के स्कूलों को रोक देंगे और लड़कियों को पढ़ायेंगे तभी बराबरी हो सकती है वरना काफी समय लग जायगा तब लड़कियां शिक्षित हो सकेंगी और लड़कों के बराबर अपने को लड़कियां पायेंगी । इसके अलावा शिशु शिक्षा या नर्सरी शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है और जो रुपया उसके लिये रखा है उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं । यह शिक्षा बहुत ही आवश्यक है और जैसा कि अभी कहा गया कि इस देश में पहले मातायें ही शिशुओं को शिक्षा दिया करती थीं और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि हमारे बच्चे जो पांच साल के अन्दर हैं, उनको स्कूलों में भेजा जाय । यह भी हमने विदेशों से ही सीखा है, विदेशी नीति ही अपनायी गयी है कि शिशुओं को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है । खैर, बड़ा अच्छा है । हमारे छोटे बच्चे बाहर पढ़ेंगे, बाहर रहेंगे तो उनकी काफी उन्नति होगी । इसके लिए भी मैं मंत्री जी को बधाई देती हूं । श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि मैं महिला शिक्षा की ओर थोड़ा सा और कहना चाहती हूं ।

अब भी हमारी लड़कियों को ग्रेजुएट बनाने के बहुत कम साधन हैं । हर जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि लड़कों को आम तौर पर आदमी बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, क्योंकि उनके सामने जीविका का प्रश्न होता है । लड़कियों के लिए जहां तक स्कूल है, मान लीजिये इंटरमीडियेट तक है तो वहीं तक पढ़ कर रह जाती हैं । लड़कियों को बाहर भेजने की सुविधा नहीं है और मनुष्य के पास इतने साधन भी नहीं होते कि उनको बोर्डिंग में रख कर पढ़ायें । इसलिए बहुत कम लड़कियां ग्रेजुएट हो पाती हैं । तो मेरी माननीय

मंत्री जी से प्रार्थना है कि जिलों में कम से कम महिला डिग्री कालेज खोलना ही चाहिये। गांवों में मिडिल स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। पांच-पांच, चार-चार मील के अन्दर लड़कियों के स्कूल होने चाहिए। आज स्कूल बहुत कम हैं और गांवों में हमारी बहुत कम बालिकाएं शिक्षा पाती हैं क्योंकि लड़कों और लड़कियों के जो मिश्रित स्कूल हैं उनमें दस वर्ष के ऊपर की लड़की को कोई ग्रामवासी नहीं भेजता है, क्योंकि इसके ऊपर वह बड़ी समझी जाती हैं। इसलिए मिडिल स्कूल गांवों में जरूर होना चाहिए।

दूसरी चीज यह कि जो बेसिक शिक्षा चलायी गयी है वह बहुत अच्छी है और बहुत उससे उन्नति हो रही है। छोटे-छोटे बालक उससे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मेरी राय में इतना ज्यादा बोझा बच्चों पर लादा गया है, इतने ज्यादा विषय हैं, जैसे हिन्दी, अंकगणित, रेखा गणित, भूगोल, इतिहास आदि जो सात-आठ वर्ष के बालकों के लिए ये अधिक हैं। इस से होता यह है कि बालक किसी भी खास विषय में उन्नति नहीं कर पाता। अगर जनरल नालेज की चीजें ज्यादा सिखायी जायं, पाठ्य पुस्तकें कम कर दी जायं तो ज्यादा अच्छा हो। मेरा यह सुझाव है। मेरा तजुर्बा भी यही है कि किताबें ज्यादा पढ़ने से कुछ बच्चे थक भी जाते हैं। अगर जनरल नालेज के आधार पर जबानी शिक्षा दी जाय तो ज्यादा सीख सकते हैं।

एक और चीज यह है कि शिक्षा की ओर हमारी सरकार ने बहुत उन्नति की है और बहुत विस्तार हो रहा है। पर इसका स्तर कुछ बहुत ऊंचा जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। इसके थोड़े से कारण जो मेरी समझ में आते हैं वह यह हैं। पहला कारण तो यह है कि एक-एक कक्षा में आवश्यकता से अधिक विद्यार्थियों का होना। एकएक अध्यापक के पास १००, १५० विद्यार्थी पढ़ते हैं जिससे वह अध्यापक उन विद्यार्थियों की निजी कठिनाइयों को हल नहीं कर पाता है तो यह चीजें ऐसी हैं कि इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और एक कक्षा में, एक सेक्शन में ४० विद्यार्थी से अधिक न हों तो शायद यह कठिनाई दूर हो जाय। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हो जाते हैं तो फिर अध्यापक भी उनको सम्भाल नहीं पाता है, अध्यापकों को और भी बहुत से काम रहते हैं, जैसे रजिस्टर भरना इत्यादि। तो वह पढ़ाई की तरफ और विद्यार्थियों की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कुछ शायद स्थान की कमी भी इसका कारण हो सकती है। मैंने यहां महिला विद्यालय में देखा एक-एक क्लास में इतनी लड़कियां हैं कि बैठने तक का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है, अपनी किताबें रखने तक की जगह नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि दिन भर सुबह से शाम तक किताबें लिये फिरा करती हैं। किसी की कोई क्लास नियत नहीं है। काफी तादाद में एक-एक क्लास में लड़कियां रहती हैं। तो इस चीज को अगर देखा जाय तो पता लगे कि स्थान की कमी भी, शायद लड़कियों की परीक्षाओं का रिजल्ट अच्छा न होने का एक कारण है।

तीसरी बात शिक्षा के विषय में यह कहनी है कि हमारी सरकार सामाजिक निर्माण तथा और सभी प्रकार के निर्माणों की ओर काफी ध्यान देती है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया है। इसका हमारे स्कूलों में जरूर प्रबन्ध होना चाहिये और मेरी राय में एक क्लास इसके लिये होना चाहिये। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल हमारे भावी नागरिक विद्यार्थीगण जो हैं उनमें बड़ी अनुशासनहीनता है, बहुत अवज्ञा वह लोग करते हैं, बड़ों का आदर कैसे विद्यार्थियों को करना चाहिये, किस तरह से बड़ों से व्यवहार करना चाहिये इसकी उनमें बहुत कमी है। तो मेरे खयाल से प्रोसपेक्टस में भी आध्यात्मिक शिक्षा का विषय होना चाहिये और हमारा जो समाज है वह कुछ धर्मभीरु है। हम चाहते हैं कि धर्म की बात तो नहीं लेकिन उनको चरित्र का ज्ञान जरूर कराना चाहिये कि किस तरह से आदमी ऊंचा उठ सकता है, कैसे चरित्र अच्छा बन सकता है, किस तरह से हमारा जो पहले भारतवर्ष का चरित्र था, उसी तरह की शिक्षा उन विद्यार्थियों को दी जानी चाहिये।.....

श्री उपाध्यक्ष---आप के १० मिनट हो गये। कितना समय आप और लेंगी?

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी—थोड़ा सा समय और लूंगी । अब मुझे यह कहना है कि आजकल की शिक्षा मंहगी है । पहले थोड़ी पुस्तकें होती थीं जो तीन-तीन, चार-चार, साल तक चलती थीं । अब पुस्तकें हर साल बदलती हैं, हिस्ट्री, साइंस और भूगोल यानी हर किताब हर साल बदला करती है । मुझे अपने जमाने की याद है एक अंकगणित चक्रवर्ती की इतनी चलती थी कि चार-चार, पांच-पांच बच्चे एक क्लास में पढ़ा करते थे । उससे काफी बचत होती थी । और मिडिल क्लास मध्यम श्रेणी में किसी के ६, ७ बच्चे हैं तो वह हर साल हर बच्चे के लिये नई किताबें खरीदे तो यह भारस्वरूप हो जाता है । मैं चाहती हूं कि कुछ ऐसी पुस्तकें इस तरह की चुन ली जायं जो जल्दी बदलने वाली न हों और अगर वह २, ४ साल तक चले तो एक कुटुम्ब के लिये बच्चों को पढ़ाना इतना मंहगा न पड़े ।

अध्यापकों के विषय में कहना चाहती हूं । जैसा कि बहुत से भाइयों ने कहा कि शिक्षकों के विषय में दुर्भांति नहीं होनी चाहिये । मैं भी इससे सहमत हूं । एक अध्यापक जो काम करता है वही दूसरा भी करता है । तो अगर कुछ अध्यापकों को कम वेतन मिलता है या भत्ता या मंहगाई कम मिलता है तो उसका नतीजा यह होता है कि वह अपने पेट की फिक्र में ही रहता है, ट्यूशन ढूंढ़ा करता है और उसका ध्यान दूसरी तरफ बंट जाता है, जिससे अध्यापक अपना पूरा ध्यान विद्यार्थियों पर नहीं दे पाता है । माननीय मन्त्री जी यद्यपि इस विषय में काफी प्रयत्न कर रहे हैं, ५ रुपये मंहगाई जो बढ़ी थी वह भी मिलती है । मेरी प्रार्थना है कि वह अध्यापकों के विषय में थोड़ा उदार बनें । धन्यवाद ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य प्रत्येक देश में वहां की शासन व्यवस्था के अनुसार बदलता रहता है । हमारे देश में भी आदिकाल में जो शिक्षा का स्वरूप था, उद्देश्य था, मध्यकाल में जो रहा, इसके बाद अंग्रेजी युग में जो रहा, निश्चित रूप से आज वह नहीं हो सकता । आज के विज्ञान के युग में, आज के प्रगति के युग में, जो देश में एक नये समाज की रचना का स्वरूप बना है, उसको देखते हुए शिक्षा के स्वरूप तथा प्रशासन में दोनों में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में चाहे वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्चतम विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, दोनों के शासन व प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आज आवश्यकता है । श्रीमन्, आज हमने इस बात को अपना लक्ष्य बना लिया है कि अपने देश व प्रदेश में एक समाजवादी समाज की रचना तथा उसका निर्माण करेंगे । इस दिशा में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि जो नागरिक हों, जिनके कन्धों पर प्रदेश के भावी शासन का भार पड़ने वाला हो उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो, वे इस योग्य बन सकें कि आने वाली तमाम जिम्मेदारियों तथा दायित्व को वे बड़ी आसानी से वहन कर सकें । ऐसी दिशा में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये ।

सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये नर्सरी स्कूल खोले हैं । मैं समझता हूं कि नर्सरी स्कूलों की जो वर्तमान व्यवस्था है कि केवल कुछ बड़े नागरिकों के लिये खोले जाते हैं, वह ठीक नहीं है । पूर्व प्राथमिक स्कूल प्रदेश के कोने-कोने में, गांव-गांव में खुलने चाहिये ताकि जो ३ से ५ या ७ वर्ष तक की अवस्था के बालक होते हैं उनके चरित्र का निर्माण, उनके मस्तिष्क का विकास और व्यक्तित्व की रचना ठीक ढंग से हो सके । यह वह अवस्था होती है जिसके लिये मान्यता प्राप्त वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के जीवन का क्या भावी स्वरूप होगा, उसका बीज उसी अवस्था के बालकों के मस्तिष्क पर पड़ता है । ऐसी अवस्था में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि सरकार उन बालकों के मस्तिष्क के निर्माण की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे और कम से कम ३ वर्ष का कोर्स पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये होना चाहिये । देहातों के अन्दर ऐसे स्कूल खुलने चाहिये और शिक्षा की प्रणाली इस ढंग से बदलनी चाहिये कि बच्चे इस बात को समझें कि उनका सामूहिक कर्तव्य क्या होता है । कलेक्टिविटिज्म की क्या वैल्यु होती है और श्रम की क्या महत्ता होती है । शारीरिक और मानसिक उनका विकास हो सके । समाज के भावी स्वरूप का स्पष्ट चित्र उनके मस्तिष्क

में आ जाना चाहिये । ऐसी अवस्था के बालकों के लिये मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि सरकार नर्सरी स्कूल की पद्धति को चन्द बड़े नगरों तक ही सीमित रखने की प्रवृत्ति को छोड़े । मौजूदा नर्सरी स्कूल की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा लगता है कि वे चन्द डिगनेटरीज के बच्चों के लिये बनाये जा रहे हैं जिनमें बड़े लोगों के बच्चों को नये ढंग से शिक्षा मिल सके और वे बच्चे अपने को उनसे, जो किसानों के बच्चे खंडहरों में पलते हैं, पेड़ों के नीचे बैठ कर जिनको शिक्षा मिलती है, जिनको खाने को अन्न और अच्छा कपड़ा पहिनने को नहीं मिलता, अलग समझने लगते हैं । आज के समाजवाद के युग में बच्चों के अन्दर यह प्रवृत्ति भेदभाव की आ जाय और अपने ही समकक्ष के ८६ प्रतिशत जनता के बच्चों को अपने से अलग समझने लगें और स्वयं को बड़ा समझने लगें यह घातक प्रवृत्ति है । इस दोष की तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, हमारे देश में जो बेसिक एजूकेशन है वह निश्चित रूप से शिक्षा का आधार है । सरकार को इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और आज वह समय आ गया है कि जब तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश के नागरिकों का जो भावी जीवन है और स्वरूप है वह स्पष्ट नहीं हो पायेगा और समाज की रचना में कोई सहायता भी नहीं मिल पायेगी । प्राथमिक शिक्षा का आज जो स्वरूप है, प्राथमिक शिक्षा के छात्रों की और उनके अध्यापकों की जो अवस्था है वह अत्यन्त दयनीय है । सरकार इस बात को मानती है कि मौजूदा जिला बोर्ड जो हैं वे इस योग्य नहीं हैं कि वे किसी कार्य का संचालन ठीक से कर सकें । यही वजह है कि पिछले १० सालों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्या स्वरूप हो, सरकार की उसके सम्बन्ध में क्या नीति हो, अब तक सरकार निश्चित नहीं कर पायी है । लेकिन सरकार यह निश्चित रूप से जानती है कि आज के युग में इनका कोई महत्व नहीं है, कोई उनकी उपयोगिता नहीं है । उनके हाथ में फिर प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण भार सौंप देना और विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, यह ठीक नहीं है । सरकार को शिक्षा संस्थाओं का भार अपने ऊपर लेना चाहिये और निश्चित रूप से उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिये ।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा प्रणाली आती है । माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों की पिछले दिनों से कुछ मांगें हैं जिनके कारण निश्चित रूप से सरकार के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा । कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से शिक्षा का जो स्वरूप होगा वह ज्यादा डेमोक्रैटाइज्ड होगा और उसके जरिये से जनवादी शक्तियों का विकास होगा । मैं नहीं समझता कि सरकार को उनके मानने में क्या कठिनाई है ? सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रख कर एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है और इस बात का प्रयत्न किया है कि जो आज माध्यमिक स्कूलों की बिगड़ी हुई दशा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से आज व्यापार का, लूट और भ्रष्टाचार का साधन बन चुके हैं, उनको सुधारने के लिये सरकार ने कहा है कि सरकार कदम उठा रही है । लेकिन जो कदम उठाये गये हैं वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं । श्रीमन्, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा शिक्षा मन्त्री जी से कि इस पर विचार करें कि आज क्या कारण है कि माध्यमिक स्कूल के अध्यापक यह मांग करते हैं कि सरकार स्कूलों के राष्ट्रीयकरण की तरफ कदम उठाये और इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करे । उनकी यह मांग क्यों है ? वह इसलिये कि वहां की शासन व्यवस्था अत्यन्त दयनीय हो चुकी है, उनकी जीविका का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ और सौदेबाजी की जाती है और यही नहीं, उनके साथ लाखों, करोड़ों बालकों की जिन्दगी के साथ भी खिलवाड़ होता है । इस बात का जितना दर्द उन बच्चों के अभिभावकों के दिल में है उतना ही उन अध्यापकों के दिल में है जिनका कर्तव्य होता है कि उनके चरित्र का निर्माण करें । मैं समझता हूं कि सरकार को इन बातों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये ।

इसके साथ-साथ जो स्कूलों में कर्मचारी हैं उनकी तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है । सरकार इस बात पर तो विचार करती भी है कि अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या हो, कैसे उनकी सुविधायें बढ़ाई जायं, लकिन व छोटे कर्मचारी जो अध्यापकों से कम महत्वपूर्ण काम नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

करते और जिनका इन शिक्षा संस्थाओं में एक सक्रिय सहयोग होता है उनके वेतन-क्रम की तरफ, सुविधाओं की तरफ, उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की तरफ सरकार का ध्यान जितना जाना चाहिये था किन्तु बिलकुल नहीं गया है। मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जहां वे इस वर्ग की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं वहां इस बात को भी न भूल जायं कि अत्यन्त दीन-हीन अवस्था में ऐसे कर्मचारी भी हैं जो शिक्षा संस्थाओं में बहुत सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

अब मैं, महोदय, आप की आज्ञा से शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान असोशियेटेड कालिजेज के अध्यापकों की तरफ आकर्षित करूंगा। पिछली बार जब लखनऊ और इलाहाबाद विश्व-विद्यालय विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत थे उस समय उनकी कुछ मांगें सदन में हम लोगों ने उठायी थीं। विश्वविद्यालय के अध्यापक और उनके प्रतिनिधि, दोनों के वेतन-क्रम में, दोनों की सुविधाओं में, दोनों के प्रतिनिधित्व में सरकार ने जो भेद-भाव की नीति रख छोड़ी है उससे एसोशियेटेड कालेजेज के अध्यापकों के बीच घोर असन्तोष फैला हुआ है। मैं चाहता हूं और जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने पिछली बार आश्वासन भी दिया था, वह वेतन-क्रम समान तो नहीं कर सकेंगे लेकिन उनका वेतन-क्रम पर्याप्त नहीं है और उसको उन्नत करने की उनकी मन्शा है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत उनको पड़ी जिसके कारण वर्तमान बजट में न तो सरकार ने कोई उसके लिये व्यवस्था की और न ही उसकी ओर कोई संकेत किया। क्या कठिनाई हैं उनको और अपने उस दिये हुए वचन को वे कब पूरा करने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस सम्बन्ध में एक सर्कुलर विश्वविद्यालयों के पास भेजा था, सम्भवतः सरकार के पास भी आया होगा। ६–७ सितम्बर, १९५७ का यह सर्कुलर है। उसमें लिखा है कि यदि प्रदेशीय सरकार या विश्वविद्यालय और कालेजेज के प्रबन्धक इस बात की जिम्मेदारी लें कि जो वेतन-क्रम इन अध्यापकों का २००–५०० रु० के रेन्ज में बढ़ेगा उसका अगर ५० प्रति-शत खर्चा प्रदेशीय सरकार या उसके प्रबन्धक वहन करें तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी, व उसे स्वीकार कर लेंगे। मैं समझता हूं कि कम से कम जो बढ़ने वाला खर्चा है उसका ५० प्रतिशत तो यों ही इस ग्रांट से खत्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्रीमन्, इस ग्रांट के सम्बन्ध में मैं एक राय और देना चाहता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि विश्वविद्यालयों की जो संख्या हमारे प्रदेश में बढ़ रही है उसकी बढ़ोत्तरी में चाहे कुछ कमी आ जाय लेकिन सरकार की जो व्यावसायिक शिक्षायें हैं, वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये। आज आवश्यकता भी इस बात की है। हमारी शिक्षा की जो पद्धति और प्रणाली होगी निश्चित रूप से उसका सम्बन्ध प्रदेश के आर्थिक ढांचे के साथ बड़ा गहरा होगा। हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है, छात्रों के अन्दर असन्तोष बढ़ रहा है, उद्देश्य विहीन होकर वे घूमते हैं और शिक्षा वे इसलिये प्राप्त करते हैं कि कुछ दिन और यूनिवर्सिटी और कालेज में व्यतीत कर सकें, बाहर निकलने के बाद जो उनको परेशानी और ग्लानि उठानी पड़ती है उससे कुछ दिन और बचने के लिये वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ताकि व्यावसायिक शिक्षा संस्थायें बढ़ें जिससे लोगों में आत्मनिर्भरता, अपने परों पर खड़े होने की शक्ति पैदा हो सके।

एक सुझाव प्रशासन के सम्बन्ध में और देना चाहता हूं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आज की शिक्षा अधिक जनवादी हो सके। इसके लिये नीचे से ऊपर तक जन प्रति-निधियों का सहयोग प्रत्येक स्तर पर सरकार को प्राप्त करना चाहिये। इसलिये जिला स्तर से लेकर प्रदेशीय स्तर तक जन प्रतिनिधियों का इस प्रकार से सहयोग प्राप्त किया जाय, ऐसी कमटियां बनायी जायं जो सरकार को केवल शिक्षा प्रणाली के ही सम्बन्ध में सुझाव न दें बल्कि प्रशासन कैसा हो, किस स्थान की क्या विशेष आवश्यकता है, उसके अनुसार क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, इन सब बातों पर भी ध्यान दें। आज प्रदेश के अन्दर शिक्षा

के सम्बन्ध में एक कन्फ्युजन पैदा हुआ है और जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि आज शिक्षा की क्या नीति हो यही हम निर्धारित नहीं कर सके हैं, यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के विषय पर जो इस सदन में डिबेट हो रहा है मैं उस डिबेट का स्वागत करते हुए अपनी सरकार और माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं गोया कि मैं जो आज कमियां और खामियां शिक्षा में हैं उनको न सरकार के ही मत्थे मढ़ता हूं और न उनका दोष मन्त्री जी को ही देता हूं । परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी गड़बड़ी हमारे देश के अन्दर है उतनी दुनिया के अन्दर कहीं भी नहीं मिल सकती है । इसका मुझे बड़ा खेद है कि शिक्षा के विषय पर कोई निश्चित धारणा हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बनायी है, न अपने निश्चयों पर दृढ़ता से अपना कदम आगे बढ़ाया है और इसके हमारे पास बहुत प्रमाण हैं कि हमारी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो चन्द वर्षों के बाद हमारी सरकार को उस कदम को पीछे हटाना पड़ा है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में पढ़े-लिखे लोगों की कमी नहीं है तो फिर न जाने क्यों सरकार के इस तरह के निर्णय होते हैं जिससे हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और अपना बढ़ा हुआ कदम पीछे हटाना पड़ता है । इसलिये, श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी निर्णय लिया जाय तो वह इतनी जल्दी में नहीं लिया जाना चाहिये जैसा कि गुजिश्ता सालों में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं ।

मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर, हमारे प्रदेश के अन्दर जब प्लानिंग की बात की गई तो मानसिक क्षेत्र का प्लानिंग सब से पहले होना चाहिये था, क्योंकि कार्य क्षेत्र में सबसे पहले विचार पैदा होता है और विचार ही कार्य रूप में उपस्थित होकर, संसार की सेवा के लिये और भविष्य के विकास के लिये क्रियाशील हुआ करता है । इसलिये मेरी समझ में यह बात आती है कि हमारे देश में इस शिक्षा के अन्दर कोई भी प्लानिंग सिस्टेमेटिकली नहीं किया गया है । इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा की उन्नति के लिये सरकार ने बड़े-बड़े प्रयास किये हैं और बड़े-बड़े कमीशन भी बिठाये हैं लेकिन मैं उन सब कमीशनों की रिपोर्टों को खोखली समझता हूं । क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा है और उन्होंने उस शिक्षा पद्धति को प्रतिपादित करते हुए देश के जीवन को संचालित करना चाहा है जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में अच्छी तरह से पनप नहीं सकती है । उसम हमारे विचारों का एक्सप्रेशन सही तौर से और आजादी के साथ नहीं हो सकता है । उसमें हमारा थिंकिंग लिमिटेड हो जाता है ।

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त खेद है कि जिस रोज हमारा देश हिन्दुस्तान आजाद हुआ था उसी रोज अपने देश की भाषा हिन्दी या ऐसी भाषा जिसके ऊपर सारे देश का विश्वास होता उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिये था और आज जो हर प्रान्त में गड़बड़ी हो रही है वह नहीं होती । आज कुछ बड़े आदमी मूर्खता की बातें करते हैं और उससे हमारे विचारों को आघात पहुंचता है । मेरी समझ में नही आया कि यह सरकार क्यों उनकी हिमायती है, हमदर्द है, उनको दोस्त समझती है जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो दोस्त हैं उनके ऊपर छुरी चलाई जाती है और जो मुल्क के दुश्मन हैं उनको बड़ी-बड़ी उपाधियां दी जाती हैं और भारतवर्ष का ऊंचे से ऊंचा सम्मान दिया जाता है । मैं नहीं समझता कि इसकी गुंजाइश इंसाफ की नजर में कहां तक है ? हम भी जानते हैं कि दुनिया के अन्दर विचार क्या है ? बुद्धि क्या है ? आज हिन्दुस्तान के अन्दर हम जगह-जगह देखते हैं कि पुरानी बात को ही तरजीह दी जाती ह, पुरान तौर तरीकों को ही तरजीह दी जाती है । लेकिन आज शिक्षा में हर एक अपने-अपने

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

अलग-अलग विचार रखता है लेकिन अपने देश को बनाने का विचार किसीके दिल और दिमाग में नहीं है ।

हां, हमारे देशवासियों ने बराबर शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की । उसके लिये मैं आभारी हूं । लेकिन जितना आभारी हूं उससे अधिक मुझे खेद है कि हमारी सरकार ने पैर फैलाये, हाथ फैलाये लेकिन ठिकाने से खड़े होने की कोशिश नहीं की । प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा बहुत खोखली है । हम समझते हैं कि दस साल इसके कंसालिडेट करने में लगने चाहिये थे । जल्दी की क्या बात है और जल्दी करने से ही हमारे देश का अहित हो रहा है । जिस कदम को हम आगे बढ़ातें हैं वही हमारा कदम पीछे हटता है इसमें कोई खूबी नहीं है । मैं समझता हूं कि जो कदम आगे बढ़ा है उसे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना चाहिये, और उसे पीछे नहीं हटाना चाहिये । मैं समझता हूं कि जब तक हमारे प्राइमरी स्कूल्स को हरा भरा नहीं किया जाता और प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाता उस समय तक चाहे जो भी एलान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से किये जायं, वे सब बेकार साबित होंगे । उस समय तक हम कितनी भी आज्ञानता दूर करने की बात कहें, वह सब हमारी भूल होगी और हमारे सारे दावे गलत होंगे । यह तभी संभव हो सकता है कि अब शिक्षा नीचे से अनिवार्य हो । और उसके बाद १०, २० साल के समय में यह अशिक्षा अवश्य दूर हो सकती है । लेकिन मुझे खेद है कि आप बूढ़ों को तो अ, आ, इ, ई पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं देते । कोई कम्पल्सरी एजूकेशन का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से नहीं है इसलिये मैं कहता हूं कि २०,५० साल तक भी इस तरह से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती । अगर हम प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे तो हमारी आगे आने वाली संतानों के सामने स्कूल ही स्कूल होंगे और इस प्रदेश में फिर अशिक्षा नहीं रह सकती है । भले ही कुछ लोग सोचें कि सोचने की ठेकेदारी उन्हीं के पास हैं लेकिन तर्क और बुद्धि बताती है कि आगे चलने पर हमको एक कामन एग्रीमेंट पर आना पड़ता है । आप कोई समझदार आदमी लाइये, हम उसको समझा सकते हैं ।

दूसरी बात यह कि अपने प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, उस को आगे बढ़ाया जाना चाहिये । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि आप हर शहर में कालेजों की भरमार कर दें । जितने डिपार्टमेंट उतने कालेज । हम उसके विस्तार की बात करते हैं लेकिन जब हम उसके साथ नीति और व्यवहार की बात उठाते हैं तो उस संबंध में सुनकर खेद होता है । अगर यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आप मेरठ में क्यों नहीं खोलते ? क्या कोई आंख और बुद्धि वाला आदमी यह बता सकता है कि सिवाय मेरठ के और कौन जगह है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में कि जहां यूनिवर्सिटी खुल सकती है ? मुझे दुःख है कि हमारे पौढ़ी-गढ़वाल में एक गवर्नमेंट इंटर कालेज था जिसे सरकार ने उठा दिया । उसके पीछे कौन सा तर्क और कंसीडरेशन था और क्या बात सरकार को खटक रही थी कि जिसकी वजह से उसे समाप्त कर दिया गया ? यह मैं जानना चाहता हूं । यह कोई दलील नहीं है कि वह सरकारी था इसलिये आपने खत्म कर दिया । हर साल नये इंटर कालेज और हाई स्कूल खुलते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो जगहें पिछड़ी हुई हैं, जहां के लोगों को अंग्रेजी जमाने में शिक्षा का कोई मौका नहीं दिया गया, आज हम खुदगरज बन कर अपने हितों को पहचानें और उनको आज भी मौका न दें, यह उचित नहीं है । इस देश के लोग बुद्धिजीवी लोग केवल वोट के लिये ही नहीं पेदा हुए हैं । वोट न होंगे तो क्या हम काम नहीं करेंगे ? क्या देश वोट न होने से आगे नहीं बढ़ेगा ? दूसरी बात और भी मैं कहने के लिये मजबूर हूं क्योंकि हमारे हृदय में दर्द व दुख इतना भरा हुआ है कि जिसको कहना मैं सदन में नितान्त आवश्यक समझता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पुराना स्कूल तोड़ दिया गया है । और नये स्कूल सब जगह खोले जा रहे हैं । मैं माननीय त्रिपाठी जी को दोष नहीं दे रहा हूं, यह सब तो उनके आने से पहले ही हो गया है ।

एक और बात यह है कि हमारे यहां एक गर्ल्स स्कूल है जिसकी बिल्डिग के लिये रुपया रखा जाता है लेकिन बिल्डिग नहीं बनती है। क्या आप समझते हैं कि बजट में रखने से हमें कुछ संतोष हो जायगा, हमारा दुःख और मुसीबत दूर हो जायगी ? एक छोटी सी बिल्डिग क्या है मुर्गीखाना है और उसी में कालेज लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर यह सदन सुप्रीम बाडी है, साढ़े छः करोड़ जनता का फैसला करने वाला है, और कठपुतलियों का घर यह नहीं है, तो इस हाउस से भी मैं यह दरख्वास्त करूंगा तथा त्रिपाठी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे हमारे इंटर कालेज पौड़ी को रेस्टोर कर दें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कैलाश प्रकाश जी के विद्वतापूर्ण भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन मैं उनकी शिक्षा नीति की सराहना नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग उन बातों को पूरा नहीं कर पाया है जिनकी अत्यन्त आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा की देन तीन मुख्य चीजें हैं---भग्न आशा, बेरोजगारी और अज्ञानता। मैं मानता हूं कि हमारे संविधान की धारा ४५ के मुताबिक भी अभी तक हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी है और मानव के सोचने के तरीके में भी क्रान्ति वह नहीं ला सकी है, तथा प्रजातंत्र के उत्थान में भी यह विभाग सहायक नहीं हो सका है। जहां तक धारा ४५ का सम्बन्ध है माननीय कैलाश प्रकाश जी ने प्लानिंग कमीशन की शरण ली और कहा कि भारत के प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि ११ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिये लेकिन हमारा शिक्षा विभाग उसमें भी असफल रहा है। भारत को और हमारे प्रदेश को आज के युग में दूसरे देशों के साथ ही चलना होगा। इंगलैंड एजूकेशन ऐक्ट की धारा ७ में कहा गया है, जो कि १९४४ में बनाया गया था, उसमें कहा है कि ४४ से ४७ तक १४ वर्ष से १६ वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन दी जायगी। फ्रांस में भी सन् ४७ से ५४ तक फ्री कम्पलसरी एजूकेशन रही। उनके कानून में कहा गया है---

"Beyond the 18 th year or the compulsory age education enters upon its second unit and is open to those who have demonstrated the necessary competence."

यानी वे १८ वर्ष तक के बच्चों को कम्पलसरी फ्री एजूकेशन देना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को रूस की मिसाल बताना चाहता हूं। मैं रूस से चौंकता नहीं हूं। उनके यहां यह विधान है ---

"In unprecedentedly short space of time—the course of only a few years—universal and compulsory free education was introduced for all people in the U. S. S. R."

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, पीठासीन हुए।)

तमाम लोगों को कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन है। लेकिन हमारे यहां अभी तक ऐसा नहीं कर पाये हैं। हमारी सरकार को १० साल उत्तर प्रदेश में हो गये, मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने १० साल में दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में साक्षरता में कितनी प्रगति की है। वह इस प्रकार है ---

उत्तर प्रदेश १३.०	बम्बई ३९.०
मध्य प्रदेश १६.०	मद्रास २३.०
पंजाब २०.०	वेस्ट बंगाल २६.०
बेहली ४०.०	ट्रावनकोर कोचीन ५८.३

[श्री प्रताप सिंह]

उसके अलावा परसेंटेज आफ पीपिल्स टु पापुलेशन यानी आबादी के मुताबिक कितने प्रतिशत हम लोगों को पढ़ा रहे हैं वह इस प्रकार है —

यू० पी	..	..	..	..	६.१
बम्बई	..	..	..	..	११.९
मध्य प्रदेश	..	..	..	..	६.६
मद्रास	..	..	..	..	८.८
पंजाब	..	..	..	..	७.२
वेस्ट बंगाल	..	..	..	..	९.०
देहली	..	..	..	..	१२.१
ट्रावनकोर कोचीन	..		..	..	१६.९

तो लिट्रेसी के हिसाब से और पापुलेशन के आधार पर कितने प्रतिशत लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं उनमें हमारा प्रदेश सब से कम है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यद्यपि यह शिक्षा प्रणाली खराब है फिर भी क्या प्रत्येक झोपड़े और मकान तक आप शिक्षा को पहुंचा पाये, इसका जवाब वे दें ।

जहां तक सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के शिक्षकों का है, जो व्यक्ति दबे हुए हैं, गुलाम हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट की तानाशाही के शिकार हो रहे हैं वे हमारे जिला बोर्ड के अध्यापक हैं । माननीय मन्त्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अध्यापकों का स्तर ऊंचा होना चाहिये । मान्यवर, मैं आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के सेकेन्ड फाइव इयर प्लान के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है यह भी उनसे पूछना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में आपकी इजाजत से दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं —

"It has been generally recognized that the low salaries of teachers come in the way of improving the system of primary education. The teacheres should be paid regularly their increments and salaries."

श्रीमन्, तन्ख्वाह बढ़ाने का सवाल तो अलग रहा, सदन में बार-बार इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि चार-चार और छः-छः महीने की तन्ख्वाह जिला बोर्ड के अध्यापकों को नहीं मिल पा रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे वे उम्मीद करते हैं कि अध्यापक सही तरीके से बालकों को पढ़ावेंगे ? किस तरीके से अपने प्रान्त की शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा ? यह भी सब को ज्ञात है कि बिना प्राइमरी एजूकेशन का स्तर उठे हुए सेकन्डरी एजूकेशन उठ नहीं सकती है ।

यहां पर बेसिक शिक्षा की बात की गयी है जिसको कि जाकिर हुसैन कमेटी ने भी स्वीकार किया और केन्द्रीय सलाहकार समिति ने भी स्वीकार किया है । महात्मा गांधी ने भी इसके लिये कहा था कि बेसिक शिक्षा मनुष्य के जीवन के द्वारा होनी चाहिये, उसका समुन्नय उससे होना चाहिये । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर इस बात को माना जा रहा है ?

अब सवाल आता है इंटरमीडियेट एजूकेशन का । मान्यवर, इस बात पर मुझे ताज्जुब होता है कि १० साल क बाद आज इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि इंटरमीडियेट बोर्ड ऐक्ट में अमेंडमेंट लाया जाय । जरूरत आज इस बात की थी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे हिन्दुस्तान के लिये एक काम्प्रेहेंसिव ऐक्ट एजूकेशन का होता और उसी के मुताबिक काम होता लेकिन मैं देखता हूं, मान्यवर, संशोधन बिल में एक ओर तो उद्देश्य में लिखा गया है कि अध्यापकों का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं लेकिन उसी के अन्दर एक धारा इतनी गलत जोड़ी

गयी है कि अगर सरकार किसी कालेज से नाराज है तो उस के लिये एक कंट्रोलर नियुक्त करेगी और अगर कंट्रोलर भी उस कालेज से नाराज है तो उस कालेज को ही सरकार खत्म कर देगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरीके से आप स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और २० या २२ अध्यापक जो उस स्कूल में होंगे या जो विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ते होंगे उनका भविष्य क्या होगा ? इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि एक काम्प्रहेंसिव ऐक्ट आना चाहिये।

दूसरी बात जो सब से जरूरी है वह कोआर्डिनेशन की है। प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी शिक्षा सबका एक कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

तीसरी बात जो रेजीमेंटेशन की है वह बहुत खराब है। आज विकेंद्रीकरण की जरूरत है। जो सरकार रेजीमेंटेशन करती जा रही है और डाइरेक्टर महोदय के हाथ में सारी सत्ता दे देना चाहती है वह बहुत अनुचित है।

उसके बाद जहां तक विश्वविद्यालय के अध्यापकों का सवाल है माननीय मंत्री जी ने उसके लिये तीन साला जो इंतजाम करने की बात कहते हैं जहां तक उसमें तीन साल के कोर्सेज का सवाल है उसे विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर ही छोड़ना चाहिये। सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिये। विश्वविद्यालयों में बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री हैं। उन्हीं के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया जाय।

चौथी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है और माननीय मंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि शिक्षित अध्यापक होने चाहिये। लेकिन ट्रेनिंग का जो सिस्टम चल रहा है वह अंग्रेजों के जमाने का है। मेरे सुझाव यह हैं कि जो नार्मल स्कूल्स हैं उनको इंटरमीडियेट कालेज फार एजूकेशन बना दिया जाय और जो एल० टी० कालेजेज हैं उनको डिग्री कालेज फार एजूकेशन करके स्थापित कर दिया जाय। इससे क्या होगा ? इससे केवल वही लोग ट्रेनिंग पाने नहीं जायंगे जो सर्टीफिकेट हासिल करना चाहते हैं बल्कि वे लोग भी जायंगे जो शिक्षा के प्रेमी हैं।

इसके बाद एडेड इंस्टीट्यूशंस का सवाल है। जहां तक उनकी संख्या का सवाल है उससे साफ जाहिर है कि हमारी शिक्षा नीति लोगों को शिक्षित करने में इसीलिये असफल रही है और ताज्जुब तो इस बात का है कि एडेड इंस्टीट्यूशंस के और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो अध्यापक हैं उनके पे में जमीन आसमान का अन्तर है।

अन्त में मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यू० पी० पे कमेटी रिपोर्ट के पेज ३० में दिया हुआ है कि ६० रु० तक तनख्वाह पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे चपरासी हों, पोस्टमैन हों, पुलिस के सिपाही हों व अध्यापक हों या कोई भी हों, उनके बच्चों को हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दी जाय। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत क्रमशः ३ और १० एसोशिएटेड कालेज हैं और इनमें उनके ५६० अध्यापक हैं, जिनके ऊपर केवल वेतन क्रम ठीक कर देने से ३५,००० सालाना खर्च होगा। सरकार को चाहिये कि वह उस तरफ भी ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने काफी दायें बायें देखने के बाद आखिर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर कितना भी रुपया मांगा जाय उसमें किसी को गुरेज नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि आज जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है और उस पर जितना रुपया खर्च होता है, उसके अनुकूल हमें उसका नतीजा मिलता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

या नहीं मिलता है । शिक्षा का ध्येय एक ओर व्यक्ति का विकास करना है, दूसरी ओर देश के नव संतानों को नयी आवश्यकता के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना है और देश का निर्माण करने के लिये विभिन्न कामों के लिये लोगों को तैयार करने का प्रयास करना है । इसी नजर से किसी शिक्षा प्रणाली के विषय में सोचा जा सकता है ।

जहां तक हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं । संत विनोबा से लेकर, राजेंद्र बाबू से लेकर राम गोपाल तक प्राय: सभी यही कहते हैं कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली हमारी नयी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है और उसकी जो अब तक की उपज है यानी जो लोग इसके अन्तर्गत तैयार होते हैं, उनमें जो खराबियां हैं, वे हमारी आंखों से छिपी हुई नहीं हैं । मोटे तौर पर मौजूदा शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप आदमी कुछ काम को छोटा समझता है और कुछ काम को बड़ा समझता है । इसके अन्तर्गत जो आदमी तैयार होते हैं, उनमें कुछ की तो सेहत अच्छी हो जाती है तो उनकी अक्ल गिर जाती है और कुछ की अक्ल अच्छी होती है तो उनकी सेहत कमजोर हो जाती है । उनका अक्ल से कोई वास्ता ही नहीं होता है । तो इस तरह से डिजआर्डर्ली डेवलपमेंट के अन्तर्गत आदमी पैदा होते हैं तो फिर किसी चीज का आर्डर्ली डेवलपमेंटस कैसे हो सकता है । इसके साथ-साथ जो साइंस की शिक्षा लेते हैं, उनके अन्दर हम देखते हैं कि उनका दिमाग बिलकुल अनसाइंटिफिक होता है । जो साइंस के स्टुडेंट्स होते हैं, डाक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं या केमिस्ट होते हैं, वे सब विचार से अनसाइंटिफिक होते हैं और समाज के प्रोबलम के विषय में, सिवा अपने विषय के दूसरी बातों की उनको कोई जानकारी नहीं होती है । इसलिये आवश्यक है कि हम शिक्षा के ढांचे को बदलें । शिक्षा एक आला है, जिसके जरिये करोड़ों इंसानों के दिमाग को किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है और उस नजर से जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह समाज की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है । इसके लिये आवश्यक है कि हम कोई नया ढांचा तैयार करें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । शिक्षा प्रणाली का ध्येय यह होता है कि जब राजतंत्र था दुनिया के अन्दर जब हम देखते थे कि लोगों का ऐसा विश्वास था और बच्चों को यह शिक्षा दी जाती थी कि राजा ईश्वर और पिता तुल्य होता है । इस प्रकार से शिक्षा जो है वह समय का जो आर्डर होता है उसका समर्थन करती है । आज जब हम ने राजतंत्र प्रणाली से मुड़ कर समाजवाद की ओर पग बढ़ाया है तो हमारे विचारकों का फर्ज है कि हमारी शिक्षा प्रणाली का जो मूल ध्येय है उसे शिक्षा विचारकों को बतायें और उसके लिये मेरा खयाल है कि गवर्नमेंट का जो तरीका है कि छोटे-छोटे से शिक्षा रिफार्म्स के लिये कमेटी बिठा देते हैं, एक कोड सा बन गया है कि हमारे जो एजूकेशनिस्ट्स हैं वही हमारे मौजूदा एजूकेशन के ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं जिनकी कि हम कमेटियां बनाया करते हैं । मैं बड़ी नम्रता और अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मेरा खयाल है कि हमारे जो यह मौजूदा एजूकेशनिस्ट्स हैं वे तो स्वयं उसी सिस्टम के प्रोडक्ट हैं जिस को वे परिवर्तित नहीं कर सकते, वे तो केवल एक मरहम मात्र जैसा लगा देते हैं कि १०वें दरजे की जगह ११वां को दो या १२वें की जगह १३वां कर दो। उन को स्वयं यह ज्ञान नहीं होता कि मौलिक रूप से इस पुरानी व्यवस्था को कैसे बदला जाय । जब तक उनकी एक क्रांतिकारी मनोवृत्ति न होगी वह शिक्षा के ढांचे को बदल नहीं सकते । आज होता यह है कि नये-नये क्लासेज, नई नई पोस्टस, नये तरीके आते और जाते हैं लेकिन ढांचा वही रहता है । इसलिये हमारी जो यह अप्रोच है वह कभी लाभदायक नहीं होगी जब तक हम शिक्षा के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं करते, हम पूरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करें और उस में जो काम करने वाले लोग हैं उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करें ।

मैं इस संबंध में में दो एक सुझाव भी देना उचित समझता हूं । पहला यह है कि गवर्नमेंट को शिक्षा के नये ढांचे के लिये एक हाई पावर कमेटी या कमीशन कहिये मुकर्रर करना चाहिये और उससे कहना चाहिये कि हम यह चाहते हैं कि इस देश में किस ढंग की

शिक्षा होनी चाहिये, प्राइमरी स्टेज में सेकिन्डरी स्टेज में या यूनिवर्सिटी में हम किस तरह की शिक्षा अपने यहां चाहते हैं। सदन में विचार व्यक्त किये गये कि यूनिवर्सिटी के मामले में हाथ नहीं डालना चाहिये। सदन में जो विचार व्यक्त किये गये उनसे मैं सहमत हूं कि हमारी मौजूदा यूनिवर्सिटीज पर जितना रुपया व्यय होता है उससे समाज को उतना लाभ नहीं होता और कोई चीज नहीं मिलती। जो वहां का पाठ्यक्रम है, जो इकोनामिक्स के ग्रेजुएट वहां पर निकलते हैं उनसे अगर पूछा जाय कि भाई यह बताओ कि यहां आजकल इतनी बेकारी क्यों है तो वह यही कहेगा कि इस प्रकार की चर्चा तो मुझे किसी किताब में नहीं मिली कि इस समय क्यों इतनी बेकारी है। जो प्रोफेसर हैं उनके रटे हुये सेट लेक्चर होते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई भी एम०ए० पास लड़का देश की प्राबलम्स का कोई ज्ञान नहीं रखता। इसी तरह से उनका इतिहास में भी कोई ज्ञान नहीं होता कि ५-६ सौ वर्ष पहले आदमी कैसे थे उनके सोचने का ढंग क्या था अगर किसी एम०ए० पास लड़के से पूछा जाय कि ताज किसने बनाया था तो वह यही कहेगा कि शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन जो असली इतिहास है कि उस समय कौन से कलाकार रहते थे, कौन से इंजीनियर रहते थे, इसका उनको ज्ञान नहीं होता। मैं यह नहीं कहूंगा कि यहां मदरसे खोले जायं और यहां न खोले जायं लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस ढांचे में हम चल रहे हैं उससे दूर हटकर हमें एक आमूल परिवर्तन इस शिक्षा प्रणाली में करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे यहां चाहे तादाद ग्रेजुएट्स की बढ़ जाय लेकिन वह रुपया मेरा ऐसा खयाल है कि जाया ही होगा। मैं एक मिसाल दूंगा कि हमारे इस एजूकेशन सिस्टम के जो प्रोडक्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स, डाक्टर, पी० सी०एस०, आई०ए०एस० आफिसर्स जो हैं जो सर्विसेज में भी आ जाते हैं उनके विचारों की हालत यह है मैं आप से निवेदन करूं कि इन पढ़े लिखे लोगों में इतनी जाति पांति के विचार है, इतनी संकीर्णता है, इतना दोष है कि सरे बाजार उनकी शादियों के मौके पर १५,१८ और २०-२० हजार की बात चीत होती है और दाम लगते हैं और उनके मन में उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होता बल्कि वे उस गलत चीज में साझीदार होते हैं और कहते हैं कि २०,००० से ऊपर लागत लगाकर तो हम पढ़ लिख कर वहां तक पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा हो कि इस प्रकार के विचारों में एक प्रतिक्रिया हो और जो शिक्षा इस तरह के विचारों को पैदा करती है उसके बारे में हमें सोचना होगा कि उसको कैसे हटाया जाय। हमें अपने यहां ऐसे विद्यार्थी पैदा करने हैं कि जिन में देश प्रेम की भावना हो, जिनके सोचने का ढंग, विचारने का ढंग देश की आवश्यकता के अनुरूप हो, एक नये प्रकार का पाठ्य-क्रम उनके लिये तैयार हो। हमारा जो समाजवादी समाज बनाने का ध्येय है उसको पूरा करने में हमें सहायता मिले ऐसी शिक्षा हमारी हो जिन लड़कों में देश का प्रेम हो, काम करने का चाव हो, श्रम की इज्जत करने का खयाल हो। इसके लिये हमें पूरे तरीके और ढंग को बदलना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा व्यय भी अधिक होगा और कोई लाभ न होगा।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय दुबे जी के कटमोशन की ताईद करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज तक अंग्रेज के खिलाफ हमारा यह इल्जाम था कि अंग्रेज क्लर्क पैदा कर रहा है। लेकिन हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है कि लाखों नौजवान दरख्वास्त लिये फिरते हैं और हम उन्हें क्लर्की भी नहीं दे सकते हैं। मेरी इत्तला है, छोटा सा मुल्क पड़ोस में पाकिस्तान है, मैंने खुद जा कर देखा है वहां फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एक भी सारे मुल्क में बेकार नहीं है।

दूसरी तरफ यह है कि यू०पी० में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में १,३५,००० हजार आदमी रोजाना बेरोजगारी में नाम लिखाते हैं। इंजीनियर्स भी बेकार हैं, रुड़की यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी बेकार हैं। कहीं न कहीं हमारे एजूकेशन सिस्टम में गलती है। इसीलिये हम लोग सफर करते हैं। कोई वजह नहीं है कि इन १० सालों में हम नौजवानों को ठीक रास्ता

[श्री यशपाल सिंह]

न बतला सकते, ठीक रोजगार न दे सकते। मुडालियर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि अगर नौजवान को यह विश्वास हो कि उसे उसकी योग्यता के मुताबिक कार्य मिलेगा तो हरगिज उसमें अनुशासनहीनता नहीं आ सकती। आज नौजवान को विश्वास नहीं है कि पास करने के बाद उसको कोई रोजगार मिलेगा, इसलिये अनुशासनहीनता बढ़ती है। "एम्प्टी माइंड इज दि डेविल्स वर्कशाप।" कोई न कोई हमें इस मसले का हल निकालना पड़ेगा।

शिक्षा का विषय बड़ा विस्तृत है। एक समुद्र की तरह अथाह है और समय थोड़ा है इस लिये मैं चाहता हूं कि गागर में सागर को भर दूं। दो चार सुझाव ऐसे दूं जिससे मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाय और हम समझ सकें कि वाकई हमने शिक्षा के रास्ते में कुछ सुधार किया है। हमारे शिक्षा मंत्री जो महानतम् विभूतियों में से हैं। अगर वे चाहें तो इस चीज का हल निकाल सकते हैं। जब तक हमारी शिक्षा का ध्येय मनुष्य को स्वतंत्रता की ओर ले जाना नहीं होगा जब तक "साविद्या या विमुक्तये" जब तक आजाद होने की तरफ नहीं सोचेंगे तब तक इस एजूकेशन का कोई फायदा नहीं हो सकता। जब तक हममें यह शिक्षा चल रही है कि मनुष्य का घरेलू जीवन और होता है और उसका सार्वजनिक जीवन और होता है, जब तक प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ इन दोनों को मिला कर एक नहीं कर देते और नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये शिक्षा नहीं देते हैं तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता है। हमारे वेद भगवान जो हमें सबसे पहली चीज सिखाते हैं :—

"यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदन्तरम्"

मनुष्य का सार्वजनिक जीवन और वैयक्तिक जीवन एक हो जाय। जब तक हम अलग-अलग सोचते रहेंगे, सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन की विभिन्नता हमें अन-गाइली वेस्ट ने सिखलाई है। अन्त में यूरोप को पछताना पड़ा। शैले ने कहा है —

"The most fatal error that ever happened in the world was the separation of political and ethical science"

वह कहता है कि सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि हमने धर्म, सदाचार तथा राजनीति को अलग-अलग कर दिया है। अगर हम आज भी सोचें कि मनुष्य की पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ एक होती है। अगर हम आज भी सोचें इकबाल के शब्दों में—

"जलाले बादशाही हो या जम्हूरी तमाशा हो,
जुदा हो दीं सियासत से तो रह जाती है चंगेजी।

आज भी हम सोचें अपने ऐमाल से, अपनी प्राइवेट लाइफ से ऊपर उठ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य गांधी बन सकता है, भगवान बुद्ध बन सकता है, विवेकानन्द बन सकता है। यह शिक्षा दी जाय तो सबसे बड़ी शिक्षा होगी और एक साल के अन्दर हम इस मसले को हल कर सकते हैं।

स्वास्थ्य की शिक्षा सबसे पहली शिक्षा है। सबसे अधिक लज्जा की बात है कि हम सदन में खड़े हो कर श्रद्धांजलियां पेश करते हैं। आज तक हमने सोचा नहीं कि स्वास्थ्य की तो मनुष्य के लिये सबसे पहली शिक्षा है। हार्ट फेल होकर वह मर गये और हमने श्रद्धांजलि पेश की। आज तक मैंने नहीं देखा किसी मेडिकल कालेज में, किसी पार्लियामेंटरी डिबेट में इस बात के ऊपर बहस की गई हो, कोई ग्रंथ लिखा गया हो कि आखिर हार्ट फेल है क्या चीज? अगर हम सोचें तो यह बहुत छोटी सी बात है। हमारे यहां गुरुकुल में पहली क्लास में सिखलाया जाता है, सबसे पहले दिन प्रश्न है 'कस्त्वं ब्रह्मचार्यसि?" उत्तर में कहा जाता है "प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि।" जिसके श्वास की गति अवरुद्ध नहीं होती, मैं मोटे शब्दों में कह रहा हूं शायद बहुत से सदस्य वैदिक भाषा न समझें। जो मनुष्य अपनी नाभी तक सांस

लेता है और उसी सेंटर से वापस लाता है वह कभी हार्ट फेल होकर नहीं मरता है। श्वास की गति शुद्ध हो जाती है। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो तम्बाकू न पीता हो, जो प्याज न खाता हो, वह हार्ट फेल होकर मरा हो। चूंकि बदबू से यह प्राण कुंठित हो जाते हैं और प्राण अपना सुचारुरूप से कार्य नहीं कर सकता है इसीलिये हार्ट फेल होते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है स्वास्थ्य की, तन्दुरुस्ती की मनुष्य को तालीम दी जाय। आज कालेजों में, विश्वविद्यालयों में देखते हैं बच्चों के ऊपर किताबों का इतना बोझ लाद दिया गया है कि उनकी मौलिकता नष्ट हो गयी है।

और लज्जा की बात है जिसको कहते हुए मुझे शर्म आती है कि विदेशी जबान के लिये, जिस भाषा के लिये हम अपने संविधान में यह तय कर चुके हैं कि उसको सात समुद्र पार भेज दिया जायगा, जिस रास्ते आयी है उसी रास्ते वापस कर दिया जायगा, लेकिन आज उसी अंग्रेजी भाषा में लड़के फेल किये जाते हैं, नौजवानों का भविष्य गंदा किया जाता है, उनके ऊपर निराशावाद की काली घटायें छा जाती हैं। बतलाइये उन नौजवानों का क्या होगा जो इसलिये फेल होते हैं कि वे अंग्रेजी में अच्छी महारत हासिल नहीं कर सके? हमारी ६० फीसदी कोमल कलियां इसलिये कुचली जाती हैं कि उन्हें अंग्रेजी में चटखना नहीं आता। इससे देश का कल्याण नहीं हो सकता।

'फूल तो दो दिन बहारे जां फ़िजा दिखला गये।
पर हसरत उन गुंचों पै है, जो बिन खिले मुरझा गये।।'

इन बच्चों के भविष्य को गंदा किया गया। मेरा शिक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि अगर हमारे बीच में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की आत्मा आ जाय—मुझे क्षमा करेंगे, अधिष्ठाता महोदय, स्पष्टवादिता के लिये और उस आत्मा को यह काम सौंप दें कि तुम डंडा लेकर घर की चौकसी करो तो यह काम उस आत्मा के लिये घटिया होगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी के लिये भी पुलिस का काम घटिया काम है। उनके लिये जो बेस्ट वर्क, बेस्ट सर्विस है वह शिक्षा की है। यदि वह सारा समय दें तो यहां भी विवेकानन्द और शेक्सपियर पैदा हो सकते हैं। मुझे समय दिया जाय, समय कम है वरना मैं आधा घंटा बोलता। अन्त में मैं एक दरख्वास्त और कर दूं। जिस कांस्टीट्युएंसी से मैं आता हूं, मेरठ डिवीजन से वह इस सारे सूबे की नाक कह दी जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। जो मेरठ डिवीजन देश और प्रदेश के लिये अच्छे से अच्छे और ऊंचे से ऊंचे रत्न दे रही है, प्रदेश में हमारे चौधरी चरण सिंह, श्री कैलाश प्रकाश, माननीया श्रीमती प्रकाशवती सूद, माननीय विचित्र नारायण शर्मा और जिसने सेंटर को भी रत्नों से भर दिया है उस मेरठ डिवीजन को आज इतना इगनोर किया जाता है। जिसके सारे प्रदेश में ४० फीसदी अध्यापक हैं और जो सबसे ज्यादा टैक्स आबपाशी का देने वाला है। ५२-५३ की आबपाशी के एदादोशुमार में पेश कर रहा हूं इसलिये कि आज के शिक्षा मंत्री उन दिनों सिंचाई मंत्री थे। सारे सूबे ने ५,८१,००,००० रुपया आबपाशी में दिया और अकेले मेरठ डिवीजन ने १,९८,००,००० रुपये दिये। हम इतना भारी टैक्स दे रहे हैं। सारे सूबे का एक तिहाई टैक्स देते हैं लेकिन हमें इगनोर किया जाता है। हमारी यूनीवर्सिटी आज तक मंजूर नहीं हुयी है। रीति काल में यह कहा गया था—"तुम कौन सौं पाठ पढ़े हो लला, मन लेऊ पै देऊ छंटाक नहीं"। करोड़ों रुपया लेते हो लेकिन १० लाख हमारी यूनीवर्सिटी के लिये नहीं दे सकते हो। हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाय और मेरठ के अन्दर यूनीवर्सिटी आज ही डिक्लेयर की जाय। आज अगर यह नहीं किया गया तो मैं समझूंगा कि हमारी जो सेवायें व खिदमात हैं उनका हमें कोई सिला नहीं दिया गया। आज शिक्षा का विषय है, इस पर मैं कुछ ज्यादा बोलता, लेकिन समय कम है और फिर माननीय मंत्री जी को भी बोलना है। अधिक न कहते हुये माननीय मंत्री को मेरठ युनिवर्सिटी का सुझाव देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यदि स्वाधीनता के बाद १२ वर्ष के शिक्षा सम्बन्धी विकास को देखें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम जिस भी क्षेत्र में देखें तो हम को यह विदित होगा कि उस में हर प्रकार से प्रगति हुई है। शिक्षण संस्थाओं की संख्या में, विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में, अध्यापकों की संख्या में, छात्रों की संख्या में, विश्वविद्यालयों की संख्या में और जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं, उनमें अगर हम देखें तो हर प्रकार से संख्यात्मक विकास हुआ है। यदि हम अपने प्रदेश के आर्थिक व बौद्धिक साधन के अनुपात में भी देखें तो भी हम यही पायेंगे कि हर प्रकार से हम आगे बढ़ते चले गये हैं। लेकिन बावजूद हमारे प्रयासों और प्रयत्नों के हमें गुणात्मक दृष्टि से उसका वह परिणाम प्राप्त नहीं हुआ जो अभीष्ट था, इस पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है।

मान्यवर, हम देखते हैं कि हाई स्कूल व इंटरमीडियेट परीक्षाओं के जो परिणाम होते हैं वे अनुपात में धीरे-धीरे गिरते गये हैं। जहां गत वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में १,७६,००० विद्यार्थी बैठते हैं उनमें केवल ७४,००० उत्तीर्ण होते हैं और इसी तरह से इंटरमीडियेट में ७५,००० के करीब शरीक होते हैं और उनमें ३६,००० सफल होते हैं। यानी मान्यवर, इतना धन व्यय होने पर आधे से कुछ कम ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। जो उत्तीर्ण होते हैं उनमें दो तिहाई तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं और जो द्वितीय या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का लाभ उठा पाते हैं। तो हम इसके कारणों को देखेंगे। अब अगर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के असफल होने का कारण देखें तो विदित होगा अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में ९० फीसदी नाकामयाब होते हैं और उससे कम दूसरे दर्जे पर गणित में नाकामयाब होते हैं।

मान्यवर, जबसे हमारे देश में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति हुयी, सन् ४६ में जितनी अंग्रेजी संस्थायें थीं, जितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते थे उनकी संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है और आज अंग्रेजी राज्य चले जाने के बाद भी हमने अंग्रेजी भाषा का प्रचार अपने इस गरीब देश में आर्थिक साधनों के अभाव होते हुये भी करना शुरू किया है। यह अंग्रेजी भाषा हमारे जन जीवन में कितनी काम आती है, इसी से आप देख सकते हैं कि आज हाई स्कूल के विद्यार्थी आधे से ज्यादा जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनके जीवन में उस की कोई उपयोगिता नहीं होती, दो तिहाई विद्यार्थी जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण भी होते हैं उनके जीवन में भी उसकी कोई सार्थकता नहीं सिवा उन १० प्रतिशत के जो सरकारी नौकरी पा जाते हैं। उन शिक्षा विशारदों ने जिन्होंने अपने जीवन काल में अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर ली है वे उस के मोह को छोड़ना नहीं चाहते। और आज भी मैं समझता हूं कि इस भाषा के पढ़ने के कारण हमारे होनहार बच्चे, उन कलियों की भांति नष्ट हो रहे हैं जो विकसित होने के पूर्व ही मुरझा जाती हैं। ऐसी भाषा के पढ़ाने की सुविधाएं प्रदेश में देना एक क्षण के लिये भी उचित नहीं है। मान्यवर, मैं यह भी समझता हूं कि हमारा भाषा का विवाद तभी समाप्त होगा जब हम हिन्दी प्रदेश वाले अंग्रेजी भाषा का पढ़ना समाप्त कर देंगे। हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जब तक हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान नहीं देंगे और जब तक हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे तब तक हमारे दक्षिण के भाई अपनी भाषा में बात करने से इनकार करेंगे और विदेशी भाषा में ही हमसे बोलेंगे और इस प्रकार हम राष्ट्र भाषा की समस्या को हल नहीं कर सकते। तो उपयोगिता के दृष्टिकोण से, बच्चों के मनोवैज्ञानिक और शिक्षा संबंधी विकास के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है उसे इसी वर्ष से हमें हटा देना चाहिये। छठे से दसवें दर्जे तक और इंटरमीडिएट में अंग्रेजी को अनिवार्य रखने की, मैं समझता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, यह बड़े खेद की बात है कि अभी कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहे तो उस के लिये अंग्रेजी की सुविधा का न होना तो आवश्यक समझा जाय, लेकिन जो न पढ़ना चाहे उस को विवश किया जाय कि तुम अवश्य अंग्रेजी पढ़ो, यह एक स्वतंत्र देश के लिये शोभनीय नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह हमारी ही नहीं, इस देश की जनता की मांग समझिए और उस समस्या का हल समझिये कि

अंग्रेजी को समाप्त करने के लिये सब से पहले अंग्रेजी इस विशाल देश के इस विशाल उप-भाग से समाप्त होनी चाहिये। आज हालत यह है कि जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग हैं वे ऊंचे-ऊंचे स्थानों पर हैं। शिक्षा संबंधी सरकार की नीतियों के संचालन में हमारे मंत्रिगण को भी सभी ऊंची-ऊंची अंग्रेजी की डिग्रियां प्राप्त हैं। इस प्रकार से अंग्रेजी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनती चली जा रही है और यही कारण है कि हमारे समाज का नेतृत्व जनता को गुमराह करता है और कहता है कि जिस भाषा को यहां की एक परसेंट जनता भी नहीं जानती उसको ही प्राथमिकता दी जाय और अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाय। आज यदि बंगाली भाई हमसे बात करना चाहें तो हिन्दी में हम से बात न करें, या बंगाली में हम उनसे बात न करें। दक्षिण के भाई हमसे हिन्दी में बात न करें और हम उनसे तामिल या तेलगू में न करें, बल्कि अंग्रेजी में करें। विदेशी गुलामी और दासता का इससे बढ़ कर कोई नमूना हो नहीं सकता। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई इन शिक्षा संस्थाओं से शीघ्र हटा दें।

दूसरे, परीक्षा पद्धति में भी आमूल परिवर्तन करें जिसका परिणाम यह न हो कि हमारे आधे से अधिक विद्यार्थी फ़ेल हों और उनके अभिभावक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। उसमें परिवर्तन की बहुत ही शीघ्र आवश्यकता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा समय और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अभी आप के दो मिनट बाकी हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—दो मिनट तो कम हैं।

मैं आप से निवेदन कर रहा था कि यह परीक्षा प्रणाली जिसमें लड़के फीस देते हैं, साल भर विद्यालयों में पढ़ते हैं और जब परीक्षा में बैठते हैं और परिणाम निकलता है तो आधे से ज्यादा अनुत्तीर्ण रहते हैं और दो तिहाई तीसरी श्रेणी में पास होते हैं जिनकी दशा अनुत्तीर्ण वालों से भी खराब होती है, ऐसी दशा में आवश्यक है कि परीक्षा का जो मान है उस को फिर से आंकें और उस की पद्धति को फिर से बदलने की कोशिश करें। मैं यह सुझाव इस सम्बन्ध में दूंगा। मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से हम शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम हाजिरी लिया करते हैं तो हम उपस्थिति ८० फीसदी या ७५ फीसदी, कुछ कर दें और जो लड़के घर के इम्तहान में उत्तीर्ण हो जायं उनको फिर वार्षिक परीक्षा में बैठने की जरूरत न हो, उनको आप पास कर दें। और नौकरियों के लिये जहां आवश्यक समझते हैं वहां प्रतिद्वंद्वात्मक परीक्षण लिया करें। तब परीक्षा के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार है उसे भी दूर कर सकेंगे।

मान्यवर, इंटरमिडिएट एजूकेशन बिल के सम्बन्ध में चारों तरफ से मांग वर्षों से आ रही है कि उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री जी इस आवश्यकता को महसूस करते हैं और यह भी विश्वास है कि शीघ्र ही इसमें वह परिवर्तन करने की चेष्टा भी करेंगे।

मान्यवर, मैं इन मौलिक प्रश्नों के साथ ही साथ कुछ माननीय मंत्री जी का अपने इलाहाबाद नगर की स्थानीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हमारा इस प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक बहुत पुराना और ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। उस की आवश्यकताएं, मान्यवर, लाइब्रेरी की, छात्र भवन की, पक्का भवन की और अन्य हर प्रकार की आवश्यकताएं इतनी व्यापक हैं और इतनी अनिवार्य आवश्यकतायें हैं जिनके बिना हमें पूर्ण रूप से क्षमतापूर्वक शिक्षा का देना असंभव हो गया है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि अब समय ७ मिनट कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—यदि सदन सहमत हो तो ७ मिनट ठीक होगा। मेरा खयाल है सर्व सम्मति है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि जब अनुदानों पर बोलने के लिये समय निर्धारित किया जाता है तो पहले से ही एक चीज तय हो जानी चाहिये। होता यह है कि कुछ सदस्यों को तो पहले ज्यादा समय दिया जाता है और बाद में बहुत जरूरी विषयों पर माननीय सदस्यों को बहुत कम समय दिया जाता है। निवेदन यह है कि पहले ही समय बंटन कर दिया जाया करे ताकि समान अनुपात से सब को समय मिला करे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, विषय इतना बड़ा है और बहुत से माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं इसलिये १० मिनट का जो समय था वह तो रहे परन्तु बाद में आप अपनी इच्छा से उनके निवेदन पर जो समय बढ़ा देते हैं वह न बढ़ायें।

श्री अधिष्ठाता—देखिये अब समय नहीं है और साढ़े ५ बजे इसे समाप्त होना है।

श्री उग्रसेन—तो मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी आधा घंटा और क्वेश्चन के लिये रखा है इसलिए समय बढ़ाने का तो प्रश्न उठता नहीं। अब सवाल यह है कि ७ मिनट का समय रख दिया जाय। अगर माननीय सदस्य इससे सहमत हों तो ७ मिनट का समय रख दिया जाय।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

श्री यह निश्चित हुआ।

***श्री अम्बरेश्वर प्रसाद** (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण के समय एक बात कही थी, वह यह कि शिक्षा में केवल क्वान्टिटी ही बढ़ाने से काम नहीं चलेगा कि हमने इतने विद्यालय खोल दिये और १०० रुपये का अनुदान दे दिया और इतनी बिल्डिंगें बन गयीं। बिल्डिंगों का जिक्र उन्होंने किया है कि उसमें बहुत सी अभी अधूरी हैं। १,००० रुपये में तो मेरे खयाल से कोई कमरा भी नहीं बन सकता। और १०० रुपये में तो क्या-क्या एपरेटस खरीदे जायंगे, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात याद आ गयी। स्वामी विवेकानन्द ने एक बात विदेश में कही थी कि मेरे देश में दर्जी सभ्य समाज नहीं बनाते बल्कि चरित्र बनाता है। चरित्र का बहुत कुछ आधार शिक्षा ही हुआ करता है और आज भारतवर्ष में शायद शिक्षा भी ऐसी नहीं रह गयी है कि उसके बल पर हम यह कह सकें कि हम बहुत ऊंचे हैं। हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी कमी हमारी शिक्षा में आ गयी जिसके कारण आज वह पनप नहीं पा रही है। शिक्षा का अर्थ आज हमने केवल इतना लगा रखा है कि कुछ को अ, आ, इ, ई, पढ़ा दें, कुछ को डिग्री दिलवा दें और कुछ को थोड़ी रिसर्च इत्यादि करवा दें। आज हम यह ध्यान नहीं रखते कि जिस परिवार से बालक आता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वह किस तरह का जीवन अफ़ोर्ड कर सकता है। इस प्रकार छोटी कक्षाओं से लेकर ऊंची कक्षाओं तक विद्यार्थी का जीवन परिवार से बिलकुल अलग हो जाता है जिसके कारण वह बालक बाद में परिवार में ऐडजस्ट नहीं हो पाता। बहुत कुछ इस मामले में हमारे विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक वह शिक्षा कंट्रोल करते हैं और इस बात की यह मिसाल है कि वहां भी अभी समानता नहीं बरती जा रही है नीचे के स्तर को क्या कहा जाय। लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में दो स्तरों पर तो शिक्षकों के वेतन में समानता रखने का प्रयत्न किया गया है लेकिन वे शिक्षक जो आगरा विश्वविद्यालय के अफिलियेटेड कालेजेज में हैं उनके वेतन की समानता के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। आज उन्होंने अपने हिसाब से उन गांवों में रह कर अहां बहुत सी वस्तुयें उपलब्ध नहीं हैं बड़ा त्याग किया है। वहां रह कर वे गांव की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता को शिक्षा दे रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय में भी जो ओरियन्टल क्लासेज हैं उनके शिक्षकों का वेतनक्रम २०० से ३५० रुपये तक ही है जब कि और शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया गया है। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका वेतन-क्रम भी वही रखा जाय जो कि और शिक्षकों का है।

हिन्दी भाषा हमारे देश का आधार बन रही है। आज सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा से ही हिन्दी भाषा निकली है। और इस प्रकार से संस्कृत के अध्यापकों को अंग्रेजी के अध्यापकों की बराबरी न देना मेरे खयाल से ठीक नहीं है। एक बात और है जो हमारी शिक्षा में विशेष रूप से आ गई है कि हम ऊंची श्रेणी के एम्पलायमेंट के लिये जैसे पी० सी० एस० तथा आई० सी० एस० के लिये जो परीक्षा रखते हैं उनमें साइंस के विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स पा जाते हैं जब कि उनका काम हमारे देश में साइंस की उन्नति करना है। इसका फल यह है कि जो लोग अध्यापक होते हैं उनको अधिक लाभ नहीं है। इसलिये वे लोग लोभ संवरण नहीं कर सकते और शोध के कार्य को न कर के वे इन परीक्षाओं में बैठते हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

थोड़ा समय और मिल जाय, क्योंकि और लोगों को दस मिनट मिले हैं।

श्री अधिष्ठाता— जी नहीं।

श्री टंबरेश्वर प्रसाद— जहां तक हायर सेकेन्डरी स्कूलों का संबंध है वहां आजकल बड़ी टसिल चल रही है मैनेजिंग कमेटी और अधिकारियों में जो वहां का प्रबंध करते हैं। नई मैनेजिंग कमेटी बनाई गई है जिसका नाम नया रख दिया है। उसमें सरकार की ओर से भी तीन आदमी लिये जायंगे। लेकिन जिस विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी में मैं हूं उस में अभी तक तीन व्यक्ति नामिनेट नहीं हो सके हैं। इससे पता चलता है कि सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स की कितनी उपेक्षा करती है जब कि अधिकतर विद्यार्थी प्राइवेट विद्यालयों में ही पढ़ते हैं।

अब थोड़ा सा समय रह गया है इसलिये अपने जिले की एक बात कह दूं। हमारे यहां एक कन्या पाठशाला है। इस कालेज की मैनेजिंग कमेटी में और अध्यापकों में झगड़ा चल रहा है जिससे पढ़ाई में भी बड़ी हानि हो रही है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। जिसका भी दोष हो, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता हूं, माननीय मंत्री जी स्वयं इसका निराकरण करेंगे, लेकिन इसकी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता —माननीय सदस्य का समय समाप्त हुआ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)— श्रीमन्, मेरी प्रस्तावना यह है कि शिक्षा मंत्री जी के उत्तर के लिये आध घंटे का समय रखा जाय, क्योंकि उनके पास कोई नवीन सूचना नहीं होगी बल्कि जो बातें कहीं गयी हैं उनका ही उत्तर वे देंगे। इसलिये वक्ताओं को अधिक समय दिया जाय और उनको ५ बजे तक बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता— माननीय मंत्री जी आप के लिये कितना समय काफी होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, यदि सदन के माननीय सदस्यों का इरादा ऐसा है तो मैं बोलूं ही नहीं। लेकिन जो प्रश्न उठाये गये हैं यदि उनका उत्तर दिया जायगा तो कम से कम ४५ मिनट तो अवश्य लगेंगे। इसके अलावा कुछ समय और मिलना चाहिये जिससे मैं अपनी बात भी कह सकूं केवल प्रश्नों का ही उत्तर न दूं, बल्कि मैं तो यह चाहता था कि अपनी भावना तथा मस्तक में जो कुछ है उस को भी निवेदन करता। लेकिन अगर अवस्थी जी की राय नहीं है तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—आपकी भावना हम लोगों को मालूम है। कोई नई सूचना हो उसे दे दीजियेगा।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने शिक्षा मंत्री जी को प्रस्तुत अनुदान के लिये बधाई देती हूं क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों के समय में शिक्षा की उतनी उन्नति नहीं हो सकी जितनी कि होनी चाहिये थी। बहुत कम हमारे स्कूल और विद्यालय थे, लेकिन जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सरकार बनी, उस ने शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया। गांव-गांव में पाठशालायें खुली हैं। कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। जिनमें हमारे प्रदेश के नवयुवक और नवयुवतियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने हरिजन वर्ग के लिये भी शिक्षा का काफी प्रबंध किया है जो कि किसी और सरकार ने नहीं किया और जो शिक्षा उनमें आज दिखलायी देती है वह हमारी सरकार की ही देन है। मैं इसके लिये सरकार की आभारी हूं।

मान्यवर, मैं आप के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी की सेवा में कुछ नम्र निवेदन करना चाहती हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहां देहाती क्षेत्र में शिक्षा का बड़ा अभाव है और खास कर बालिकाओं की। हमारे क्षेत्र मऊरानीपुर में ४० मील के एरिया में बालिकाओं के लिये कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं है। एकमात्र म्युनिसिपल बोर्ड गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा देने क लिये है। इसके समीप ही झांसी नगर है जहां बालिकाओं की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है। इस क्षेत्र के नागरिक यदि वह समर्थ हैं और इस हेतु होने वाले खर्च को उठाने के लिये तैयार हो जावें तो वे अपनी बालिकाओं को ४० मील दूर झांसी भेज कर उच्च शिक्षा दिला सकते हैं, अन्यथा नहीं। मान्यवर, यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और यातायात की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का और विशेष कर स्त्री शिक्षा का अभाव है। इस क्षेत्र की आबादी मय देहात के ३ लाख के करीब है। बालकों के लिये मऊरानीपुर में दो इंटर कालेज हैं और एक गुरसराय में भी है, लेकिन बालिकाओं की उच्च कन्या पाठशाला का कहीं भी प्रबन्ध नहीं है। उनको उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती। नगरपालिका एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिये तैयार है और उसने एक प्रस्ताव पास कर के सरकार के पास भेजा भी है। मैं आशा करती हूं कि सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करने की कृपा करेगी; जैसा मैंने निवेदन किया वहां बालकों के लिये तीन स्कूल हैं लेकिन उनमें इन्टर की कक्षाओं के लिये साइंस की शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध नहीं है। जो बालक १०वें के बाद साइंस पढ़ना चाहते हैं उनको झांसी, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ आदि स्थानों पर आना पड़ता है और अपनी साइन्स की शिक्षा यहां आकर ही वे पूरी कर पाते हैं। ऐसी हालत में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वे तो यहां आ पाते हैं और अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं नहीं तो, गरीब विद्यार्थी साइंस की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां के कालेजों में विद्यार्थियों के लिये साइन्स की शिक्षा का प्रबंध किया जाय ताकि गरीब घराने के बालक भी वहां साइन्स की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

मान्यवर, तीसरा निवेदन यह है कि झांसी जिले के ग्रामों में एक भी कन्या पाठशाला नहीं है। जो ग्राम कस्बों के पास हैं वहां भी बालिकाओं को दो, तीन मील जाना पड़ता है और इसलिये वे जाने में हिचकिचाती हैं और वे शिक्षा में रुचि नहीं लेती हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां गांवों में कन्या पाठशालायें खुलवायी जायं जहां शिक्षा पाकर बालिकायें घर के कार्यों में निपुण हो सकें।

श्रीमन्, मैं अपने शिक्षा मंत्री जी के इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

***श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, मैं दुबे जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सरकार की ओर से कहा जाता है कि शिक्षा में काफी प्रगति हुई है और काफी खर्चा किया जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े संक्षिप्त रूप में पेश करना चाहता हूं। सन् ५२–५३ के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पीछे केवल १.२ रुपये शिक्षा पर खर्च किये जाते हैं जबकि बम्बई में ३.३, मैसूर में ३.७, सौराष्ट्र में ३ रुपया प्रति व्यक्ति पीछे सालाना खर्च होता है। हमारे प्रदेश में १०.२ प्रतिशत शिक्षित पुरुष हैं जबकि आन्ध्र में १५, सौराष्ट्र में १८.५, ट्रावनकोर-कोचीन में ४६.४ प्रतिशत हैं। जिस प्रदेश की आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश से कहीं खराब है वे भी हमसे आगे हैं। अमरीका में १९३० में निराक्षरों की संख्या ४.३ प्रतिशत, १० वर्ष की उम्र से ऊपर वालों की थी, फ्रांस में १९३६ में ३.८, हंगरी में १९४१ में ६ और भारतवर्ष में १९५१ में ८०.१ प्रतिशत थी। उसमें उत्तर प्रदेश में ८६.३ है। इससे साबित होता है कि हमारा प्रदेश शिक्षा में कोई उन्नति नहीं कर रहा है।

शिक्षा में भेदभाव है। हमारे देहाती क्षेत्रों में ९० फीसदी जनता रहती है। उनके बच्चों की शिक्षा देने वाले मास्टरों को ४०-५० रुपया माहवार मिलता है और ५०-५० लड़के उन्हें दे दिये जाते हैं। इतने अधिक लड़कों को वह जानवरों की तरह घेरे रहते हैं, पढ़ा तो क्या सकते हैं? आज के मंहगाई के समय में कैसे ४०-५० रुपयें में वे अपना पेट भर सकते हैं या कपड़ा पहन सकते हैं? जब पढ़ाने वाला ही ठीक नहीं है तो हमारे देहात के विद्यार्थी कमजोर रह जाते हैं। हमारी एक माननीय सदस्या ने कहा था कि थर्ड डिवीजन में पास होने वाले विद्यार्थियों से दुगुनी फीस जमा कराई जावे, तब उन्हें प्रवेश होने दिया जावे। मैं उसे कहना चाहता हूं कि थर्ड क्लास में हमारे गरीब लोग ही पास होते हैं, क्योंकि उनके अध्यापकों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर, हमारे प्रदेश में नैनीताल और देहरादून में दूसरे किस्म के स्कूल खोले जा रहे हैं जिनमें हमारे बड़े-बड़े अफसरों के लड़के और मिनिस्टर महोदयों के लड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं। वहां के शिक्षक को २०० रुपया दिया जाता है और उसके नीचे केवल २० विद्यार्थी रखे जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिये। जब तक यह नहीं होगा देश का उद्धार नहीं हो सकता है। कांग्रेस की ओर से समाजवाद लाने की बात कही जाती है। तो क्या इस तरह से ही समाजवाद आवेगा?

हम देखते हैं कि बोर्ड के स्कूलों में सामान नहीं है, रजिस्टर, किताब और अन्य चीजें नहीं हैं। मैंने अपने देहाती क्षेत्रों में जाकर देखा कि स्कूलों की स्थिति बहुत ही खराब है।

शिक्षा में भ्रष्टाचार भी है। वह छिपा हुआ है हर साल पुस्तकों के बदलने में। पुस्तकें महज रोजगार की खातिर और अधिकारियों को रिश्वत दे कर बदली जाती हैं। अगर १०, १५ वर्ष एक ही कोर्स रहे तो गरीब आदमियों के बच्चे उन्हीं किताबों से पढ़ सकते हैं। आज तीसरे और चौथे दर्जों के विद्यार्थियों को १०, १० किताबें ले जानी पड़ती हैं जिन्हें ले जाने में उन्हें भार मालूम पड़ता है और वे स्कूल को जाते हुये उकताने लगते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ सक्रिय कदम उठावें।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहली ही बार खड़ा हुआ हूं और शिक्षा के अनुदान पर कुछ कहने के लिये। हमारे प्राइमरी स्कूलों में सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसी तरह से जूनियर हाई स्कूलों में पुनः विचार करके परिवर्तन की जरूरत है। हाई स्कूल और इन्टर की शिक्षा में तो मुझे बहुत ही असन्तोष है। मैं इससे पूर्णतया परिचित तो नहीं था लेकिन पिछले दिनों जब गया और स्कूलों को देखा और अध्यापकों से मिला तो मालूम हुआ कि ९ वें और १० वें में हिस्टरी और जोगरफी आप्शनल कर दिया गया है। ९ वें और १०वें को अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ हिन्दी की आलोचना लिखने के लिये परीक्षा-पत्र दिये जाते हैं। आवश्यक है कि इन पर विचार करके ऐसा कोर्स बनाया जाय जिससे लड़के अच्छी तरह से चीजों को समझ सकें और आगे के जीवन में उसे धरोहर बनाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामलक्षण तिवारी]

सफल हो सकें। आज भाषा और साहित्य दोनों के ध्येय को समझ कर बालकों को पढ़ाने की जरूरत है। ९ वें और १० वें के लड़कों को भाषा का ज्ञान नहीं है लेकिन उन्हें साहित्य की विवेचना के लिये विवश किया जाता है। हमारी पढ़ाई का स्तर बहुत नीचा हो गया है।

मैं लड़कों से बातें करता हूं विज्ञान की, अंग्रेजी की, हिन्दी की और संस्कृत की, ये सभी चीजें आठवीं क्लास में कम्पलसरी तौर पर पढ़ाई जाती हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को पढ़ने की क्षमता बालक में है या नहीं, इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता है। इसी तरह से जो प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है, उसमें भी बालक की क्षमता का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है कि जिसे वे हज्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आपको पढ़ाई की पद्धति की ओर भी ध्यान देना होगा। अगर आप इस समय ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल कर इतने अधिक अयोग्य लोग पैदा हो जायंगे जो राज्य के लिये एक समस्या बन जायंगे। इसलिये हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकेंगे।

कुछ गलतफहमी हमारे सदन के सदस्यों को है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा जिला बोर्ड के अधीन है। मैं समझता हूं कि यह उनके न समझने का द्योतक है। मैं जिला बोर्ड का अध्यक्ष रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि प्राइमरी शिक्षा को संचालित करने के लिये एक अलहदा एजूकेशन बोर्ड है। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिये अलहदा नियम हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर के द्वारा भर्ती की जाती है। उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी बिलकुल अलग है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इस प्रकार से प्राइमरी शिक्षा के ऊपर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है। उनको तनख्वाह देने के लिये और अन्य विषयों पर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई कन्ट्रोल नहीं है। ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जाता है, मालूम होता है कि जिला बोर्ड इन तमाम चीजों को नष्ट कर रहा है। तरह-तरह की बातें कही जाती हैं जिनसे उनकी अज्ञानता का परिचय मिलता है।

कुछ जमाना हुआ, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि शिक्षा विभाग की ओर से कोई ऐसा आदेश विद्यालयों को भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को फेल न किया जाय। नतीजा यह हो रहा है कि बिना सोचे समझे तरक्की की जा रही है। जब कच्चे लड़के तरक्की पा जाते हैं तो आगे चलकर उनको परेशानी होती है और फेल होना शुरू कर देते हैं तथा पढ़ना छोड़ कर भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से इंटरमीडियेट बोर्ड द्वारा भी ऐसे आदेश भेजे जाते हैं कि लड़कों के इतने परसेंटेज तक नम्बर बढ़ा दियें जायं। यह दिखाने के लिये ऐसा होता है जिससे यह मालूम हो कि पास होने वाले लड़के इतने अधिक हैं।

(राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे का नाम पुकारे जाने पर।)

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे बताया गया है कि साढ़े पांच बजे तक यह सदन चलेगा तो अगर साढ़े पांच बजे तक चलने वाला है तो विवाद के लिये हम लोगों को भी थोड़ा समय मिल जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---अभी पौने पांच बजे तक दुबे जी बोलेंगे और उसके पश्चात् मंत्री जी बोलेंगे।

श्री उग्रसेन---मंत्री जी ने पांच बजे से बोलना स्वीकार कर लिया है। इसलिये माननीय राजनारायण जी को भी मौका दे दिया जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---श्रीमन्, अगर मंत्री जी तैयार हैं तो और लोगों को भी मौका दे दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, बोलना तो मैं पौने पांच बजे से ही चाहता था, लेकिन अगर माननीय मित्रों का आग्रह है तो ५ बजे से बोल लूंगा। १० मिनट माननीय राजनारायण जी को दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय राजनारायण ७ मिनट बोल लें।

श्री राजनारायण---५ मिनट के बाद तो, श्रीमन्, हमारा मूड होता है। श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं शिक्षा और पुलिस के अनुदान के अधिकांश समय अनुपस्थित रहा। यह सही है कि शिक्षा के अनुदान पर आप हमें ७ मिनट का मौका दे रहे हैं।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो अशिक्षा है उसको दूर करने के लिये वर्तमान बजट में क्या व्यवस्था है ? माननीय कमलापति जी अच्छी तरह से जानते होंगे और हम सब भी जानते हैं कि इस प्रदेश में करीब ८५ प्रतिशत अशिक्षित हैं और माननीय मंत्री जी के आंकड़ों के अनुसार भी १२-१३ प्रतिशत शिक्षित हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो लाइन सरकार ने खींची थी क्या मंत्री जी ने उससे डिपार्चर किया है ? क्या मास ऐजूकेशन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ? मास ऐजूकेशन, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब माननीय वित्त मंत्री जी का पारसाल का भाषण पढ़ा। पारसाल के बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि इस साल दर्जा ६ तक की पढ़ाई हम मुफ्त कर रहे हैं और आगे के साल में ७-८ की पढ़ाई मुफ्त हो जायगी लेकिन आज भी इस बात का कोई इशारा भी नहीं है कि दर्जा ७ की पढ़ाई मुफ्त की गयी हो। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग सही मानों में काम नहीं कर पा रहे हैं। समय कम है नहीं तो मैं इतनी पुस्तकों में से कोटेशन्स पढ़ना चाहता था। हमारे शिक्षा विभाग को कैबिनेट के मंत्रियों के पढ़ाने लिखाने का इन्तजाम करना चाहिये। अगर कैबिनेट के मंत्रियों को शिक्षा विभाग नहीं पढ़ायेगा तो निश्चित मानिये कि इस राज्य में जो रावणशाही कायम है वह दिन ब दिन दृढ़ होती चली जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें एक दिन भारतीय संस्कृति की बात सिखायी थी। हमने भारतीय संस्कृति को देखा है। उसमें एक रामायण काल है और दूसरा महाभारत काल है। रामायण और महाभारत दोनों कालों को देखिये। तो वहां रामायण में भी, आज सरकार रावणशाही तरीका अख्तियार कर रही है, जैसे रावण से अंगद ने कहा था कि---

"असि रिस होय दसौं मुख तोरौं,
लंका गहि समुद्र महं बोरौं।"

"खल" और "दुष्ट" जैसे शब्दों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत किया है। अगर सही किन्तु कर्णकटु शब्दों के लिये यह कहा जाय कि ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हैं तो मैं उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

जेल के मंत्री जी नहीं है। उन्होंने जेल मैनुअल को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कतई पढ़ा नहीं है। आज, श्रीमन्, गड़बड़ी क्या है ? अंग्रेजी राज्य के बनाये हुये कायदे कानून हैं। अंग्रेजों ने उनको बनाया था, वे उनके प्रयोग को जानते थे। लेकिन अगर आज हमारे मंत्रिगण भी उन्हीं कायदे कानूनों को चालू करते हैं जिसको उन्होंने पढ़ा तक नहीं है तो आफत तो आयेगी और अंगूठे का निशान जबर्दस्ती लिया जायगा ही। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है दफा ३४२ में कि अंगूठे का निशान लेना चाहिये। कतई नहीं लिखा है। इसीलिये मैं कहता हूं कि जब तक इन लोगों को पढ़ाने लिखाने का इंतजाम नहीं होगा तब तक सारे प्रदेश में गम्भीर परिस्थिति जरूर रहेगी। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि रेवेन्यू मैनुअल के १६३ वीं दफा में लिखा है कि अगर किसान से लगान वसूल करने

[श्री राजनारायण]

में दिक्कत हो तो सरकार रेमिशन देगी । "it shall recommend remission". मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रेवेन्यू मंत्री को पढ़ाने लिखाने का इंतजाम कर रही है ? (हंसी) । आप लोग हंसें नहीं, जरा गम्भीरतापूर्वक इन बातों पर विचार कीजिये । मैं पूछता हूं कि इसके बिना नैतिकता कैसे आयेगी, मर्यादा कैसे बनेगी ? मुख्य मंत्री जब देश में जो संविधान लागू है उसकी धाराओं को न पढ़ें तो क्या होगा ? मुख्य मंत्री जी ने उस दिन राइट आफ एक्स्प्रेशन के बारे में कहा था । मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को राइट आफ एक्स्प्रेशन होना चाहिये । मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि शिक्षा विभाग जरा इस पर अमल करे । जब हमने अपने संविधान में हर नागरिक को राइट आफ एक्स्प्रेशन दिया है तब सरकारी कर्मचारियों को क्यों न राइट आफ एक्स्प्रेशन और राइट आफ ऐसोशियेशन दें ? यह सब बातें नहीं हो रही हैं और इसलिये नहीं हो रही हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने जनतंत्र की विरासत अंग्रेजों से पायी है । अंग्रेजी साम्राज्यशाही से यह सब उनको विरासत में मिला है और इस लिये उसी रीति नीति को लागू करने में लगे हुये हैं ।

अब मैं अध्यापकों की तन्ख्वाहों की बात कहूं या कर्मचारियों के लड़कों के फीस की माफी की बात कहूं, इन बातों को शिक्षा विभाग आज तक नहीं कर पाया है । वह समझ नहीं पा रहा है कि सीनियारिटी और जूनियारिटी किस नियम के मुताबिक की जाय । एक छोटी सी बात के लिये डाइरेक्टर से मिलो, फिर शिक्षा मंत्री से मिलो, फिर विभाग के सेक्रेटरी से बातें करो, यानी मामूली-मामूली बातों में तीन-तीन, चार-चार और छै-छै महीने लग जाते हैं और उनकी समझ में वह बात नहीं आती जो बिलकुल साफ बात है । जब सरकार समझ लेगी कि सरकारी कर्मचारियों की जो ख्वाहिश है वही इन्साफ और कानून है तब देश में बरबादी होगी और वही बरबादी आज हो रही है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जुडीशियल इन्क्वायरी किसे कहते हैं ? डेमोक्रेसी की बात बहुत की जाती है । किन्तु डेमोक्रेसी के अन्दर यह भी जानना जरूरी है कि सरकार का क्या फर्ज है, अपोजीशन का क्या फर्ज है ? सरकार तो तानाशाही अख्तियार करे और अपोजीशन से यह उम्मीद रखे कि अपोजीशन बिलकुल मर्यादा के अन्दर काम करे तो यह बिलकुल नामुमकिन है ।

(इस समय ४ बजकर ४६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अध्यक्ष का क्या विवेक हो, सरकार का क्या विवेक हो, उपाध्यक्ष का क्या विवेक हो, अपोजीशन का क्या विवेक हो यह सब शिक्षा के अन्दर आना चाहिये । सरकार को और शिक्षा विभाग को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें असेम्बली के मेम्बरान पढ़ें, मिनिस्टर्स भी पढ़ें और हमारे उच्चाधिकारी भी पढ़ें । यदि उच्चाधिकारियों के पढ़ाने का काम मुझे दे दिया जाय कि दारुलशफा में आकर जनतांत्रिक पद्धति है क्या, उसके बारे में सीखना चाहें तो मैं इस कार्य को अपने ऊपर मुफ्त लेने के लिये तैयार हूं । मगर मैं चाहता हूं कि उनको पढ़ाऊं और मैं कुछ मंत्रियों को भी चाहता हूं कि पढ़ाऊं । अगर वे हीन भावना से ग्रस्त न हों तो वे मुझसे पढ़ें और मैं भी उनसे कुछ पढ़ूं । मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे नहीं आयेगा ? श्रीमन्, आज राजनीतिक नैतिकता इतने निम्न स्तर पर चली गयी है, इसी पढ़ाई लिखाई की कमी के कारण और इसके समाधान के लिये सोशलिस्ट पार्टी ने ४ कार्य-क्रम दिया था । क्या शिक्षा विभाग ने उसका कुछ खयाल किया है ? एक तो यह है कि पोलिटिकल पार्टी का एक कोड आफ कंडक्ट होना चाहिये कि एक पार्टी किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे तो उसको दूसरी पार्टी अपने यहां न ले और अगर इसको माननीय मंत्री जो पढ़े लिखे तो जरूर मानेंगे । भ्रष्टाचार को रोकने के लिये दूसरा कार्य-क्रम है प्लेटफार्म । यानी अपने-अपने प्लेटफार्म से सारी की सारी पार्टीज अपने-अपने कार्य-क्रम का प्रचार करें । आज तक शिक्षा विभाग ने इस तरफ बढ़ने की कोई कोशिश नहीं की । तीसरा कार्य-क्रम है हिन्दी भाषा को अपनाना । जब तक अपने प्रदेश से अंग्रेजी भाषा

समूल नष्ट नहीं होगी तब तक हिन्दी का व्यापक प्रचार और प्रसार नहीं हो सकेगा। आज तक जो ऊपर के बड़े-बड़े सरकारी अफसर हैं वे अंग्रेजी भाषा में पहले ही की तरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं और फैसला करते हैं और इस तरह से उसी भाषा में जनता का शोषण करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग इस पर गौर करे जिससे हमारे प्रदेश से जल्दी से जल्दी अंग्रेजी मिटे, निर्मूल हो और उसके स्थान पर हिन्दी हो।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था कि वे इस पर सोचें कि जितने भी साइनबोर्ड हैं वे हिन्दी में होने चाहिये। जो अंग्रेजी के साइनबोर्ड हैं उनको हटाया जाय, इसके लिये मैंने लखनऊ में भी देखा और शाहजहांपुर तथा बनारस में भी देखा कि बहुत से लोग अंग्रेजी साइन बोर्ड को मिटाना चाहते हैं लेकिन वे कहते हैं कि हिन्दी के साइन बोर्ड बनाने में १५–२० रुपया लगेगा जो हमको मिलना चाहिये। तो आखिर यह पैसा कहां से आवे? शिक्षा विभाग जब इतना खर्चा करता है, तो उसको चाहिये कि वह इस पर भी पैसा खर्च करे और अगर उसके लिये आमदनी की जरूरत हो तो वह भी की जा सकती है। पांचवी बात मुझे पार्लियामेंटरी पद्धति के सम्बन्ध में यह कहनी है कि यदि सरकार को उस पद्धति का अच्छी तरह से ज्ञान होता तो जिस तरीके से ब्लीट्ज को विज्ञापन दिया गया बावजूद इस सदन के प्रस्ताव पास करने के कि 'ब्लिट्ज ने चूंकि इस सदन का अपमान किया है इसलिये सरकार की ओर से उसे कोई विज्ञापन न दिया जाय' हर्गिज हर्गिज नहीं दिया जाना चाहिये था। इसलिये मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग को चाहिये कि वह इस तरह की शिक्षा देने का प्रबन्ध मंत्रियों के लिये करे, तभी इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का मैं बड़ा आभारी हूं इस पक्ष के भी और उस पक्ष के भी कि दोनों पक्ष वालों ने मेरी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। फर्क इतना ही था कि उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने दबी जबान से इसका समर्थन किया....

श्री उपाध्यक्ष––'दबी जबान' शब्द के ऊपर एतराज किया जाता है इसलिये आप उसको वापस ले लें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––आपकी आज्ञा से उसे मैं वापस लेता हूं और उसके बदले में मेंटल रिजर्वेशन का प्रयोग करता हूं कि उन लोगों ने मेंटल रिजर्वेशन के साथ इसका समर्थन किया। श्रीमन्, मुझे और तो कुछ विशेष नहीं कहना केवल माननीय मंत्री जी से दो तीन निवेदन करना है। एक तो अनुदान देने की प्रथा के सम्बन्ध में यह कहना है कि जूनियर हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को जो अनुदान दिया जाता है, उसमें भी भेद किया जाता है और कभी-कभी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे स्कूलों का क्लासिफिकेशन कर लें और उस क्लासीफिकेशन के आधार पर जितनी भी उस श्रेणी की संस्थाएं हों उनके लिये एक सा ग्रान्ट होना चाहिये। मैंने देखा है कि प्रयाग के एक विद्यालय को ४८,००० रुपया दिया गया है और उसी श्रेणी के दूसरे विद्यालय को ७८,००० रुपया दिया गया है। तो इस तरह का जब भेद होता है तो लोगों के मन को ठेस पहुंचती है और लोगों के अन्दर एक विद्वेष भाव पैदा होता है। दूसरी चीज मैं यह निवेदन करूंगा कि गत वर्ष बजट में शिक्षकों को मेडिकल फेसिलिटीज देने के बारे में प्राविजन किया गया था उस पर कहां तक व्यवहार रूप में अमल हुआ इस को मैं जानना चाहूंगा क्योंकि शिक्षकों को ऐसा लगता है और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि उसके ऊपर जिस प्रकार से कि पूर्ण रुपेण व्यवहार होना चाहिये था वह नहीं हुआ।

शिक्षा के बारे में एक चीज मैं अवश्य कहूंगा कि वास्तव में शिक्षा का अर्थ यह होना चाहिये कि समाज में जिस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है उस तरह के लोगों को वह तैयार करे। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता टेक्निकल लोगों की है जहां सब प्रकार के उद्योगों के टेक्निशियन्स तैयार किये जायं। जब हम किसी ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो टेक्निशियन्स

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

की कमी के कारण हमें पीछे रहना पड़ता है। इसलिये आज जो आर्ट्स की शिक्षा पर ज्यादा जोर है उसको बदल कर टेक्निकल एजूकेशन पर अधिक जोर दिया जाय, उससे समाज का अधिक लाभ होगा और यह भी लाभ होगा कि हाई स्कूल, इन्टर या ग्रेजुएट विद्यार्थी जो पास होकर निकलते हैं वह केवल नौकरी ढूंढ़ते हैं। वह कहां तक दी जा सकती है? कहां तक इतनी नौकरियां देना किसी भी समाज के लिये सम्भव हो सकता है? इसलिये आर्ट्स की शिक्षा हमें बेकारी की ओर ले जाती है और यदि टेक्निकल शिक्षा दी जाय तो हमारे विद्यार्थी काम काज में लग सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं।

यह भी उधर से सुनने में आया कि शिक्षा आइडियालाजिकल होनी चाहिये। पता नहीं शब्द "आइडियालाजी" किस अर्थ में प्रयोग किया गया? यदि इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रवादी आदर्श के साथ एक साथ मिल कर काम करने की भावना हो तब तो ठीक है और इसी अर्थ में होना भी चाहिये। और यदि किसी विशिष्ट प्रकार की विचारधारा के आधार पर शिक्षा हुई तो वह totalitarian प्रकार से हुई शिक्षा होगी और उसका नतीजा यह होगा कि मनुष्य की तर्क और विवेक की शक्ति ही समाप्त हो जायगी। अगर एक प्रकार की राजनैतिक विचारधारा की शिक्षा दी गई तो अवश्य ही बुद्धि और विवेक की समाप्ति हो जायगी। इसलिये हमें सोचना है कि हमें विचारक बनाने हैं रीबट्स नहीं बनाने हैं। अगर इस तरह का उस का अर्थ हो तो इस तरह की आइडियालाजी हमें नहीं चाहिये, उससे तो समाज पर, उसकी विवेक और बुद्धि पर आघात ही होगा।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करूंगा। अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी इस बात को कहा और मैं उन से सहमत हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होने की आवश्यकता है और उसके लिये आवश्यक है कि एक हाई पावर कमीशन, इन्क्वायरी कमेटी या कोई और कमेटी इस प्रकार की बनाई जाय जिस में सब प्रकार के विद्वान, विचारक, पंडित एकत्रित हों जो कि हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये एक नवीन शिक्षा प्रणाली का निर्माण करें जो हमारे लिये उपयोगी हो और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर शिक्षा विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, साढ़े ५ से दूसरी बहस है, समय बहुत थोड़ा है इसलिये मैं बहुत जल्दी-जल्दी कुछ थोड़ी सी मुख्य-मुख्य बातों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे भाई राजनारायण जी आज आ पहुंचे अपने काम से लौट कर और सदन में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। जब तक वह अपने विचार यहां व्यक्त नहीं करते यहां कुछ शोभा नहीं आती और उन के विचारों की हम कद्र भी करते हैं। मैं उन से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि मैं जरूर चाहता हूं कि कुछ समय निकाल कर कुछ पढ़ा करूं क्योंकि मैं बहुत ही बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। पढ़ने लिखने से थोड़ी ज्ञानवृद्धि होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन को कितना भी पढ़ाइये उनकी बुद्धि ठीक नहीं होती। एक श्लोक है :

"अभ्यस्थ—

"अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतर माराध्यो विशेषज्ञः
ज्ञान लव दुर्विदग्धं, ब्रह्मपि नरो न रंजयति।"

भर्तृहरि का यह श्लोक है।

अर्थ यह है कि जो बेपढ़ा लिखा हो उस को पढ़ाना आसान होता है और जो विशेषज्ञ होते हैं उन को पढ़ाना और भी आसान होता है क्योंकि उन की बुद्धि तेज होती है। जो लोग ज्ञान लव हो गये हैं उनमें ब्रह्मा से भी किये कुछ नहीं होगा। कठिनाई ऐसे लोगों को पढ़ाने की है।

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कुछ थोड़े से आंकड़ों को देना चाहता हूं। ज्यादा समय तो है नहीं परन्तु यह मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि दो एक बातें पंडित देवी प्रसाद जी ने बतायीं। उनकी जिज्ञासा उचित थी। अवश्य ही भविष्य में हमारी पुस्तकें छपेंगी क्योंकि किसी विषय को छिपाने से लाभ है नहीं। प्रदेश की शिक्षा का प्रश्न राजनीति का प्रश्न नहीं है। वह हमारी संतति का प्रश्न है। तमाम संतति का भविष्य शिक्षा विभाग से सम्बन्ध रखता है। वह किसी राजनीति का प्रश्न नहीं हो सकता। उस विषय में न दम्भ और न झूठे भाव की आवश्यकता है कि यह प्रगति कर ली वह प्रगति कर ली, न किसी विषय को छिपाने की आवश्यकता है। जो परिस्थिति है वह आनी चाहिये। अगर कोई बात रह गयी है तो भूल से रह गयी हो या ध्यान न गया हो यही बात होगी और जैसा उन्होंने कहा, जो भी कोई आंकड़ों की आवश्यकता हो जो तमाम चीजों को स्पष्ट करते हों, वे आने चाहिये।

उन्होंने एक बात कही कि अंग्रेजी राज्य के जमाने में जितना खर्च होता था उससे आज कम कर रहे हैं और इसका कोई आंकड़ा आपने नहीं दिया। जहां तक मुझे पता है और मैं देख सका हूं अंग्रेजी राज्य में, बल्कि १९४६ में जब कि अंग्रेजी राज्य का आखिरी समय रहा है, जिसके बाद वह गये। उस समय दस प्रतिशत शिक्षा का व्यय था। आज १४.२ प्रतिशत है। तो कम नहीं है। यह मैं अवश्य मानता हूं कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु १९४६ से आज का जो अनुपात है वह कम नहीं है। एक बात उन्होंने यह भी कही कि पर कैपिटा खर्च क्या हमारे प्रदेश में होता है अन्य प्रदेशों के मुकाबले में? उत्तर प्रदेश में ३.८ है, बिहार में २.९ है, उड़ीसा में २.७ है, मध्य प्रदेश में ४.३ है, आसाम में ४.३ है, बम्बई में बहुत है ८ कुछ प्वाइंट है।

श्री राजनारायण--यह किस सन् के आंकड़े हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५५-५६ के। पश्चिमी बंगाल में ७.८ है। दो एक प्रदेशों से ज्यादा है जैसे उड़ीसा और बिहार। बाकी बहुतों से कम ही है। यह बात सही है कि पर कैपिटा व्यय अधिक होना चाहिये, अब तक कम है।

एक बात और हमारे दुबे जी ने कही थी कि गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं का अनुपात ७५ फीसदी और २५ फीसदी का है। सरकारी संस्थाओं पर ७५ फीसदी खर्चा होता है और २५ फीसदी खर्चा होता है गैर सरकारी संस्थाओं पर। तो यह भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास हैं उससे मालूम होता है कि १८.१ तो राजकीय कालेजेज पर खर्चा है और गैर-सरकारी कालेजेज पर ८१.९। ऐसे ही सरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों पर ३२ परसेंट है और गैरसरकारी हायर सेकेन्डरी स्कूलों पर है ६८ परसेंट। सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर १.६ और गैरसरकारी पर ९८.४ है। तो यह जरूर है, जैसा उनका अर्थ था कि इतने सरकारी कालेजेज पर खर्च अधिक होता है, उनकी तादाद कम है, टीचर्स की ग्रेड ऊंची है। लेकिन परसेंटेज की बात जो है वह इस प्रकार की है।

एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। यह सवाल उठा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कितना खर्च होता है? तो जो मेरे पास फिगर्स हैं उनसे मालूम होता है कि प्रदेश में सारे डायरेक्शन और इंस्पेक्शन में कुल मिला कर २.२ फीसदी व्यय होता है विभाग का। उड़ीसा में २.१ परसेंट खर्च होता है। पंजाब में २.५, आसाम में ३.८ और हमारे यहां २.२। अखिल भारतीय आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वह २.९ है जो इंस्पेक्शन और डायरेक्शन पर खर्च होता है। २.२ दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में, जो डायरेक्शन और इंस्पेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, वह काफी कम है। यह तो थोड़े से मुझे आंकड़े देने थे कुछ स्पष्टता करने के विचार से।

एक बात यह कही गई कि लखनऊ यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट ऐक्ट तुमने लागू नहीं किया। वह २७ जनवरी, १९५८ से इनफोर्स हो चुका है। ऐसी बात नहीं है कि वह लागू नहीं किया गया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

एक प्रश्न और माननीय दुबे जी ने उठाया था कि कोई एक पत्रिका है और उसमें कुछ और पुस्तकों का नाम दिया है । वह एक ऐप्रूव्ड लिस्ट की किताब है । वह ऐप्रूव्ड लिस्ट पुस्तकें खरीदी नहीं जाती हैं वह एप्रूव्ड लिस्ट पुस्तकें इस विचार से निकाल दी जाती हैं कि स्कूल और पुस्तकालयों के लिये लोग खरीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं । मेरे खयाल से जिस पत्रिका का उल्लेख उन्होंने किया वह सर्वोदय साहित्य संघ की नई निकली हुई पत्रिका है । इस प्रकार की चेष्टा हमने अवश्य की है गांधी साहित्य, गांधी जी के लेख और जो उनके विचार तथा साहित्य हैं उसको ऐप्रूव्ड लिस्ट में रख दें क्योंकि हम समझते हैं कि महात्मा जी के लेखों और विचारों का प्रचार हो तो जीवन के निर्माण में सहायता मिलेगी । इस विचार से है कोई बाध्यता किसी पर नहीं है । एक लिस्ट छपती है जिसमें बहुत सी पुस्तकों के नाम हैं, उसमें गांधी साहित्य है और मैं समझता हूं माननीय सदस्य कोई अनुचित बात न समझेंगे, इस प्रकार का साहित्य वह है ।

आंकड़ों को अब मैं बहुत पेश करना नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत लम्बी सूची है उनको अगर पेश करने लगूं तो समय बहुत लग जायगा । लेकिन थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारा बजट इस वर्ष १५ करोड़ ११ लाख से बढ़कर १६ करोड़ ३ लाख का हो गया । ९२ लाख इस साल बढ़ा है । कई आइटम्स में वृद्धि हुई है जैसे डिग्री कालेजेज में, विश्वविद्यालय में ६ लाख ७४ हजार बढ़ा है, माध्यमिक में २७ लाख और प्रारम्भिक में ७१ लाख बढ़ा है । जब हम ९२ लाख ३२ हजार के अधिक व्यय को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय और कालेजों पर बहुत ज्यादा खर्च होता है । विश्वविद्यालय व कालेजों पर ७.४४ परसेंट, माध्यमिक पर १९.७ परसेंट और प्रारम्भिक पर ३५.३४ परसेंट । स्कालरशिप पर २.१६ परसेंट, विकास योजनाओं पर १९.६ परसेंट खर्च है । तो विश्वविद्यालयों व डिग्री कालेजों के मुकाबिले में हमको प्राइमरी पर अधिक खर्च करना है । वह उचित है और वह हम खर्च कर रहे हैं । लेकिन ७.४४ खर्चा जो हम डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों पर कर रहे हैं, प्रदेश में जहां इतना बड़ा बजट हो और जहां इतने विश्वविद्यालय व डिग्री कालेजेज हों तो उसे कुछ ज्यादा हम नहीं कह सकते ।

अब हमारा नार्मल बजट जो नियोजन का है यानी प्लानिंग का जो बजट है दूसरी पंचवर्षीय योजना के हिसाब से हमने उसमें प्राइमरी पर ५०.९ परसेंट रखा है, माध्यमिक पर १९.३ और विश्वविद्यालयों पर १०.९ । तो प्राइमरी पर हमारा विशेष रूप से एमफेसिस है ।

मैं पुराने फिगर्स से, सन् १९४६ से कोई तुलना नहीं करना चाहता । इस सम्बन्ध में कैलाश प्रकाश जी ने बतला दिया है । मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता । इसमें कोई सन्देह नहीं की सन् १९४६ से आज में बड़ा फर्क है । यह कोई दावा नहीं करता कि हमारा जो विकास हुआ है या प्रगति हुई है शिक्षा में वह मेक्जिमम पर आ गयी है और उससे अधिक नहीं करना है । लेकिन यह सब स्वीकार करेंगे और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो थोड़ा सत्य के प्रति न्याय नहीं होगा, और वह यह कि १० वर्षों में काफी प्रगति हुई है, चाहे प्राइमरी एजूकेशन को देखें, चाहे माध्यमिक या डिग्री कालेज और विश्वविद्यालयों को देखें । छात्रों की संख्या भी बढ़ी है । पैसा भी ज्यादा खर्च हुआ है । अनुदान भी ज्यादा दिया गया है । बजट भी ज्यादा बढ़ा है । जहां सन् ४६ में लगभग पौने ४ करोड़ खर्च होता था आज वह बढ़ कर साढ़े १६ करोड़ हो गया है और इस प्रकार ४–५ गुने खर्च की वृद्धि हुयी है । इसके कारण हमारे छात्रों की संख्या बढ़ी है । आज प्राइमरी शिक्षा में ३२ परसेंट बच्चों को शिक्षा मिल रही है । माध्यमिक में भी वृद्धि हुयी है । इस प्रकार शिक्षा में व्यापक प्रगति हुयी है । दस वर्ष में जो प्रगति हुयी है उसे आप यह नहीं कह सकते कि कोई प्रगति नहीं हुयी । यह अवश्य कह सकते हैं कि कम हुयी जिसे हम स्वीकार सकते हैं ।

श्री रामायण राय—फेल होने वालों की संख्या बढ़ी है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो है । फेल तो जरूर हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने यहां से फेल कर दिया हो । यह तो शिक्षा की समस्यायें हैं । उनके लिये सारी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि मैं शिक्षा का संचालन कर रहा हूं । वे समस्यायें ऐसी हैं, मौलिक प्रश्न ऐसे हैं जिनके संबंध में कुछ एक दूसरे प्रकार का प्रयास करना होगा, सोचना होगा । उस पर हम आ भी रहे हैं । यों तो ३२ परसेंट बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और ६८ परसेंट के लिये अभी प्रबन्ध नहीं है । ६ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है प्राइमरी पर, अभी तिगुने बालक बाकी हैं । अगर १८ या १९ करोड़ रुपये खर्च करें तो सब बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है । अभी सब के लिये कम्पलसरी भी नहीं है । भारत सरकार ने अपने डाइरेक्टिव के अन्दर ५ साल के लिये इसे बढ़ाया है । आज आपने ३२ परसेंट का प्रबन्ध कर लिया है जब कि ६ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । जब उसकी और समस्याएं आपके सामने मौजूद हैं, जिनका उल्लेख मैं करूंगा, कि अध्यापकों के संबंध में यह विधान हो, यह व्यवस्था हो और इसका विस्तार हम करना चाहें, बच्चों के लिये १८--२० करोड़ हम केवल प्राइमरी के ऊपर जब खर्च करें तब सब विचार करके हम कोई कदम उठावें । तो वह प्रश्न हमारे सामने है, उसका उल्लेख करूंगा । प्रगति आपकी हुई है और १० वर्षों के अन्दर ऐसी प्रगति है जो सत्य है, जिसे आप देख सकते हैं । यह अवश्य है कि हम तो अवश्य ही चाहते हैं, हमने तो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में रखा है कि कम्पलसरी और निःशुल्क शिक्षा कर दें । लेकिन प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी भी नहीं कर सके, निःशुल्क की बात तो अलग है । और अर्थ उसका यही था कि ३२ परसेंट किया । शत प्रतिशत बच्चों के पढ़ाने का प्रबन्ध यहां १० वर्षों में हम नहीं कर सके हैं, ३२ परसेंट हुआ है, ७८ परसेंट नहीं हुआ है । इसको अस्वीकार करने से तो कोई अर्थ निकलता नहीं है । तो इस प्रगति के मामले को थोड़ा इस दृष्टि से आप देखें कि जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं हुई है, पर हम बड़ी तेजी से बढ़ते गये हैं और बढ़ते जा रहे हैं और चाहते हैं आगे बढ़ना ।

जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि हमारी शिक्षा का प्रश्न कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है । यह हमारी संतान का प्रश्न है और आज के इस युग में जब कि एक रचना के काम में हम लगे हुए हैं, जब संतान की रचना का प्रयास हम कर रहे हैं और उसके विकास की बात सोच रहे हैं तो उसका आधार मनुष्य का जीवन ही हो सकता है । अगर मनुष्य विकसित न हुआ और हमारे भविष्य के उत्तरदायित्व को निभाने के योग्य न हुआ और उस संतान को इस योग्य न बना सका कि इस देश का संतुलन वह कर सके तो फिर हमारा बड़ा भारी अहित हो जायगा । यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर विचार करें । हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि आप दो जबान से बदले । मैं नहीं बदला । इसलिये नहीं बदला कि हमने एक जबान से यह नहीं कहा कि ये अध्यापक सब निकम्मे और और नालायक हैं और दूसरे से यह नहीं कहा कि इनको सभी सुविधाएं हैं । हमारी शिक्षा के प्रश्न का सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षकों को उनके वास्तविक स्थान पर हम प्रतिष्ठित न करें । आपने कहा कि सहानुभूति दिखाने से कोई काम नहीं चलता । यह सही है कि सहानुभूति से किसी का पेट नहीं भरता लेकिन उसे कठिनाई का सामना करके उन प्रश्नों और समस्याओं को हल करने की शक्ति प्राप्त होती है । यह दृष्टिकोण श्रीमन् है और उसके मार्ग की जो बाधाएं है उनको आपकी, अपनी और सरकार की छोटी सी शक्ति के साथ एक दृष्टिकोण पैदा करके मुकाबला करना है, दूर करना है । यह हमारा ध्येय है कि शिक्षकों का स्तर हम ऊंचा करें । उनका जो मानव स्तर है, भावनात्मक स्तर है, उसको भी ऊंचा करें । जब तक वह अपने स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं होगा, जैसा कि हम कहते रहे हैं कि उसका सबसे आदरणीय स्थान है, तब तक हमारे शिक्षा के प्रयोग में सुधार नहीं हो सकता ।

अब जहां तक भावनात्मक प्रश्न है वह सारे समाज का काम है । हमारा, आपका, सब का और सरकार का कि जो शिक्षक है उसे आदर का स्थान प्राप्त हो । अगर हम यह

[श्री कमलापति त्रिपाठी]
नहीं करेंगे तो आगे हमारी संतान भी नहीं करेंगी। इसलिये आवश्यक है कि हम उनका मान और आदर करें और अगर उसके हृदय में यह भावना होगी कि वह समाज के सबसे अधिक अनादरित व्यक्तियों में हैं तो वह एक बड़ी भयानक बात होगी। तो हम चाहते हैं कि उनका स्तर ऊंचा हो, हम चाहते हैं कि उनको ऊपर उठावें। क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया, हम इस विचार को अभी स्वीकार नहीं कर सके कि असोशिएट कालेज के हमारे जो प्रोफेसर हैं उनका वेतन दूसरों से कम क्यों हो। हम नहीं स्वीकार कर पाये कि सेकेंडरी और सरकारी स्कूल के टीचर्स का वेतन एक हो और गैर-सरकारी टीचर्स का दूसरा हो। क्योंकि जैसा आपने कहा यह सही है कि वहां बहुत कम परसेंटेज सरकारी स्कूलों का पहुंचता है। बहुत बड़ा परसेंटेज तो उन्हीं विद्यार्थियों का जाता है जो कि नान-आफिशियल सेकेंडरी कालेजेज में पढ़ते हैं। फिर क्या कारण है कि हम उनके वेतन में समता न लायें? न लायें तो एक इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स, एक लघुता की भावना और एक उनके हृदय में दाह रहेगी और जब एक अध्यापक के हृदय में अपने संबंध में ये चीजें हों तो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का हम चाहे भागीरथ प्रयत्न करें उसका कोई फल नहीं हो सकता। तो प्रयत्न हम कर रहे हैं और सहानुभूति केवल इसलिये नहीं करना चाहते कि हम केवल जबानी जमा खर्च करके उन्हें संतुष्ट किये रहें यह ठीक नहीं। हमारी कठिनाइयां हैं। एक का भी लें तो ऊपर से नीचे तक का वेतन का प्रश्न उपस्थित होगा। यह न समझें कि केवल एसोशियेटेड कालेजेज का ही प्रश्न है। जिस दिन आपने वेतन का मामला उठाया उस दिन प्रायमरी से लेकर एसोशियेटेड कालेजेज तक का मामला सामने होगा। हमारी कठिनाइयां हैं। बजट आपका बना हुआ है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, मिश्र जी ने कुछ कहा, अब उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ले आओ, तो ले आने का भी प्रयत्न है, लेकिन आप हमें चार बातें सुना दें तो उससे हमारी समस्या तो हल होती नहीं। हमने कुछ आंकड़े इकठ्ठे किये हैं ....

श्री उग्रसेन--छपवा कर माननीय सदस्यों को बंटवा दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अच्छी बात है। तो मान्यवर, देखें कि हमने सिर्फ यह सोचा कि प्राइमरी स्कूल के ट्रेन्ड टीचर्स की तनख्वाह ४१ रुपये है और अनट्रेन्ड की ३६ रुपये है, इनको ५ रुपये हम और ६ रुपये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से एलाउन्स दिलाते हैं। तो जिनको ४१ रु० मिलते हैं उनको ११ मिला कर ५२ हो जाते हैं और जिनको ३६ मिलते हैं उनके ४७ रुपये हो जाते हैं। हमने सोचा कि अगर इनके ४ रुपये बढ़ा दें तो ४१ वाले के ४५ और ३६ वाले के ४० रुपय हो जायंगे। लेकिन आप देखें कि केवल ४ रुपये बढ़ाने से ही प्राइमरी स्कूल्स के जो हेडमास्टर्स हैं उनके ऊपर सन् १९५८-५९ में १४ लाख ८० हजार, १९५९-६० में १५ लाख १७ हजार, १९६०-६१ में १५ लाख ७७ हजार रुपये का खर्चा होगा और ट्रेन्ड टीचर्स पर सन् १९५८-५९ में १६ लाख ७४ हजार, १९५९-६० में १७ लाख १० हजार और १९६०-६१ में १७ लाख ६० हजार रुपये का खर्चा होगा। जूनियर हाई स्कूल्स के हेड मास्टर्स पर सन् १९५८-५९ में ६१ लाख, १९५९-६० में ६६ लाख और १९६०-६१ में ७२ लाख रुपये का खर्च होगा। इस तरह से करीब ३ करोड़ रुपये के अल्टीमेट उनकी वृद्धि होती है केवल ४ रुपये बढ़ाने से। तो केवल एक जगह करके छोड़ नहीं सकते। हमने कई तरह का बनाया, डिग्री कालेजेज का भी बनाया, माध्यमिक का भी बनाया, सभी का बनाया कि कितना बढ़ायें, मैक्सिमम को बढ़ा दें और मिनिमम जो चल रहा है उसको चलने दें, कई तरह से बनाया है, कोई सज्जन अगर इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हों तो देखें और इस संबंध में अध्यापकों और उनके प्रतिनिधियों और कार्यकर्त्ताओं से हम बराबर बातचीत कर रहे हैं। तमाम आंकड़े उनके सामने रख दूं। वर्क आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई मध्यम मार्ग निकल सके। ४४ लाख रुपये की आवश्यकता है यदि हम आज पैरिटी लायें और सब मिला कर कई करोड़ रुपये की वृद्धि की आवश्यकता हो जाती है। मैं भारत सरकार की निन्दा नहीं

करना चाहता, उनका भी आल-इंडिया प्लान है एजूकेशन का और हमारा प्लान उनके साथ है। जो हमारा प्लान उन्होंने मंजूर किया था उसके लिये भी रुपया देने में उनको कठिनाई है। वे उसमें से भी रुपया काट रहे हैं। जो हम को एलाट कर चुके हैं उसमें भी कमी हो रही है। पिछले वर्ष भी कमी हुई और इस वर्ष भी होगी। तो हमारी समस्यायें हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान है और हम प्रयास कर रहे हैं। पूरे वेग से नहीं बढ़ सकते, लेकिन जितने वेग से बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं। कठिनाइयां हैं उनको आप के सामने रखूंगा, लेकिन आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार का ध्यान है। यह जो दल बैठा हुआ है उसका ध्यान है, आपकी सहानुभूति है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिस के हृदय में यह भावना न हो कि और चाहे जितने जरूरी काम हों, उन सब में शिक्षा का काम सर्वप्रमुख है, जरूरी है और इसके स्टैंडर्ड को ऊंचा करने की ओर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। प्रसार भी कम नहीं करना है। फीस की माफी की बात राजनारायण जी ने कही, सही है। दर्जा ६ तक की फीस माफ करने के लिये सरकारी कोष से ९५ लाख रुपया देना पड़ रहा है। दर्जा ७ और ८ के लिये कंसालिडेट कर रहे हैं कि कितना देना होगा। इस संबंध में असेम्बली में सवाल भी हुए हैं। आप देखें कि अगर हम दर्जा ७ और ८ की फीस माफ करते हैं तो १ करोड़ २० लाख रुपये का फर्क पड़ता है और इस तरह से करीब २ करोड़ से ज्यादा की फीस माफी दर्जा ८ तक के लिये करनी पड़ती है और जो इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं अगर उनकी क्षतिपूर्ति न की जाय तो वे बन्द हो जायेंगे। क्षतिपूर्ति करते हैं तो एक्सटेंशन बन्द हो जाता है। इसके बाद प्रायरटीज का सवाल भी सामने है। क्षतिपूर्ति आदि के लिये एक्सचेकर पर कर भी नये लगाने होंगे। यह तमाम समस्यायें हैं कि जिनको सामने रखकर हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आपके जितने सुझाव हैं उन सब को हम ने ध्यान से सुना है। उनसे मेरा, सिवाय इसके कि कटौती न की जाय, कोई विरोध नहीं है। आप जो कहते हो कि प्रसार और किया जाय, उससे कौन इन्कार करेगा, जो आप कहते हो कि शिक्षा का स्तर और उठाया जाय, उससे कौन इन्कार करेगा, टेक्निकल शिक्षा में और ज्यादा जोर लगे, इससे कौन इन्कार करेगा? कौन इस बात से इन्कार करेगा कि अध्यापकों का वेतन और बढ़ना चाहिये? जो विषमता है वह दूर होनी चाहिये, इससे विरोध किसको है? आप कहते हो कि प्रदेश में शिक्षा का जितना प्रसार होना चाहिये था उतना नहीं हुआ, वह हो और उसकी नीति में सुधार हो। इससे कोई इन्कार नहीं करता। आज ३२ फीसदी शिक्षित हैं और ६८ फीसदी अशिक्षित, और जिनको शिक्षित करना किसी भी सरकार के लिये जरूरी है। प्राइमरी शिक्षा सब के लिये आवश्यक हो, इससे आवश्यक बात और क्या हो सकती है और इसमें किसी को कोई विरोध भी नहीं है और इन सुझावों में से किसी को भी मुझे काटना नहीं है, केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस दिशा में हमको प्रयास करना है और हम चेष्टा कर रहे हैं। हर दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखें कि प्राइमरी शिक्षा बढ़ायी जा रही है, जूनियर हाई स्कूल बढ़ाये जा रहे हैं। हमने अनुदानों की जो तालिका है उसको भी बढ़ाया है। आंकड़े मैं देना नहीं चाहता, लेकिन जितने सुझाव आते हैं उन पर हम विचार करते हैं इस दृष्टि से कि कहीं कोई गुन्जायश निकल आये जिससे कि किसी आवश्यक कार्य को हम कोई और अन्य काम रोक कर भी कर सकें। वह बराबर हम देख रहे हैं और आपके जो सुझाव आते हैं उन पर विचार किया जाता है।

मेरठ यूनिवर्सिटी के बारे में हम विचार कर रहे हैं। बहुत दिनों से आपकी वह मांग रही है। उसके विषय में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि एक्सटेंशन टीचर्स का हम क्या कर रहे हैं। हमारे भाई कैलाश जो स्वयं उसके अध्यक्ष थे। उस पर भी विचार हो रहा है। जिन जिन

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बातों की ओर आपने संकेत किया है, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन पर विचार करेंगे।

ऐसोशियेटेड कालेजेज के बारे में भी हम फिगर्स पर विचार कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एसोशियेटेड कालेजेज के टीचर्स को २–४–५ लाख देकर शांति नहीं मिल सकेगी। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता.....

श्री उग्रसेन––माननीय मंत्री जी को १० मिनट और दे दिये जायं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––मैं निवेदन करना चाहता हूं आधा घंटा डिबेट में से कोई समय कम न किया जाकर माननीय मंत्री जी को १०–१५ मिनट का समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––सब लोगों की इसमें रजामंदी है ? (कुछ ठहर कर) तो मंत्री जी १०–१५ मिनट और बोल लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी––ऐसा तो न होगा कि माननीय राजनारायण जी साढ़े पांच बजे बाद यह प्रश्न उठा दें कि साढ़े पांच बजे बाद डिबेट हो ही नहीं सकती, इसलिये यह अनुदान अब आ ही नही सकता है। श्री राजनारायण जी ही बतावें कि उनको बाद में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री राजनारायण––मैं यह चाहता हूं कि आप मिनिस्टर्स की ट्रेनिंग की ही बात कहकर बैठें क्योंकि जब तक आप मिनिस्टर्स के पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक तो मैं यही समझूंगा कि सब बेकार रहा।

श्री कमलापति त्रिपाठी––ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अपनी बात कहूं न ?

श्री मदन पांडेय––और संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन के संबंध में बताइये।

श्री कमलापति त्रिपाठी––लखनऊ विश्वविद्यालय में जो प्राच्य विभाग है उसमें संस्कृत के अध्यापकों का प्रश्न आता है। मेडिकल कालेज का जो वेतन है वह भी इसमें नहीं है। वह मेडिकल डिपार्टमेंट के बजट में है। लेकिन यह सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। आपने भी उनके संबंध में राय दी है और पंडितों ने भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। शीघ्र ही कदाचित् सरकार कोई निर्णय भी इस दिशा में करेगी।

तो मैं स्वयं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार का ध्यान इन सब बातों की तरफ है। अब कुछ थोड़े से मौलिक प्रश्न थे उनके संबंध में मैं अवश्य अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं ऐसा समझता हूं कि बार-बार यह कहना कि हमारी शिक्षा-पद्धति असंतोषजनक है उसका अब कोई अर्थ नहीं रहा इसलिये कि यह सर्वमान्य बात है। सारे पुराने इतिहास की आवृत्ति इसके लिये करना और कहना कि मैकाले ने क्लर्क बनाने के लिये इसको आरम्भ किया था यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसके व्यक्त करने से अब कोई लाभ नहीं है। शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के लिये जब कभी अवसर मिला है हम करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु परिवर्तन हो क्या ? यह बड़ा भारी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। उसके बारे में कि शिक्षा क्या है, किसी ने कहा कि ऐसी एजूकेशन ऐसी हो जो जीवन का निर्माण करे, किसी ने कहा जो जीवन की रचना का प्रयास करे, किसी ने कहा कि जो चरित्र के विकास का प्रयास करे। यह सारी बातें होती हैं किन्तु कोई स्पष्टता इनसे आती नहीं है कि क्या परिवर्तन हो। परिवर्तन शिक्षा में इस विचार से होना चाहिये कि हमारी जो वर्तमान परिवर्तित परिस्थिति है उसके अनुकूल हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है, वह उसके अनुकूल बने

लेकिन परिवर्तन करें तो क्या करें, यह ऐसा विषय है जिस पर पूरी स्पष्टता अभी तक नहीं आयी है। इसका कारण मैं यह मानता हूं कि कोई आइडियालाजिकल शिक्षा सरकार के द्वारा संचालित नहीं होनी चाहिये। हमारे देश की परम्परा इसके विरुद्ध रही है। हमारे देश में शिक्षा का संचालन कभी राज्यसत्ता पर नहीं रहा। सहायता देने के अतिरिक्त सारी शिक्षा की नीति और उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा राज्य ने कभी नहीं की। यहां के विचारकों, चिन्तकों, मनीषियों, अध्यापकों, लेखकों, तपस्वियों ने, अत्यन्त निष्पक्ष हो करके जीवन की तुला पर सारे प्रश्नों को तौलकर शिक्षा की पद्धति को बनाने में उसको विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आज, दुर्भाग्य से, हमारे देश में शिक्षा का कोई दर्शन नहीं है, कोई फिलासफी आफ एजूकेशन डेवलप नहीं हुई। अंग्रेजों के जमाने में कोई फिलासफी एजूकेशन की नहीं थी लेकिन उसकी एक पालिसी थी। उन्होंने उस पालिसी को चलाया कि हम इस प्रकार की शिक्षा दें करके अपने काम के लिये कुछ लोगों को तैयार करें। हमारे देश में बहुतों ने उससे लाभ उठाया और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार बढ़े। हमने आज उनकी पालिसी को अपनाया और अपनी दृष्टि से उसका उपयोग किया है और उसको यूटिलाइज किया है। उन्हीं के अस्त्र को लिया। उनकी एक नीति थी। वह नीति समाप्त हुई कि हम अपने काम के लिये आदमियों को तैयार करें। अवश्य शिक्षा देने का उनका एक दृष्टिकोण था कि इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की भावना उनमें, लोगों में उत्पन्न की जाय जिससे वे हमारे लिये उपयोगी हों। यह उनकी नीति अब समाप्त हुई।

हमारे देश में प्राचीन काल में शिक्षा का एक वृहत् दर्शन रहा है। मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। श्रीमन्, राजनारायण जी मेरी तरफ देख रहे हैं और जब वे मुझे देखने लगते हैं तो मुझे डर लगने लगता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मेरी बुद्धि में जो बात आती है मैं कह रहा हूं। प्राचीन काल में शिक्षा का एक दर्शन रहा है। शिक्षा का माध्यम पुस्तकों को पढ़ाकर नौकरी दिलाना नहीं है। उसका माध्यम है समस्त जीवन को विकसित करने का, परिवर्तित करने का और एक प्रकार से उसका ट्रांसफार्मेशन करके जीवन को नया आधार, नई दृष्टि, नई शक्ति और नई चेतना प्रदान करने का। वह एक माध्यम है पशु को भी संस्कृत करने का, विवेक जाग्रत करने का और उसमें मनुष्यता जाग्रत करने का। यह आदर्श हमारी शिक्षा का प्राचीन काल में रहा है। कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा जो इस आदर्श से पूर्ण न हो। हमारा आदर्श रहा है "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात् विद्या वह है जो दुखों से मुक्त करती है। "विद्यया अमृतमश्नुते" विद्या से अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। "विद्या धर्मेण शोभते" विद्या धर्म से सुशोभित होती है। "विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद्धर्मम् ततः सुखम्" हमारी शिक्षा का प्राचीन आदर्श यही रहा है कि विद्या जो है वह विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म होता है। धर्म की शिक्षा देना विद्वानों का काम है। यही हमारे दर्शन का लक्ष्य रहा है। जिस दृष्टि से हमारी सारी शिक्षा पद्धति रही है उसे कभी किसी राज्यसत्ता ने नहीं बनाया बल्कि हमारे जो विचारक हैं, तपस्वी हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि से उसको जीवन दिया और जिस तरह से भी हो सका एक प्रकार से त्याग करके संस्कृति का निर्माण किया और मानव के निर्माण करने की चेष्टा की। आज कल जो शिक्षा पद्धति चल रही है इससे उसका कोई वास्ता नहीं था। क्योंकि उस वक्त तो यह फिलासफी थी नहीं। आज के युग में विचारों का घात प्रतिघात है, नये आदर्श हैं, नयी मान्यतायें हैं, नयी धारायें हैं, नये मूल्यों की रचना हो रही है, मनुष्य ने अपने को कसौटी पर कस-कस कर अपने पुराने त्यागों पर नये आदर्शों की प्रतिष्ठा की है। "तस्मै देवाय नमः" तुम्हीं देवता हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, यह बात प्राचीन काल से लेकर आज तक वैसी ही चली आ रही है। आज संसार में बहुत से ज्ञान की उपलब्धि हुई है, और विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य में विशेष रूप से एक चेतना रही है, एक संस्कार रहा है। आपके देश में बहुत दिनों के बाद

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लोकतंत्र की स्थापना हुई है, फिर आपको देखना है कि किस तरह से इस पद्धति में परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार के केवल करने से तो यह हो नहीं सकता है, अगर ऐसा किया गया तो वही बात होगी जो कि रूस के अन्दर हुई। तमाम देश के विचारक व शिक्षा शास्त्री, सब उसी में संलग्न हो जाते हैं। अगर आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। जब वस्तुओं के लेनदेन के आधार पर समाजवाद की रचना हो रही है, तो जीवन में एक दृष्टिकोण से उसकी पूर्ति होनी ही चाहिये। बिना उस प्रकार का दृष्टिकोण किये हुये इस सम्बन्ध में काम नहीं हो सकता है। यह तो उसी तरह की बात हुई है कि बिलकुल घोंटी की तरह से बच्चे को गर्भ में ही सिखाने की कोशिश करने लगे। आपको चाहिये कि इस तरह की पद्धति पनप सके उसके लिये विचारक और विद्वान् एक नयी चेतना उत्पन्न करें, जिससे मनुष्य अपने संस्कारों की रक्षा कर सके, उसका प्रयत्न करे। श्री गोविंद सहाय जी ने अपने कुछ विचार प्रकट किये . . . . . .

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, समय बढ़ गया है क्या, क्योंकि अब तो समय हो गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस वक्त आपने इसका खयाल नहीं किया जब कि मुझको रोका था। मुझे ७,१० मिनट तो बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की सहमति से ही कुछ समय बढ़ाया गया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। थोड़ी सी कृतज्ञता होनी चाहिये। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह काम विचारकों, विद्वानों और पंडितों का है जैसा कि हमेशा से उन का काम इस प्रकार का रहा है। आप इस काम को सत्ता के हाथ में न दें क्योंकि सरकारें आती और जाती रहेंगी, आज हमारी सरकार है, कल आप की हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है। राजनैतिक पद्धतियां बदलती रहें लेकिन शिक्षा की पद्धति फिर भी विचारकों के हाथ में, विद्वानों के हाथ में ही रहनी चाहिये और उस का निर्धारण वही करते रहें तो ठीक होगा। यह हम भी चाहते हैं कि यह जो शून्यता है, जो वैकुअम है उस का परिहार हो। इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि हम अपने यहां नये-नये मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं और नये-नये आदर्शों को अपने यहां स्थापित करना चाहते हैं, हम अपने यहां इतिहास की धारा को एक नये सुनियोजित ढंग से चलाना चाहते हैं। इन कामों के लिये हमारे यहां कई कमेटियां और कमीशन बैठ भी चुके हैं और उन की रिपोर्टस भी हमारे पास आई हैं। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी बनी, उसके बाद यूनिवर्सिटीज के मामले में राधाकृष्णन कमीशन बैठा, मुदालियर कमीशन बना उस की भी बहुत बड़ी रिपोर्ट है, सब ने तमाम आसपेक्ट्स पर विचार किया। इन सब के अलावा गांधी जी की विचारधारा भी हमारे सम्मुख है और सारे संसार के विचार आप के सामने हैं। इसलिये यह जिम्मेदारी हमारे विचारकों की, विद्वानों की और जो जीवन तत्व का मनन करने वाले हमारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं उन की भी है, हमारे लेखकों और कलाकारों की भी है। हमारा एक दृष्टिकोण बने, एक चीज का ठीक से निरूपण हो सके जिस की आज कमी है। यह एक साल या दो साल का काम नहीं है, यह एक ऐतिहासिक प्रवाह है, सहसा हम एक नये युग में आये हैं और बराबर तब से इस विषय पर विचार हो रहा है, शिक्षा की कमेटियां बन रही हैं, आगे स्पष्टता आयेगी और तब जो परिवर्तन आप करेंगे वह वास्तविक होगा और वही स्थायी रूप से हितकर होगा। अब मैं सदन का अधिक समय न लेकर आप की आज्ञा से अपने समस्त मित्रों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और जो विवाद का स्तर इस मांग के सम्बन्ध में ऊंचा रखा गया है उस के लिये मैं कृतज्ञ हूं। जिन मौलिक प्रश्नों के ऊपर संकेत किया गया है और जो प्रश्न विचारणीय हैं और जिन समस्याओं का हल करना है उन सब प्रश्नों में हमारी भावी सन्तति के भविष्य का प्रश्न निहित है और मैं आप से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारी दृष्टि उस पर है और आपके सझावों से हमें बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता

है। बाकी मैं अपनी छोटी सी संकुचित बुद्धि के अनुसार जो कुछ कर सकूंगा, करूंगा, परन्तु दुबे जी से इतनी प्रार्थना है कि वह १ रुपया कम न करें।

श्री उपाध्यक्ष--क्या दुबे जी वापस ले रहे हैं ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८ में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अन्तर्गत १६,१०, ४५,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--लेखा शीर्षक २२--जेल और बंदी बस्तियां

श्री उपाध्यक्ष--अब २ मांगें और हैं सहकारिता और जेल की, सब माननीय सदस्य सहमत हैं कि उन पर वादविवाद नहीं होगा, इसलिये मैं उनको भी लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६--जेल--लेखा शीर्षक २८--जेल और बन्दी बस्तियां के अन्तर्गत १,५६,९६,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री राजनारायण द्वारा विभाजन की मांग किये जाने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री उपाध्यक्ष--मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री ने पेश नहीं किया इस ग्रांट को।

श्री राजनारायण--पेश ही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--तो डिवीजन का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण--मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि जब डिवीजन हो गया, सब हो गया, जब कि आपने सम्मति ले ली, फिर हमने डिवीजन की मांग की, आपने घंटी बजवा दी, तो किस नियम के मुताबिक यह फिर लिया जा सकता है।

(घंटी बंद होने के उपरान्त)

वह खत्म हो गयी। अब जेल के लिये हम एक पैसा नहीं देंगे। यह व्यवस्था का बड़ा अहम प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--यह ग्रांट माननीय मंत्री जी ने पेश ही नहीं की और यह गलतफहमी में रख दी गयी।

श्री राजनारायण--हमने केवल माननीय शिक्षा मंत्री के लिये समय बढ़ाया था।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि मंत्री जी ने पेश ही नहीं किया, यह मेरे कार्यालय ने बताया इसलिये वह मत अनियमित लिया गया। जब आगे पेश करेंगे तो कार्यवाही होगी।

यूथ कांग्रेस अधिवेशन में सूचना विभाग द्वारा किराये पर जमीन लेने से सम्बन्धित २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न २४ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष--अब यूथ कांगेस अधिवेशन में सूचना विभाग द्वारा मोती महल, लखनऊ में किराये पर जमीन लेने से संबंधित श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे तथा श्री राजनारायण के २६ फरवरी, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ से सम्बद्ध श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे द्वारा दी गयी सूचना पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ (१) के अन्तर्गत विवाद होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि यह जो युवक कांग्रेस हुई उसमें सूचना विभाग की ओर से जो एक कमरा लिया गया था उसके किराये के स्वरूप में कितना दिया गया, तो सरकार से जो उत्तर आया था वह यह था कि कुल मतालबा १९,६३४ रुपया १० आने का है। उसमें से १५ हजार के दिये जाने के वास्ते माननीय मुख्य मंत्री जी ने हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जो बाकी रुपया है उसे अलग-अलग विभाग अपने बजट से देंगे। इस प्रश्न में श्रीमन्, जो पूरक प्रश्न पूछे गये उसमें जो मंत्री महोदय से यह पूछा गया कि यह प्रदर्शिनी कितने दिन चली, कमरे का क्या साइज था, कितना बड़ा कमरा था जिसके लिये इतना रुपया जा दिया रहा है, तो उसका कोई उत्तर नहीं आया। मैं समझता हूं कि मोती महल में इतने बड़े कमरे कोई हैं नहीं कि जिसके लिये १५ हजार रुपया किराये का दिया जाय। बाकी चार हजार भिन्न-भिन्न विभागों से दिया जायगा। उसमें बिजली की रोशनी के बारे में भी पूरक प्रश्नों में पूछा गया कि प्रदर्शिनी के संयोजकों ने किराया और रोशनी को कुल मिला कर कितना रुपया सरकार से मांगा था और सरकार ने कितना देना स्वीकार किया। उसका भी कोई स्पष्ट उत्तर सरकार की ओर आया नहीं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि कितनी रोशनी जली, कितने दिन जली, कि इतनी बड़ी रकम रोशनी या कमरे के नाम पर, इतना ज्यादा रुपया अपने दल के एक अंग को दिया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार सरकारी पैसे को किसी भी नाम पर अपने दल के अंग को देना यह किसी भी सरकार के लिये अच्छा नहीं और मैं चाहूंगा कि चूंकि समय कम है इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर पूर्ण प्रकाश डालें अन्यथा यही मन में रहेगा कि सरकारी पैसा दल के लोगों को देने के लिये कानून को घुमा कर, उस की आत्मा को दबा कर, सफल प्रयास में कहूं, कांग्रेस का है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, उनका भाषण होने के बाद भी हम बोल सकते हैं।

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मेरे बोलने के बाद ?

श्री उपाध्यक्ष---आप को और भी समय मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता था। इस युवक कांग्रेस में सबसे ज्यादा मेरे सवाल थे। नौ सवाल पूछे थे सब के उत्तर अधूरे हैं। अगर ५ मिनट मुझे भी दे दें तो मैं भी कुछ पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मान्यवर, प्रश्न पूछने का अधिकार हमको है ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां। पहले दोनों तरफ से स्पष्टीकरण तो हो जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह बताया गया था सभा सचिव द्वारा कि कुल मतालबा १९,६३४ रुपया १० आने का है जिसमें से १५ हजार रुपये देने का सरकार ने निश्चय किया। तो १९,६३४ में बिजली का किराया भी शामिल है केवल कमरों का किराया नहीं है। अब यह लखनऊ में अखिल भारतीय युवक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मोती महल में और इस संस्था ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। उस प्रदर्शन में भारत सरकार के कुछ विभागों ने, कतिपय ऐम्बेसीज के सूचना विभागों में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हिस्सा लिया। भारत सरकार की ओर से सूचना मंत्रालय की प्रदर्शनी डिवीजन ने अपना स्टाल लगाया। रुमानिया, जैकोस्लोवाकिया, चीन, रूस और अमेरिका के दूतावासों ने अपने स्टाल लगाये और प्रदेश की सरकार ने भी हिस्सा लिया। करीब २१ विभागों ने सरकार के हिस्सा लिया। कमरे, इसमें एक हाल था बड़ा, ५ अन्य कमरे थे और बरामदे का कुछ हिस्सा था। इस कुल की, जैसा अभी पूछा गया कि कितनी लम्बाई-चौड़ाई थी, तो यह तो नहीं बता सकता

हूं। हां, यह बता सकता हूं कि ७,३५२ वर्ग फीट इनका क्षेत्रफल रहा। अब संस्था की ओर से यह मांग की गयी कि इसका किराया दिया जाय। सबने किराया दिया जो ऐम्बेसीज के आये थे उन्होंने, भारत सरकार ने, और हमारे यहां से भी उनका किराया दिया गया। और अब तक किराया जितना दे दिया वह १५ हजार है। बाकी ४ हजार के करीब बाकी है। यह है हिसाब सीधा। इसमें अब जो कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो फिर मैं बता सकूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, एक प्रार्थना यह है कि प्रश्न आप ज्यादा ऐलाऊ करें ताकि अधिक से अधिक हम जानकारी हासिल करें। लम्बे-चौड़े भाषण न हों।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप लोगों की राय हो तो प्रश्न ही पूछे जायं। माननीय गोविंद सिंह जी बहुत उत्सुक हैं, आप प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, अगर आज्ञा हो तो एक चीज बता दूं। हमारे पास यह फिगर आ गयी कि १७,६९३ रुपया ६ आना किराये की मद में है और १,९४१ रुपया ४ आना बिजली की मद में।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय राजनारायण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री राजनारायण---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट बोल लें।

श्री राजनारायण---यह प्रश्न दो बार आया और हमने जो प्रश्न किया था वह इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि मुझे याद है हमने प्रश्न किया था कि सरकार ने कोई आदेश दिया था शिक्षा संस्थाओं को इसमें सहयोग के लिये? तो हमने यह भी प्रश्न किया था, मैं बहुत जल्दी निवेदन करूंगा, इसका हमको उत्तर मिला नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस एक राजनीतिक संस्था है, कांग्रेस पार्टी इसको संचालित कर रही है। इस यूथ कांग्रेस में जिस प्रकार से सरकार ने सहयोग किया वह प्रत्येक जनतांत्रिक मान्यताओं के विरुद्ध है। वही चीज हमने पहले निवेदन की थी, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर लें कि नवीन प्रणाली स्थापित करनी है, मगर उससे काम होने वाला नहीं है। शब्दों के जाल से काम नहीं चलेगा .....

श्री उपाध्यक्ष---समय बहुत कम है। देखिये आप पहले निश्चित हो लें। २४ नवम्बर का प्रश्न माननीय यादवेन्द्र दत्त दुबे जी और माननीय राजनारायण जी का है:

"क्या यह सही है कि यूथ कांग्रेस के अधिवेशन में मोती महल में सूचना विभाग की ओर से जमीन किराये पर ली गई थी? यदि हां तो किस आधार पर और कुल कितना रुपया देना पड़ा?" सारा वादविवाद और प्रश्नोत्तर इसी पर होना चाहिये।

श्री राजनारायण---जो रुपया दिया गया वह एक पार्टी को मजबूत करने के लिये दिया गया, यह नहीं होना चाहिये था। इस यूथ कांग्रेस में भारत के उप-राष्ट्रपति राधाकृष्णनन जी आये, भारत के प्रधान मंत्री .....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप विषयान्तर हो रहे हैं, आप प्रश्नोत्तर पर ही सीमित रहिये।

श्री राजनारायण---मेरा इतना ही कहना है कि यह जो १९ हजार लिख दिया १८ हजार लिख दिया यह हमारे लिये गौड़ है। मल प्रश्न तो यह है कि आज १० वर्ष तक यह सरकार इतनी नाकाबिल रही और यह बात समझ नहीं पायी कि सरकार का और पार्टी का क्या

[श्री राजनारायण]

सम्बन्ध है ? जनतंत्र में सरकार और पार्टी अलग-अलग रहेंगे या एक रहेंगे ? अगर इस जनतंत्र के मूल सिद्धांत को सरकार समझ पाती तो यूथ कांग्रेस में १८ या १९ हजार रुपया खर्च नहीं होता। यह रुपया किसी के घर से नहीं जायगा। यह तो राज्य कोष से जायगा। इतना ही नहीं, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर दूं .....

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है। आप प्रश्नोत्तर पर ही अपने को सीमित रखिये।

श्री राजनारायण—प्रश्नोत्तर से संबंधित ही मैं सरकार को अपनी राय दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—हां, राय दीजिये।

श्री राजनारायण—सरकार को राय दे रहा हूं कि जो पैसा खर्च किया है वह शोभनीय नहीं है, गैर जनतांत्रिक है, अभद्र है। जो खर्चा किया गया है उससे पार्टी मजबूत होगी और यह जनतंत्र के विरुद्ध होगा। इसने उत्तर प्रदेश की सरकार को कलंकित किया है, देश की सरकार को कलंकित किया है, जनता को कलंकित किया है और जो बाहर से एम्बेसीज आये थे उनको कलंकित किया है।

श्री उपाध्यक्ष—आप वादविवाद को खींचातानी न करें। आप बैठ जायं, अब काफी हो गया।

श्री राजनारायण—एम्बेसीज जो विदेशों से आये उनके दिमाग में यह भावना भर दी कि यहां लोकतंत्र नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डाल दें कि जो विदेशी डेलीगेट्स आये थे उनके आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा किसने बर्दाश्त किया ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं। इसी सीमित प्रश्नोत्तर से संबंधित आप प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मोती महल में सूचना विभाग की गाड़ी गयी थी उसका खर्च किसने दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—यह भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह कि जब किसी विषय पर अनेक प्रश्न हों और फिर उसी विषय पर विशेष वादविवाद किया जाय, तो मुझे याद है कि जब हमने अलग-अलग वाद विवाद मांगा तो फिर हमारे दोनों वाद विवादों को एक में जोड़ दिया। उसमें कोई त्रुटि है ?

श्री उपाध्यक्ष—केवल एक ही प्रश्न पर वाद विवाद है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गयी होगी तो उसे ठीक कर दिया जायगा और यदि आपका कोई और प्रश्न होगा तो उस पर बाद में विचार होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जिन कमरों में प्रदर्शनी के सम्बन्ध में १६ हजार खर्च हुआ तो वह प्रदर्शनी कितने दिन लगी और उन कमरों में कितनी जगह थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन कर दिया कि ५ कमरे थे और कुल का क्षेत्रफल ७,३५२ वर्ग फीट था।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—वहां किस चीज की नुमाइश की गयी ?

फिर यह कि किराया पहले से क्यों नहीं तय किया गया ? यह लर्च में क्यों छोड़ दिया गया कि बाद में मांगा जायगा ? तीसरी चीज यह कि माननीय मंत्री की जानकारी के लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी बिल्डिंग म्युनिसिपल रेट से कितने ऐनुअल रेट पर असेस्ड है ? वह १२,००० पर असेस्ड है, यानी पूरा मोतीमहल ब्लाक ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं नहीं समझता कि इससे हमारा क्या सम्बन्ध है ।

एक सदस्य—किराया क्यों ज्यादा दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इससे हमारा सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण—इससे यह सम्बन्ध है कि किराये के नाम पर उस संगठन को रुपया दिया गया । वह क्यों दिया गया और कब ?

श्री उपाध्यक्ष—मतलब यह है कि पहले से किराया तय हो गया या बाद को ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह तिथि मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख दिया था कि हमको यह चाहिये ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं दो प्रश्न पूछूंगा एक तो यह कि जो अन्यान्य विदेशी प्रदर्शनियां आयीं, उनसे यूथ-कांग्रेस ने किस आधार पर किराया लिया और क्या अन्यान्य पार्टियों के जो सम्मेलन होंगे तो सरकार क्या उन प्रदर्शनियों में भी सूचना विभाग की प्रदर्शनी भेजेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के समारोह जिनमें इतने विद्यार्थी और युवक आयें और वह इसकी मांग करें कि हमारे यहां प्रदर्शनी ले आओ तो सूचना विभाग अपनी प्रदर्शनी ले जायगा । जहां तक किराये का प्रश्न है, अगर हमने अपनी टेंट से लगाया होता और प्रदर्शनी करने का पंडाल लगाया होता तो इससे ज्यादा खर्चा हुआ होता । तो अगर कोई बुलाये और हम जाना स्वीकार करेंगे तो हम खर्चा देंगे और लगायेंगे ।

जहां तक दूतावास के किराये का प्रश्न है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न मैं बता सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह जो १७,००० रुपया दिया गया यह किस को दिया गया और बिजली का ठेका किसको दिया गया था ?

नम्बर २ यह कि....

श्री उपाध्यक्ष—आप एक ही प्रश्न करें । कई प्रश्न एक साथ पूछने से गड़बड़ी हो जाती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—ठेके से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था और वह रुपया यूथ-कांग्रेस के आयोजकों को दे दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह हाल और ५ कमरे सूचना विभाग के कब्ज में थे या दूसरे लोग भी उस पर काबिज थे ? .

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि इस पर २१ विभाग थे। सूचना विभाग भी एक कमरे में था और उसके अतिरिक्त २०-२१ विभाग थे।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह नहीं बताया कि वह नुमाइश किस चीज की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नियोजन की ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग की जो कुछ भी मदद थी यूथ-कांग्रेस को, वह उसको पोलिटिकल समझ कर दी गयी या नान-पोलिटिकल समझ कर ?

श्री उपाध्यक्ष—यह तो राय का प्रश्न है। माननीय सूचना मंत्री बतला सकते हैं कि क्या समझ कर वह मदद दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं कहता हूं कि अगर कोई पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन इतना बड़ा समारोह करे और हमसे आग्रह करे कि तुम अपनी प्रदर्शनी ले आओ और नियोजन में जो वृद्धियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं उनको दिखाओ तो मैं बड़ी प्रसन्नता से चला जाऊंगा।

श्री उग्रसेन—कभी सरकार ने हमारे लिये ऐसा किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कभी आपने बुलाया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रदर्शनी के आयोजन हेतु विभिन्न विभागों को निमंत्रण यूथ-कांग्रेस ने दिया या सरकार ने ? और यूथ कांग्रेस ने दिया तो उससे किराया क्यों नहीं वसूल किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रदर्शनी लगाने के लिये उन्होंने आग्रह किया, हमारा भी उसमें स्वार्थ था कि हम अपना प्रचार वहां कर सकेंगे। प्रदेश भर के और देश के विद्यार्थी वहां आयेंगे इस-लिये हमने वहां लगा दिया। हम जिले जिले में, मेलों में प्रदर्शनी लगाते हैं फिर यह तो इतना बड़ा समारोह था, माननीय प्रधान मंत्री आने वाले थे, हमारे उपराष्ट्रपति आने वाले थे। इतना बड़ा अगर और किसी पार्टी का समारोह हो तो उसमें भी हम प्रदर्शनी लगाने के लिये तैयार हैं।

श्री राजनारायण—"इतना बड़ा" जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या "इतने बड़े" से मतलब है वह समारोह जिसमें प्रधान मंत्री आयें, जिसमें उपराष्ट्रपति आयें और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेबर आयें तभी इतना बड़ा माना जायगा या और कोई दूसरा मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह राय का प्रश्न है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अगर इस प्रकार समारोह होंगे तो उनमें भी सरकार की प्रदर्शनी भेजने के लिये आधार क्या होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब वे मनायेंगे तो आधार ढूंढ लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह प्रदर्शनी कितने दिन चली ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बता दिया, लगभग एक हफ्ता।

श्री उग्रसेन—क्या यह बात सच है कि पीपुल्स थियेटर एसोसियेशन ने माननीय मंत्री जी के विभाग से एक बार मदद मांगी थी मगर वह नहीं दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न तो अलग से आप पूछिये, इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामायणराय—दूसरे दलों द्वारा किये जाने वाले समारोह का क्या आकार प्रकार हो, उसमें शरीक होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जब आप उनकी सहायता करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आकार प्रकार तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि इतना बड़ा आयो-जन हुआ, सारे देश के युवक उसमें आये, हमारे प्रदेश के बहुत से आये, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, इतने आदमी आये, उसमें हमारे लिये प्रचार का एक माध्यम था। अगर कोई और इतना बड़ा समारोह करे जिसमें देश और प्रदेश के व्यक्ति जुट सकें और आप चाहेंगे तो हम वहां भी लगायेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि जो यूथ कांग्रेस के अधिकारी थे और जिन्होंने सरकार को निमन्त्रण दिया वह पत्र किसके हस्ताक्षर से सरकार के यहां आया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त---मैं यह पूछ रहा था कि यह सदन आज कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---सवा छः बजे तक ।

श्री व्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बिना किसी निमन्त्रण के सूचना विभाग ने इसमें अपने को शरीक किया था ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने बतलाया है कि निमन्त्रण हुआ था और उन्होंने दरख्वास्त की थी । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पहली मार्च, १९५६ को सोशलिस्ट पार्टी ने जब यहां किसानों का प्रदर्शन किया था उसमें करीब १ लाख किसान आये थे और मंत्री जी से उसमें प्रदर्शनी के लिये लिखित और मिल कर भी मैंनें बात की थी फिर भी उन्होंने उसका आयोजन नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष---अगर माननीय मंत्री जी को याद हो तो बता दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझे तो, श्रीमन् याद नहीं है कि कोई ऐसा प्रदर्शन सोशलिस्ट पार्टी का हुआ हो जिसमें एक लाख आदमी आये हों, मुश्किल से हजार दो हजार आदमी होंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय ने यह जानने का प्रयत्न किया कि जो १९ हजार रुपया यूथ कांग्रेस के आयोजकों को दिया गया उसमें से वस्तुतः कितना बिजली के लिये और कितना मकान का किराया दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी जांच करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुई, न जाना, न जानने की चेष्टा करूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग के कौन-कौन कर्मचारी काम कर रहे थे और उन्होंने कितने दिन तक काम किया ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो बहुत विस्तार का प्रश्न है, इससे उठता नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १५,००० रुपये दिये गये तो मालिक मकान को दिये गये या यूथ कांग्रेस को दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो बताया जा चुका है कि यूथ कांग्रेस को दिये गये ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मोतीमहल का मालिक कौन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह प्रश्न तो म्युनिसपैलिटी से करना चाहिये, मुझे इसकी सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी इसको सूचना मानकर जो १९,००० रुपया खर्च किया गया ह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री रामायणराय---उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा समारोह होगा तब वह सहयोग देंगे, तो पहले से यह कैसे तय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो विवाद है ।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यूथ कांग्रेस को मोतीमहल मुफ्त मिला था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, यह तो यूथ कांग्रेस वालों से पूछिये कि उन्हें मुफ्त मिला था या किराये से मिला था ।

श्री मदन पांडेय---क्या मननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किराये की रकम के तय करने का क्या आधार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो काल्पनिक प्रश्न है । इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सच है कि इस १९ हजार के अलावा और भी रुपया ड्रामा, वेरायटी शो तथा दावत वगैरह में खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दावत तथा ड्रामा वगैरह की मुझे सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस तरह की प्रदर्शनी में सूचना विभाग का सामान ले जाने के लिये कोई नियमावली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी ऐसे ही नुमायश करता फिरता हूं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९ हजार के अलावा कितना और खर्चा हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे खयाल से ४१२ रुपये १२ आने और खर्चा हुआ है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कांग्रेस के फंक्शन में नाच भी हुआ था और मंत्री जी भी गये थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमीन जो किराये पर ली जाती है वह स्कवायर फुट के हिसाब से ली जाती है तो इसके लिये क्या रेट तय किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रेट मैं जानता नहीं हूं, जो रकम दी गई है और जो वर्गफुट अभी बताया उससे हिसाब लगा लीजिये ।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य देशों को निमंत्रण सरकार द्वारा गये थे या यूथ कांग्रेस ने भेजे थे ?

श्री उपाध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---इतने वाद-विवाद और प्रश्नोत्तर से मालूम होता है कि माननीय सदस्यों को किराये के औचित्य के सम्बन्ध में संदेह है । क्या माननीय मंत्री जी इस संदेह को निवारण करने की कृपा करेंगे कि किराया उचित था या अनुचित और क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

यूथ कांग्रेस अधिवेशन में सूचना विभाग द्वारा किराये पर जमीन लेने से सम्बन्धित ६२३ २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न २४ के विषय पर विवाद

श्री कमलापति त्रिपाठी—इतनी जिरह ने सारी बातें स्पष्ट कर दीं । अब जांच क्या कराऊं ?

(इसके बाद सदन ६ बजकर १४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२१ मार्च, १९५८ ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

देवरिया गन्ना विकास परिषद् द्वारा गन्ना प्रतियोगिता में दिये गये पुरस्कार का विवरण

सन् १९५४-५५

क्रम-सं०	नाम विजेता	श्रेणी	रुपया जो पुरस्कार दिया गया	विवरण
१	२	३	४	५
			रुपया	
१	श्री गजाधर साहू	प्रथम	२००	साधारण गन्ना प्रतियोगिता
२	,, दूधनाथ	द्वितीय	१५०	,,
३	,, रामचरित शाही	तृतीय	१००	,,
४	श्रीमती रुक्मणी देवी	,,	१००	,,
५	श्री भागीरथी अहीर	संतोषजनक	२५	संतोषजनक पुरस्कार
६	,, बासदेव मिश्र	,,	२५	,,
७	पं० रामचन्द्र दास	,,	२५	,,
८	श्री बीर बहादुर शाही	,,	२५	,,
९	,, गनेश तिवारी	,,	२५	,,
१०	,, सीताराम उपाध्याय	,,	२५	,,
११	,, सहदेवनाथ तिवारी	,,	२५	,,
१२	,, राजाराम सिंह	,,	२५	
१३	,, शिवशंकर चौबे	,,	२५	,,
१४	,, जीतमनराय	,,	२५	,,
	,, शिवप्रसाद तिवारी	प्रथम	१५०	शीघ्र पकने वाली जातियों की प्रतियोगिता
	,, रमजान	द्वितीय	१००	,,
	,, गुलाबसिंह	तृतीय	५०	,,

देवरिया गन्ना विकास परिषद् द्वारा गन्ना प्रतियोगिता में दिये गये पुरस्कारों का विवरण

सन् १९५५–५६

क्रम-सं०	नाम विजेता	श्रेणी	रुपया जो पुरस्कार दिया गया	विवरण
१	२	३	४	५
			रुपया	
१	श्रीमती रुक्मणी देवी	प्रथम	२००	साधारण गन्ना प्रतियोगिता
२	,, सीताराम उपाध्याय	द्वितीय	१५०	,,
३	,, रेखा सिंह	तृतीय	१००	,,
४	,, राम कोमल शाही	,,	१००	,,
५	,, वीरेन्द्रसिंह	संतोषजनक	२५	संतोषजनक पुरस्कार
६	,, जमुना सिंह	,,	२५	,,
७	,, गनेश शाहू	,,	२५	,,
८	,, छांगुरसिंह	,,	२५	,,
९	,, रामछीज उपाध्याय	,,	२५	,,
१०	,, राजमंगल राय	,,	२५	,,
११	,, गुलाबसिंह	,,	२५	,,
१२	,, रामचरित्र शाही	,,	२५	,,
१३	,, श्यामसुन्दर उपाध्याय	,,	२५	,,
१४	,, वबुनी मिश्र	,,	२५	,,
१५	,, गोवर्धन मल	,,	२५	,,
१६	,, बेनीमाधव	,,	२५	,,
१७	,, सुदामासिंह	,,	२५	,,
१८	,, मंशा तिवारी	,,	२५	,,
१९	,, राज मंगलसिंह	,,	२५	,,
	,, लक्ष्मीकान्त तिवारी	प्रथम	१५०	शीघ्र पकनेवाली जातियों की प्रतियोगिता
	,, बनवारीसिंह	द्वितीय	१००	,,
	,, बबुनीसिंह	तृतीय	५०	,,
	,, सीताराम उपाध्याय	प्रथम	१००	रैटून (पैडी) की प्रतियोगिता
	,, राम चरित्र शाही	द्वितीय	५०	,,

देवरिया गन्ना विकास परिषद् द्वारा गन्ना प्रतियोगिता में दिये गये पुरस्कारों का विवरण

सन् १९५६–५७

क्रम-सं०	नाम विजेता	श्रेणी	रुपया जो पुरस्कार दिया गया	विवरण
१	२	३	४	५
			रुपया	
१	श्री राम चरित्र शाही	प्रथम	२००	साधारण गन्ना प्रतियोगिता
२	,, सीताराम सिंह	द्वितीय	१२५	,,
३	,, रेखासिंह	तृतीय	७५	,,
४	,, राजमनि शाही	,,	७५	,,
५	,, रामकोमल शाही	संतोषजनक	२५	संतोषजनक पुरस्कार
६	,, इन्द्रासनसिंह	,,	२५	,,
७	,, राघोराम	,,	२५	,,
८	,, सीताराम उपाध्याय	,,	२५	,,
९	,, राधाराम	,,	२५	,,
१०	,, रामप्रसादसिंह	,,	२५	,,
११	श्रीमती रुकमणी देवी	,,	२५	,,
१२	श्री हरीद्वारसिंह	,,	२५	,,
१३	,, विन्धाचलसिंह	,,	२५	,,
१४	,, बाबूखां	,,	२५	,,
१५	,, शुभनारायणसिंह	,,	२५	,,
१६	,, गुलाबसिंह	,,	२५	,,
१७	,, मंगलसिंह	,,	२५	,,
१८	,, शिवदेव पांडे		२५	,,
१९	,, गिरदा तिवारी	,,	२५	,,
२०	,, जगबुल्लाह	प्रथम	१२५	शीघ्र पकने वाली जातियों की प्रतियोगिता
	,, रामचरित्र शाही	द्वितीय	१००	,,
	,, लक्ष्मीकांत तिवारी	तृतीय	५०	,,
	,, रामकोमलशाही	प्रथम	२५०	पैड़ी, प्रतियोगिता
	,, सीताराम उपाध्याय	द्वितीय	१००	,,

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४० पर)

गत तीन वर्षों (१९५४–५५ से ५६–५७ तक) गन्ना विकास परिषद् देवरिया द्वारा किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्रमांक	विवरण		प्रगति	
१	२		३	
	१—सड़क निर्माण—			
	पक्की सड़कें	..	६ मील	
	कच्ची सड़कें	..	६ मील	
	२—सड़कों की मरम्मत	..	७८ मील	
	३—पुल तथा पुलियों का निर्माण	..	१ पुल तथा १५ पुलियां	
	४—सिंचाई—			
	पक्के कुओं की मरम्मत	..	६५	
	कच्चे कुओं की मरम्मत	..	६८	
	कुओं की बोरिंग	..	१०	
	तालाब निर्माण	..	२६	
	५—खाद वितरण—			
	अमोनियम सल्फेट	..	१९,८६८	मन
	खली	..	५,२५४	मन
	खाद मिश्रण	..	७२८	मन
	सनई बीज	..	२३२	मन
	६—गन्ना बीज वितरण	..	७६,३४३	मन
	७—कृषि यंत्रों का वितरण	..	८२ हल, २ अकोलाहो, २० रिजमेकर	
	८—कम्पोस्ट खाद—			
	गड्ढे बनाये गये	..	१,९६७	
	भरे गये	..	१,५३४	
	बनी हुई खाद	..	१,२५,२४३	मन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४९ पर)

आगरा जिले में वृद्ध पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पाने वालों की सूची नाम और पता

आगरा तहसील

१--श्री धन्नो, पुत्र श्री वाले जाटव, ग्राम नागला कौर, मउजा मनकेदा ।
२--श्रीमती रामा, पुत्री श्री रामनीता, ग्राम और पोस्ट बिचपुरी ।
३--श्री खूबीराम, पुत्र श्री बिहारी, ग्राम लाखनपुर, पोस्ट सिकन्दरा ।
४--श्री भूपसिंह, पुत्र श्री दुर्गा, ग्राम कैलाश स्वामी, मउजा स्वामी, पोस्ट सिकन्दरा ।
५--श्रीमती बुधिया, पत्नी श्री कल्लू द्वारा श्री लक्ष्मी नरायन बन्सल, ५२, विजय नगर कालोनी, आगरा ।
६--श्री जे० आर० कन्सटान्टिन, पुत्र श्री माइकिल कन्सटान्टिन द्वारा श्री कुंवर प्रवाल प्रतापसिंह, रईस, मोहल्ला वाजिरपुरा, आगरा ।
७--श्रीमती दुर्गिया, पत्नी श्री मनफूल, ग्राम तथा पोस्ट जगनपुर ।
८--श्रीमती रामदुलारी, पत्नी श्री बल्देव प्रसाद, ग्राम तथा पोस्ट जगनपुर ।
९--श्री मुन्दाराम, पुत्र श्री चिरन्जी लाल , ग्राम सहारा, पोस्ट मिथाकुर ।
१०--श्रीमती ईश्वर देवी, पत्नी श्री हीरानन्द प्रधान, मकान नम्बर १२४३, दरबार शाह जी, नाई की मन्डी ।
११--श्रीमती फूल कुंवर, पत्नी स्वर्गीय व्रषभान जी ठाकुर, १६५५, जमुना किनारा, दाऊजी का मन्दिर, बेलनगंज ।
१२--श्री रामनरायन, पुत्र श्री टुनडाली, ग्राम लुधई, पोस्ट श्यामो ।
१३--श्री गुरुदत्त मल, पुत्र श्री मोहारा मल, १६७, काछीपुरा, आगरा कैन्ट ।
१४--श्रीमती पुनिया देवी, पत्नी श्री खरगा जाटव, ग्राम धनधूपुर, पोस्ट कलाल खेरिया ।
१५--श्री नवलसिंह, पुत्र श्री सनवालिया, ग्राम नगला लादम, मउजा तथा पोस्ट मनकेदा ।
१६--श्री निनवन, पुत्र वाले, ग्राम तथा पोस्ट अकोला ।
१७--श्री पोन्का एलियास हेटा, पुत्र श्री मऊला, ग्राम नगला लादम, मऊजा और पोस्ट मनकेदा ।
१८--श्रीमती मथुरी, पत्नी श्री समालिया, ग्राम तथा पोस्ट जगनपुर ।

बाह तहसील

१९--श्री रूपा, पुत्र श्री क्षत्रपाल , ग्राम हिन्गट खेरा, पोस्ट बाह ।
२०--श्री कन्हैया, पुत्र श्री गुटई एलियास श्री रामलाल, ग्राम मानिकपुरा, पोस्ट पिनहट ।
२१--श्री देवी प्रसाद, पुत्र श्री मुन्नालाल, ग्राम पुराबरुवा, मऊजा बमब्राउली ।
२२--श्री श्यामलाल, पुत्र श्री मुन्ना लाल, ग्राम महुवा साला, पोस्ट बाह ।

इतमादपुर तहसील

२३--पं० हरद्वारी लाल, पुत्र पं० बसन्तसिंह, मो० भगवान आश्रम, पोस्ट टुन्डला, कस्बा टुन्डला ।
२४--श्री क्षत्रपाल, पुत्र श्री मुरलीधर वर्न (ब्रा), ग्राम नागला सिरजी, पोस्ट अहेरन ।
२५--श्री सुख राम शर्मा, पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद, ग्राम तथा पोस्ट सइप्रा ।
२६--श्री गोकुल प्रसाद, पुत्र श्री बाल मुकन्द, मउजा राम नगर मजरा, नागला माहू, पोस्ट खनदउली ।

फतेहाबाद तहसील

२७--श्रीमती मुलिया, पत्नी श्री बीरपाल , ग्राम नगरिया, पोस्ट फतेहाबाद
२८--श्रीमती ललको, पत्नी श्री सीताराम, ग्राम बसई, पोस्ट फतेहाबाद ।
२९--श्रीमती कोकिल्या, पत्नी श्री श्रीचन्द, ग्राम गुवरौठ, पो० फतेहाबाद ।
३०--श्रीमती सोनी, पत्नी श्री ओछा काछी, ग्राम जाटवपुरा, पोस्ट फतेहाबाद ।
३१--श्रीमती खणयान, पत्नी बुद्धा, ग्राम तथा पोस्ट तिवाहा ।
३२--श्रीमती ललइया, पत्नी मंगला, ग्राम बारागांव, पोस्ट शमशाबाद ।
३३--श्रीमती क्रांतियान, पत्नी तितरिया, ग्राम प्रतापपुरा, पोस्ट फतेहाबाद ।
३४--श्री माही लाल, पुत्र मनशाराम, ग्राम नागला हाजी, पोस्ट फतेहाबाद ।
३५--श्रीमती पीतोला, पत्नी भोजराज, ग्राम कनकरपुरा, पोस्ट निबउरह ।
३६--श्री सोना, पुत्र गंगा, ग्राम नागला भिक्की, पोस्ट शमशाबाद ।
३७--श्रीमती गायना अलियास जनुका, पत्नी सुमेरा, ग्राम बरोवारा कालन, पोस्ट शमशाबाद ।
३८--श्रीमती जीवानी, पत्नी पदमा, ग्राम बारोबारा कालन, पोस्ट शमशाबाद ।
३९--श्री लोकमान, पुत्र रतन लाल, ग्राम कुटकोथत रोही, पोस्ट शमशाबाद ।
४०--श्री चुन्नी लाल ठाकुर, पुत्र हरदेव ठाकुर, ग्राम चमरौली, पोस्ट फतेहाबाद ।
४१--श्री ठाकुर गिरन्द सिंह, पुत्र टीकाराम, ग्राम कमपुरा, पो० धीमसारी ।
४२--श्री बउलाराम जी, पुत्र श्री शाहीराम जी, ग्राम बरोबारा कालन, पोस्ट शमशाबाद ।
४३--श्री गिरन्दसिंह, पुत्र मनोहर सिंह, ग्राम बीकापुर, पोस्ट इरादत नगर ।
४४--श्री लक्ष्मन सिंह, पुत्र गोपाल सिंह, ग्राम नागला अमन, पोस्ट डन्की ।
४५--श्री निनआ, पुत्र भनवल , ग्राम गरही जहान सिंह , पोस्ट हिरनर, नवादा खेरा ।
४६--श्रीमती राम पियारी, पत्नी भगुगा टेलर, ग्राम खेरा, पोस्ट हिरनर, नवादखरा ।

फिरोजाबाद तहसील

४७--श्रीमती सुमिरा, पत्नी भन्टे जाटव, ग्राम बसई, मोहम्मदपुर, पोस्ट डोन्केली ।
४८--श्रीमती रामश्री, पत्नी श्री मेहराम , ग्राम बिलहाना, पोस्ट डन्केली ।
४९--श्री चहतराम टेलर, पुत्र रतीराम, ग्राम सईगई, पोस्ट जलालपुर ।

खेरा तहसील

५०--श्री नन्हे मुसलमान, पुत्र श्री जवाहर, ग्राम मिलावली पोस्ट खैरागढ़ (मृत्यु होगई) ।
५१--श्री चिरन्जी, पुत्र श्री चुन्ना खां, ग्राम कुकरई, पोस्ट खैरागढ़ ।
५२--श्रीमती कोकला, पत्नी श्री दलचन्द, ग्राम सौन, पोस्ट कगराउल ।
५३--श्रीमती सुन्दरिया पत्नी श्री चेता, ग्राम ताहतपुर, पोस्ट सईन्या ।
५४--श्री रबूदा जाटव, पुत्र श्री हरगोविन्द, ग्राम सिकन्दरपुर, पोस्ट ककुवा ।
५५--श्री सूरजभान ठाकुर, पुत्र श्री देवहंस, ग्राम सिकन्दरपुर, पोस्ट ककुवा ।
५६--श्री निनवा कुम्हार, पुत्र श्री बोधा, ग्राम मिलावली, पोस्ट खेरागढ़ ।
५७--श्रीमती कोकादेवी, पत्नी श्री भोलासिंह, ग्राम नई लेखन, पोस्ट खेरागढ़ ।
५८--श्रीमती गोन्डा पत्नी श्री भारगदा, ग्राम गरमुखा, पोस्ट कगरउला ।
५९--श्रीमती विविदिया मेहतर, पुत्र श्री इन्दर मेहतर, ग्राम सूरज का बास, पोस्ट बेरी चाहा ।
६०--श्री छिद्दू काछी, पुत्र श्री हुकमसिंह, ग्राम गरमुखा, पोस्ट कगरउला ।
६१--श्रीमती पतुरी पत्नी, श्री हरिकन्थ, ग्राम तथा पोस्ट कगरउला ।
६२--श्री पचिया, पुत्र मूला, ग्राम चेइवा, पोस्ट कागा रउल ।
६३--श्रीमती रुकमा देवी, पुत्री श्री सूरज पाल, ग्राम सोन, पोस्ट कागा रउला ।
६४--श्रीमती ईदा, पत्नी कल्ला, ग्राम मिलावली, पोस्ट खेरागढ़ ।
६५--श्रीमती भउती, पत्नी श्री बलिराम, ग्राम ग्रहमुखा, पोस्ट कागा रउला ।

६६--श्री अगनू, पुत्र श्री क्षत्रपाल, ग्राम तथा पोस्ट वीर्थला ।
६७--श्री निकासिया, पुत्र श्री प्रेम सिंह कुमहर, ग्राम मिलावली, पोस्ट खेरागढ़ ।
६८--श्री गूयासी राम, पुत्र श्री सुखदेव, ग्राम महदेव, पोस्ट इरादतनगर ।
६९--श्रीमती धनकी, पत्नी श्री जोहरी , ग्राम तथा पोस्ट कागारउल (मृत्यु हो गई) ।
७०--श्री चितवरिया, पुत्र श्री सुखदेव, ग्राम कुकदई, पोस्ट खेरागढ़ ।
७१--श्री समालिया, पुत्र श्री मूला, ग्राम ग्रहसन, पोस्ट सइन्या ।
७२--श्रीमती पारवती देवी, पत्नी श्री मनखा सिंह, ग्राम गरही करीमपुर, पोस्ट टन्टपुर ।
७३--श्री मूलचन्द्र, पुत्र श्री राम हंस ग्राम कुकरसो, पोस्ट टन्टपुर ।
७४--श्रीमती नारायनी, पुत्री श्री गादरमल, ग्राम सिगरावली, पोस्ट टन्टपुर ।
७५--श्रीमती आनन्दी, पुत्री श्री बन्शी, ग्राम तथा पोस्ट सरेन्धी ।
७६--श्री नारायन, पुत्र श्री बन्शी, पोस्ट घाटी, ग्राम तथा पोस्ट जगनेरा ।
७७--श्रीमती सुन्दर, पत्नी श्री उमराई , ग्राम तथा पोस्ट टन्टपुर ।
७८--श्रीमती तोफा देवी, पुत्र श्री लोहरे राम, ग्राम बसाई जगनेरी, पोस्ट टन्टपुर ।
७९--श्रीमती कौशल्या, पत्नी श्री हंसराज, ग्राम तथा पोस्ट टन्टपुर ।
८०--श्री दीनू, पुत्र श्री चिट्टू खां, ग्राम बुहारा, पोस्ट खेरागढ़ ।

किरावली तहसील

८१--श्री मिहीलाल, पुत्र श्री बल्देव, ग्राम चउमाशापुर, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
८२--श्री राजपाल, पुत्र श्री चन्ना, ग्राम तथा पोस्ट सन्धान ।
८३--श्री कोकी जाटव, पुत्र श्री गोकुला, ग्राम अभैइदोपुरा, पोस्ट किरावली ।
८४--श्री काशीराम, पुत्र श्री भोला नाथ, ग्राम केहरासाधन पोस्ट सन्धान ।
८५--श्री लाला राम काछी, पुत्र श्री सीताराम, ग्राम जउटाना, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
८६--श्रीमती फूलो काछी, पत्नी श्री वाले, ग्राम जउटाना, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
८७--श्री रघुबर दयाल ठाकुर, पुत्र श्री गर सिंह, ग्राम अरहेरा, पोस्ट किरावली ।
८८--श्री खुशियाली, पुत्र श्री डलू जाटव, ग्राम बीधापुर ।
८९--श्री गूथासिंह, पुत्र श्री घूरे, ग्राम टिकरी, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
९०--श्री समिलिया पुत्र श्री जवाहर, ग्राम खेरा सन्धान, पोस्ट सन्धाना ।
९१--श्रीमती रामपियारी, पत्नी श्री गेन्दा धौबी, ग्राम डाबर, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
९२--श्रीमती सुखिया, पत्नी श्री विर्जा, ग्राम वादा, पोस्ट कागारउल ।
९३--श्री बद्रीनाथ, पुत्र श्री चुन्नीनाथ, ग्राम सिकरऊदा, पोस्ट फतेहपुर सीकरी ।
९४--श्री गिरवर, पुत्र श्री धर्मजीत, ग्राम कीथम, पोस्ट रइपुरा जाठ ।
९५--श्री जानकी, पुत्र श्री फुसिया, ग्राम नया बास पोस्ट अछनेरा ।

पी० एस० यू० पी० ए० पीए० --१८ एल० ०--१९५८--८३५ ।

A53